Friday, 19 August, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 4.7.89
Parliament Library

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19—शुक्रवार, 19 अगस्त, 1966/28 श्रावण, 1888 (शक)

No. 19-Friday, August 19, 1966/Sravana 28, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos		
539. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	1-4
540. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	New Victoria Mills, Kanpur	4-5
542. दिल्ली में सीमेंट के दाम	Cement Prices in Delhi	5-7
543. भारती कपड़ा मिल, पांडिचेरी	Bharathi Textile Mills, Pondicherry	7-9
546. स्कूटरों और कारों के दाम	Prices of Scooters and cars	9-14
547. मजूरी भुगतान अधिनियम	Payment of Wages Act	14-16
548. स्टेपल फाइबर का आयात	Import of Staple Fibre	16-17
549. कोटा-चित्तौड़गढ़ बड़ी (ब्राडगेज) लाइन	Kotah-Chittorgrh Broad-gauge Line	17-18
550. वालयार स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Walayar Station	18-19
551. ईराक से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegations from Iraq	19-21
552. रेलवे जोन	Railway Zones	21-22
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	**Short Notice Question No.**	
13. भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों की भूख हड़ताल	Hunger Strike by workers of Indian Bureau of Mines	22-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers To Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Question Nos.**	
541. सीमावर्ती राज्यों में रेलवे लाइन	Railway Lines in Border States	25-26
544. कपड़े के दाम	Prices of Cloth	26
545. भारत पोलैंड सहयोग	Indo-Poland Collaboration	26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं०		
S. Q. Nos.		
553. निम्न तापमान कार्बनीकरण कारखाने	Low Temperature Carbonisation Plants	27
554. रेलवे अधिकारियों की बैठक	Meeting of Railway Officials	27
555. रेल दुर्घटनाएँ	Railway Accidents	28
556. भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India	28
557 गाड़ियों का लूटा जाना	Looting of Trains	28-29
558. मेसर्स ट्रैक्टर एण्ड बुलडोजर प्राइवेट लिमिटेड	M/s. Tractor and Bulldozer Private Ltd.	29
559. एल्यूमिनियम उद्योग का विकास	Development of Aluminium Industry	29-30
560. उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	Prices of Consumer Goods	30
561. केरल में एल्यूमिनियम कारखाना	Aluminium Factory in Kerala	30
562. रेलवे में भोजन व्यवस्था	Catering on Railways	30-31
563. अनाज लाने ले जाने के लिये माल डिब्बे	Wagons for Movement of Foodgrains	31
564. आसाम में रेलवे संचार व्यवस्था का ठप्प हो जाना	Dislocation of Railway Communications in Assam	31-32
565. मूल्य सूचकांक	Price Index	32
566. राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिये इमारतें	Buildings for S.T.C. and M.M.T.C.	32
567. 'विग' (कृत्रिम बालों के टोप) बनाने के कारखाने	Wig Manufacturing Plants	33-34
568. मध्य रेलवे में स्थानीय (लोकल) रेलगाड़ी के मोटरमैन पर हमला	Attack on Motorman of Local Train on Central Railway	34
अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Question Nos.**	
2740. बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Bihar	34-35
2741. इन्दौर में उद्योग	Industries in Indore	35
2742. ट्रक रेलगाड़ी की टक्कर	Truck Train Collision	35-36
2743. केरल सीमा पर सोने के लिये ड्रिलिंग	Drilling for Gold on Kerala Border	36
2744. टेपियोका स्टार्च उद्योग	Tapioca Starch Industry	36
2745. नारियल जटा से बने सामान का निर्यात	Export of Coir Products	36-37
2746. जूते बनाना	Manufacture of Shoes	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
2747. मेवों तथा खजूरों का आयात	Import of Dry Fruits and Dates	37
2748. निर्यातक	Exporters	37-38
2749. पाँचवा इस्पात कारखाना	5th Steel Plant	38
2750. चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये इंस्टीट्यूट हालों का प्रयोग	Use of Railway Institute Halls for Cinema Shows	39
2751. झाझा स्थित लोको शेड का आसनसोल स्थानान्तरित किया जाना	Transfer of Loco Shed at Jhajha to Asansol	39-40
2752. रेलवे कर्मचारियों को राशन की सप्लाई	Supply of Ration to Railway Employees	40
2753. खगरिया पूर्वी केबिन के निकट उपरिगामी पुल	Overbridge near Khagaria East Cabin	40-41
2754. त्रिपुरा में कृषि प्रयोजनों के लिये इस्पात	Steel for Agricultural Purposes in Tripura	41
2755. हरिद्वार और देहरादून के बीच रेलगाड़ी	Train Service between Hardwar and Dehra Dun	41
2756. ओलवक्कोट डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन	Telephones at Railway Station in Olavakkot Division	41-42
2757. विद्युत् से चलने वाली गाड़ियाँ	Electric Trains	42-43
2758. कुटीर तथा लघु उद्योग	Cottage and Small Scales Industries	43
2759. देवलटी स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेल सेवा का बन्द किया जाना	Suspension of Rail Service at Deulti Station (S.E. Rly.)	43-44
2760. फ्लाइंग मेल के इंजन में खराबी	Defect in the Engine of Flying Mail	44
2761. बेलघरिया स्टेशन पर पटाखे	Crackers at Belgharia Station	44-45
2762. जापान को रुई का निर्यात	Export of Cotton to Japan	45
2763. भुसावल में रेल के डिब्बे में चोरी	Theft in Railway Coach at Bhusawal	45-46
2764. लुधियाना में रेलवे फाटक के निकट बम मिलना	Recovery of Bomb from Railway Crossing, Ludhiana	46
2765. इण्डिया इलेक्ट्रिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	India Electrical Works Limited, Calcutta	46
2766. फास्फेट अयस्क के निक्षेप	Doposits of Phosphate Ores	46-47
2767. रामस्वामी मुदालियर समिति का प्रतिवेदन	Ramaswamy Mudaliar Committee Report	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. Q. No.		
2768. ताँबे के तार की चोरी	Thefts of Copper Wires	47-48
2769. कपड़ा जाँच समिति	Textile Inquiry Committee	48
2770. पूर्णतः धातु से बना चर्खा	All Metal Charkha	48r49
2771. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों का निर्माण	Production of Watches made by Hindustan Machine Tools	49
2772. दिल्ली जयपुर आगरा मार्ग पर मलियारे वाली पर्यटक रेलगाड़ी	Vestibule Tourist Train on the Delhi Jaipur Agra Route	50
2773. निर्यात	Exports	50
2774. जूतों का निर्यात	Export of Shoes	50
2775. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation Ranchi	51-52
2776. विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank	52
2777. औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल की अफ्रीकी देशों की यात्रा	Visit of the Industrial Delegation to African Countries	52
2778. आसाम मेल रेलगाड़ी को पटरी से उतारने का प्रयत्न	Attempt to Derail Assam Mail	53
2779. चाय बागानों में कीड़ों को नष्ट करना	Eradication of Pests in Tea Plantations	53
2780. राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों का आयात	Import of Cars by S.T.C.	53-54
2781. कोयले का निर्यात	Export of Coal	54-55
2782. भारतीय चलचित्रों का निर्यात	Export of Indian Films	55
2783. पान के लिये वातानुकूलित डिब्बे	Air Conditioned Wagons of Betel Leaves	55-56
2784. ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Stations in Rural Areas	56
2785. रूस को मवेशियों का निर्यात	Export of Cattle to U.S.S.R.	56-57
2786. नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	57
2787. दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Delhi Madras Janta Express	57-58
2788. बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	58
2789. दुर्लभ औद्योगिक सामग्री (नियंत्रण) आदेश, 1965	Scarce Industrial Materials (Control) Order, 1965	58-59
2790. खादी का उत्पादन	Production of Khadi	59-60

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.			
2791.	पूर्व यूरोप के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध	Trade Relations with East European Countries	60
2792.	पूर्व रेलवे पर बिना ब्रेक वैन वाली मालगाड़ियां	Running of Goods Trains without Brake Van in the E. Rly.	60
2793.	ब्रिटेन को चाय का निर्यात	Export of Tea to U.K.	60-61
2794.	राखा (बिहार) में ताम्बा पिघलाने (स्मैलटिंग) का कारखाना	Copper Smelting Plant at Rakha, Bihar	61
2795.	जून, 1966 में गोरखपुर में 31 अप रेलगाड़ी में एक शव का पाया जाना	Dead Body found in 31UP at Gorakhpur in June, 1966	62
2796.	दिल्ली–फरीदाबाद जी० टी० रोड पर निचला पुल (अंडर ब्रिज)	Under Bridge on Delhi Faridabad G.T. Road	62
2797.	सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference of Representatives of Public and Private Sectors	62-63
2798.	राजधानी में सिगरेटों के दाम	Cigratte prices in the Capital	63
2799.	हांगकांग के साथ व्यापार	Trade with Hong Kong	63
2800.	नागपुर मालगोदाम में रखा गया गेहूँ	Wheat stored in Nagpur Goods Shed	64
2801.	केन्द्रीय लघु उद्योग बोर्ड	Central Small Scale Industries Board	64-65
2802.	दिल्ली तथा जोधपुर के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	Additional Train between Delhi and Jodhpur	65
2803.	दिल्ली तथा बीकानेर के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	Additional Train between Delhi and Bikaner	65
2804.	अमरीकी सहायता गैर-परियोजना ऋण सम्बन्धी आयात नियमों में परिवर्तन	Change in Rules for Imports under U.S. Non-Aid Project Loan	65-66
2805.	कोयला खानों के लिये रूसी सहायता	U.S.S.R. Aid for Coal Mines	66
2806.	रेलवे पटरी के साथ वाली भूमि	Land along Railway Track	66-67
2807.	कोटा के आई० एस० कार्यालय के चपरासी	Peons in I.S. Office Kotah	67
2808.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Public Sector Steel Plants	67
2809.	कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना	Cement factory in Kangra	68
2810.	गुंटूर से विजयवाड़ा तक रेलवे लाइन का दुहरा किया जाना	Doubling of Railway Line from Guntur to Vijayawada	68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
2811. राजखरसांवां चाईवासा यात्रीगाड़ी सेवा	Raj Kharsawan-Chaibasa Passenger Service	68-69
2812. दुर्गापुर में कोयला धोने का कारखाना	Coal Washery at Durgapur	69
2813. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के कैरेज कर्मचारी	Carriage Employees of Allahabad Division (N. Rly.)	69-70
2815. रेलवे में वर्कशाप फोरमैनों की द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Workshop Foremen on the Railways to Class II Posts	70
2816. वीरमगाम जाने वाली जनता एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	Derailment of Viramgam bound Janta Express	70-71
2817. बडनेरा स्टेशन पर उपरिगामी पुल	Over-bridge at Badnera Station	71
2818. केरल में मोटर से चलने वाली नाव बनाने का उद्योग	Machine Boat Building Industry in Kerala	71-72
2819. उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां	Industrial Cooperative Societies in Orissa	72
2822. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	Central Silk Board	72
2823. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खादी बोर्ड	Khadi Boards in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh	72-73
2824. भिलाई इस्पात कारखाने के कोयला भण्डार में आग	Fire in Coal Stock of Bhilai Steel Plant	73
2825. ताराचन्द मजूरी बोर्ड	Tarachand Wage Board	73-74
2827. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मानव केश का निर्यात	Export of Human Hair through S.T.C.	74
2828. बीकानेर डिवीजन में नये रेलवे स्टेशन	New Railway Stations in Bikaner Division	74-75
2829. बीकानेर डिवीजन में रेलवे समपारों पर पुल	Bridges on level Crossings in Bikaner Division	75
2830. युगोस्लाविया से टेलीविजन सेटों का आयात	Import of Television Sets from Yugoslavia	75
2831. ट्रांजिस्टर	Transistors	75-76
2832. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for S. C. and S. T. Railway Employees	76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
S. Q, Nos.		
2834. महाराजा एण्ड मिनर्वा काटन मिल्स	Maharaja and Minerva Cotton Mills	76-77
2835. बरहामपुर-खुर्दा रोड जोन में छंटनी	Retrenchment in Berhampur Khurda Road Zone	77
2836. पलासा तथा खुर्दा रोड के बीच दुहरी रेलवे लाइन बनाना	Doubling of Railway Line between Palasa and Khurda Road	77
2837. कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry	77-78
2838. बिना टिकट के यात्रा	Ticketless Travel	78
2839. रेलवे स्टेशनों पर उपरि पुल	Crossing Bridges at Railway Stations	78-79
2840. प्लेटफार्मों का निर्माण	Construction of Platforms	79
2841. कुट्टीपुरम के मछली निर्यातक	Fish Exporters of Kuttipuram	79-80
2842. शोरानूर और कोचीन के बीच रेलगाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि	Increase in the speed of Trains between Shoranur and Cochin	80
2843. तीसरे दर्जे के पर्यटक सवारी डिब्बे	III Class Tourist Coaches	80
सभा के नेता के विरुद्ध विशेषाधिकार-भंग के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Breach of privilege against the Leader of the House	80r84
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	84-85
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	85
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति तेंतीसवाँ प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings Thirty-third Report	85
सभा का कार्य	Business of the House	85.88
कार्य मन्त्रणा समिति उनचासवां प्रतिवेदन	Business Advisory Commitee Forty-Ninth Report	88
पंजाब विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक-पुरःस्थापित	Punjab Legislative (Delegation of Powers) Bill-Introduced	89-90
अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक- पुरस्थापित	Essential Commodities (Amendment) Bill-Introduced	91-92
अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1966 **के बारे में विवरण**	Statement Re. Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1966	92
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य), 1966-67	Supplementary Demands for Grants (General), 1966-67	92-94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री बड़े	Shri Bade	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limave	
श्री त्यागी	Shri Tyagi	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Commitee on Private Members Bills and Resolutions	94
तिरानबेंवां प्रतिवेदन	Ninety-third Report	
विदेशी सरकारों आदि द्वारा हथकरघा कपड़े की मान्यता और समर्थन के बारे में संकल्प-स्वीकृत हुआ	Resolution Re. Recognition and Support to Handloom Fabrics by Foreign Governments etc-adopted	94-96
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	
आम चुनाव से पूर्व मंत्रि-परिषद् द्वारा त्याग-पत्र के बारे में संकल्प-अस्वीकृत हुआ	Resolution Re. Resignation of Council of Ministers prior to General Elections-Negatived	96-110
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri Hiren Mukerjee	
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	
श्री नन्दा	Shri Nanda	

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 19 **अगस्त** 1966 / 28 **श्रावण**, 1888 (**शक**)

Friday, August, 19, 1966 / Sravana, 28, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

+

*539. श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्य-संचालन के बारे में पुनर्विलोकन करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश-पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बात क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) विचारार्थ विषय निम्न हैं :

(1) 1953 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना के समय से खादी तथा ग्राम उद्योगों द्वारा की गयी प्रगति का मूल्यांकन करना और देश में खादी तथा ग्राम उद्योगों की प्रगति को सुदृढ़ तथा और अधिक करने के लिये सिफारिशें करना ; और

(2) कार्यक्रमों के संचालन में अभी तक प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुये और चौथी योजना की अवधि में प्रायोजित कार्यक्रम के संदर्भ में ऐसे ढांचागत अथवा संविधानी परिवर्तन सुझाना जो कि एक ओर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और दूसरी ओर राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों, सहकारी समितियों तथा अन्य संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये आवश्यक हो ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीनारायण दास : इस पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री मनुभाई शाह : समिति के कुल 17 सदस्य हैं और समिति के अध्यक्ष योजना मंत्री श्री अशोक मेहता हैं । खादी आयोग के सभापति श्री ढेबर भी एक सदस्य हैं । अन्य सदस्य श्री त्यागी·········

श्री त्यागी : मैंने कभी इसको स्वीकार नहीं किया ।

श्री मनुभाई शाह : मुझे खेद है, मैं कहना चाहता था कि उन्होंने अपना नाप वापस ले लिया था । श्री खण्डु भाई देसाई, श्री कामत, श्रीमती सावित्री निगम और श्री एम० पी० भार्गव संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या समिति द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन पेश किये जाने के सम्बन्ध में कोई समय सीमा रखी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : अभी तक कोई नहीं । परन्तु मुझे आशा है कि प्रतिवेदन 6 महीने तक दे दिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Lately the Public Accounts Commitee had indicated in its report on Khadi and Village Industries Commission that until the Government is satisfied that the funds granted to the Commission are put to proper use, it should not grant further funds. May I know whether in view of the recommendations of the Committee the Ministry is not granting funds to the Commission so generously as was being done ?

Shri Manubhai Shah : Considering the importance of this work we were not giving more money to the Commission, but the recommendations of the Public Accounts Commitee have been brought to the notice of the Commission and that is working efficiently by keeping those in mind.

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know whether Government have made any cut in the money given to the Commission ?

Shri Manubhai Shah : No. Sir.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Recently it was reported in the press that adulteration had been detected in the honey sold by Khadi and Village Industries emporium. If this news is correct, what action has been taken in this matter ?

Shri Manubhai Shah : Not only honey but there are other articles also in which adulteration has been found. What Khadi Commission has to do with that ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I am asking about the Khadi and Village Industries Bhavan which is under Khadi and Village Industries Commission.

Shri Manubhai Shah : There are thousands of honey shops. If there is garbage in the honey in a particular shop then what can the Commission do in it (**Interruption**). I cannot undertake to say on behalf of the Commission that every where it is without adulteration. If there is adulteration , they will be prosecuted.

Shri Bibhuti Mishra : May I know how many members of the Khadi Commission or of the Committee that has been constituted believe in the principles enunciated by Mahatma Gandhi who was the very life and blood of the Khadi campaign and whether the Khadi commission is functioning on the lines preached by Gandhiji.

Shri Manubhai Shah : I think all these members are amongst those who have taken a vow to wear Khadi through out their lives.

Shri Bihuti Mishra : My question is that how many members believe in Khadi according to the principles enunciated by Gandhiji.

Mr. Speaker : It is very difficult to judge.

Shri Manubhai Shah : How can I weigh all this ?

Shri K. N Tiwary : The hon. Minister stated that the report of the Committee has not been received as yet. In view of the fact that the report has not been received as yet may I know the basis on which money will be allocated during the fourth five year plan for Khadi Commission; whether decision will be taken in this regard after the report is received or the amount will be finalised now ?

Shri Manubhai Shah : In the beginning a working Group was formed who advised regarding the allocations to be made in this Fourth Five Year Plan after reviewing the progress made by Khadi during the last 15 years. After that, since the resources were not enough a cut was made in that amount. The amount now allocated is too less to get on with the programme of the third Five Year Plan during the Fourth Plan period. The opinion of the Committee which has been constituted, will be taken into consideration in this regard.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस समिति को सरकार ने किन विचारों को सामने रख कर नियुक्त किया है और क्या किसी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा प्राप्त सुझाव के आधार पर इसको नियुक्त किया गया था या सरकार ने स्वयं ही इसको नियुक्त किया है ?

श्री मनुभाई शाह : सामान्य रूप से जब सभा किसी संविहित आयोग या बोर्ड का अनुमोदन कर देती है तो सरकार के लिये ऐसे स्वायत्तशासी निकायों के कार्य का समय समय पर पुनर्विलोकन करना सामान्य काम बन गया है। हाल ही में हमने प्रशुल्क आयोग के लिये एक समिति और वायदा बाजार के लिये एक समिति नियुक्त की है। इसी भावना से पिछले 10 वर्षों के कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह वांछनीय समझा गया कि खादी आयोग को चलाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त पुनर्विलोकन समिति होनी चाहिये।

Shri Tyagi : May I know the amount of money given to Khadi and Village Industries Commission separately in the form of grants and loan since its appointment and are the arrangements made by it for its repayment and the time by which repayment will commence ?

Shri Prakash Vir Shastri : And what amount has been given in the form of subsidy?

Shri Manubhai Shah : If a Separate notice is given for it I will be able to answer this question. But I have already placed all the information on the Table and this is also covered by the annual report. All these things will be put before the Committee and the report of that Committee will be presented to this House.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the allegation made by the employees of the Khadi and Village Industries Bhavan against the Director of the Bhavan have since been enquired into, if so, the result there of ?

Shri Manubhai Shah : I require separate notice for this question.

Shri Tyagi : I want a clarification. What is the policy regarding repayment ?

Shri Manubhai Shah : Repayment of loan is being made regularly according to the time schedule and whenever the question of giving any extension arises, action is taken after complete assessment.

Shri Madhu Limaye : The name of Mahatma Gandhi is associated with Khadi and Village Industries and aid is given by Government to Khadi Bhandars on a large scale. Has the attention of the hon. Minister been drawn to the fact that the contents of the match boxes sold by Delhi State Khadi and Village Industries Bhavan do not conform to the number of match Sticks printed on the match box: on the match box it is given that it contains 50 sticks but when we open it we found that it contains only 24 or 25 sticks ? 1 demonstrated it with guarantee before the hon. Speaker. I had not opened that match box, but I was confident that what I said was true. If that also is the condition of the stores associated with the name of Gandhiji, may I know whether the hon. Minister will take some action in this regard also apart from the amendment etc. which he is going to bring regarding the working ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has written a letter to me stating that he has taken immediate action in this regard and report regarding rest of the action will be given to the House shortly. He took immediate action. He personally went there and when he opened the match box he found that it contained only 20-25 match sticks.

Shri Manubhai Shah : May I say a word..

Shri Madhu Limaye : Sir, the same is the case with honey.

Mr. Speaker : If the match box is here then it is a dengerous thing.

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर

\+

*540 श्री बागड़ी :	श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :	श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :	श्री भागवत झा आजाद :
श्री मधु लिमये :	श्री सोनावाने :
श्री मौर्य :	श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4964 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के कामकाज की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उस पर कब विचार किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : जाँच समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और राज्य सरकार की सलाह से यह निश्चय किया गया है कि मिल कम्पनी को परिसमापन होने दिया जाये।

Shri Bagri : May I know what are the main recommendations ?

Shri Manubhai Shah : The recommendations were the same that this mill can not be run advantageously in the present set up and it should be allowed to go into liquidation.

Shri Bagri : Is the hon. Minister in a position to state the amount of loss suffered and misappropriation made due to that mismanagement and what action has been taken in these matters ?

Shri Manubhai Shah : This was not covered by the inquiry made. Such inquiries are made under the Industries Act to ascertain whether it is advisable to run it in the pubiic interest or not and so far as the Company law is concerned it is the look out of the shareholaers and the Directors. They can also draw the conclusion.

Shri Madhu Limaye : Sir, just now the hon. Minister stated that the enquiry Committee has come to the conclusion that the mill should be wound up. May I know whether the machinery has worn out, or the management is defective or there are other reasons that the mill can not be run and in case that mill is wound up how many persons are likely to be thrown out of employment ? What action Government propose to take to rehabilitate them ?

Shri Manubhai Shah : All the three things viz. bad management, worn out machinery and heavy debt enumerated by the hon. Member warrant the closure of the mill. In view of this and that labour may also get the work the scheme of liquidation has been thought out.

Shri Madhu Limaye : He has not told of the alternative mesaures.

Shri Manubhai Shah : If it goes into liquidation, they will automatically get the work. What happens in liquidation is this that the person who wants to purchase the mill will have to submit a scheme for the running of the mill.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether an assessment has so far been made of the assets and immovable property of the company ?

Shri Manubhai Shah : The assets and the property are roughly of the order of Rs. 3 Crores and Rs 1.50 Crores, respectively. But we do not know about the value of the working capital and the liquid assets.

Cement Prices in Delhi

+

*542. **Shri P. C. Borooah**
Shri Liladhar Kotoki
Shri Hukam Chand Kachhavaiya
Shri R. Barua :
Shri Rameshwarnand :
Shri Jashvant Mehta :
Shri Raghunath Singh :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri N. R. Laskar

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of cement in Delhi have increased from Rs. 9.86 to Rs. 16.00 per bag as reported in "Vir Arjun" of the 12th May, 1966;

(b) whether it is also a fact that the cement is being adulterated by traders;

(c) whether the applications of poor persons are not considered and cement is given to them immediately in case they are prepared to purchase in blackmarket; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibudhendra Misra)

(a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The retail selling price of cement in Delhi is Rs. 9.55 per bag excluding local and Inter-State Sales Tax. No increase in this price has been authorised.

There has been no complaint of adulteration against any of the authorised stockists of the selling Agents marketing cement in Delhi. There have been some reports in the Press that certain unauthorised traders were found selling adulterated cement in Delhi and the Special Police Establishment is taking action against them.

Applications whether received from poor persons or rich ones are treated on par by the stockists. The requirements of the consumers who approach them are registered and cement is supplied to each in turn.

The Cement Allocation and Coordinating Organisation of the Cement industry has appointed an Officer on special duty to assist the small consumers in Delhi State. This Officer will register for release demands for cement upto 200 bags and will also assist consumers whose requirements are up to 400 bags and who have not received any supplies for over two months. The Cement Allocation Coordinating Organisation has also inserted advertisements in the Press requesting consumers to buy cement only from authorised stockists and not to pay more for cement.

श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या यह सच है कि सीमेंट के निर्माता रुपये के अवमूल्यन के कारण सीमेंट के लिये अधिक दामों की मांग कर रहे हैं, यदि हां; तो किस हद तक और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुझे ऐसी किसी मांग की जानकारी नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या यह सच है कि तृतीय योजनावधि में हम सीमेंट के उत्पादन में बुरी तरह असफल रहे हैं जो कि केवल 16 लाख टन है जबकि हमारा लक्ष्य 50 लाख टन का था और हमने चतुर्थ योजना के लिये 250 लाख टन का लक्ष्य रखा है जो कि एक स्वप्न बन कर रह जायेगा ? इस कम उत्पादन के लिये कारखानों की बेकार क्षमता कहां तक जिम्मेदार हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह सच है और हम इसको मानते हैं कि मांग उत्पादन से कहीं अधिक है। मेरे पास वर्षवार आंकड़े नहीं हैं परन्तु जैसा कि मैंने पहले बताया हम आशा करते हैं कि चतुर्थ योजना के अन्त तक हमारा सीमेंट का उत्पादन 250 लाख टन हो जायेगा। यही कारण है कि मतभेद है, कि सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाना पड़ा है और सीमेंट निर्माताओं को अधिक मूल्य दिया गया था ताकि उनके पास विनियोजन के लिये फालतू पैसा बच सके। कर और अन्य व्यय के अतिरिक्त उनको प्रति वर्ष 4 करोड़ रु० की फालतू राशि विनियोजन के लिये मिल जायेगी। ऐसा करने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु प्रतिवर्ष 20 लाख टन उत्पादन के लिये लगभग 20 करोड़ रु० की आवश्यकता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : कारखानों को पूरी क्षमता पर न चलाने के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : लगभग 10 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जाता है ।

Shri Achal Singh : Is the hon. Minister aware that the Cement agents are selling the cement in black market at the rate of Rs. 16-18 per bag ?

Mr. Speaker : Are you talking of Agra or Delhi ?

Shri Tygi : The rate of Rs. 17 is prevailing in Meerut.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैंने इस सभा में बार-बार दोहराया है--माननीय संसद सदस्यों ने भी मुझे बताया है—कि व्यापारी सीमेंट को चोर बाजारी में बेच रहे हैं और हमने दिल्ली प्रशासन की जानकारी में भी यह बात लाई है । हाल ही में, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया–परन्तु यह चोर बाजारी का मामला नहीं है–मिलावट को रोकने के लिये भी विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा कुछ फर्मों पर छापे मारे गये हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारे मन्त्री किस अनोखे संसार में रहते हैं, क्योंकि जिस संसार में मैं और अन्य व्यक्ति रहते हैं उनका संसार उससे नहीं मिलता, क्योंकि सारे देश में सीमेंट के अन्दर चोरबाजारी की जा रही है, सीमेंट के भाव बढ़ गये हैं, इसके परिणाम स्वरूप छोटे उपभोक्ता और शिक्षा संस्थाओं को इमारत बनाने के लिये अपेक्षित सीमेंट नहीं मिलता है ? क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का विवरण सभा पटल पर रखा है जो सच्चाई से नहीं मिलता ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : चोरबाजारी के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ । जहाँ तक दूसरे आरोप का सम्बन्ध है, कि हम दूसरे संसार में रहते हैं, मेरा यह कहना है कि हम एक ही संसार अर्थात, कांग्रेस दल में रहते हैं ।

Shri Yashpal Singh : What solution Government have for the difficulty of the farmers ? The Construction of not a single Cinema house is today held up for want of cement where as the work of hundreds of tubewells is held up for want of Cement and Sir, if you permit me I can get the blackmarketeers arrested within ten minutes. The dealers are demanding Rs. 1800 for a spare part which costs Rs 600 only. If you give Rs. 1800 in cash you can get the Component just now but if you do not give, you may not get it even in one year. Sir, if you permit me and the hon. Minister accompanys me I can get them arrested just now.

Mr. Speaker : I give full liberty to the hon. Member.

Shri Yashpal Singh : Then ask him to accompany me. If you like I can give the name and number of the firms ?

Mr. Speaker : There is no question of my permission in it.

भारती कपड़ा मिल, पांडिचेरी

\+

*543. **श्री मौर्य :** **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **श्री मधु लिमये :**

क्या वाणिज्य मन्त्री 29 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1443 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाँडिचेरी के श्री भारती कपड़ा मिल के काम काज की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-ए० के अन्तर्गत मिल को अधिकार में लेकर एक प्राधिकृत नियन्त्रक के अधीन कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Maurya : Sir, may I know when this mill was taken over by Government and whether there has been any improvement in its position/condition since then or it has further worsened ?

Shri Manubhai Shah : Since it was taken over only one month back I can not say whether there has been any improvement in its position. But I may however, assure the House that the work is in progress now. All the labour will be re-employed and the production will be carried on vigorously.

Shri Maurya : How does the present position of the mill in regard to its strength and production compares with that of previous position.

Shri Manubhai Shah : Previously there were 1200 to 1400 labourers out of which 600 have already joined and the remaining 600 will be joining shortly.

Shri Madhu Limaye : This is a question which has been put by me 50 times and the hon. Minister had already given an assurance in this regard. Such companies and mills are taken over by Government and after making certain improvements in their conditions they are again handed over to such persons who again raze them to ground as has happened in the case of Jayanti Shipping Company and Indoo Group of mills. The hon. Minister had given an assurance to the House some time back that in case there was any need to make amendment in the constitution in regard to this matter, a bill would be brought before the House. Will such a bill be brought before the House in the next Session ? If they give an assurance to this effect to the House, I will bring less number of privilege motions in the coming Session.

Shri Manubhai Shah : Draft of tfie bill is ready and it will be brought forward shortly.

श्री कंडप्पन : मिल को अपने अधिकार में ले कर सरकार ने अच्छा ही किया है । सरकार को इस उद्यम में कितना धन लगाना पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : लगभग 45 लाख रुपये ।

श्री उमानाथ : क्या श्रमिकों को पुन: रखने की शर्तों के बारे में मिल में मजदूर संघों से कोई बातचीत हुई थी ? यदि, नहीं, तो क्या इस बारे में उन से बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मनुभाई शाह : सभी श्रमिकों को पुरानी शर्तों पर पुन: रखा जायगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या काफी समय से बन्द पड़ी अन्य मिलों के बारे में जांच करने के लिये कोई आदेश दिये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कौन सी मिलें ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्यों में कई मिलें बन्द पड़ी हुई हैं।

श्री मनुभाई शाह : मुख्य प्रश्न पांडिचेरी में एक मिल विशेष के बारे में है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अन्य राज्यों में ऐसी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं। क्या सरकार इनकी जांच करायेगी और इन मिलों को भी अपने अधिकार में ले लेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न एक मिल विशेष के बारे में है। अगला प्रश्न।

स्कूटरों और कारों के दाम

+

*546. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री गुलशन :**

श्री मे० क० कुमारन :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कारों, स्कूटरों तथा अन्य मोटरगाड़ियों की निर्माण लागत के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं तथा उन के मूल्यों में कमी कर के उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कितनी सम्भावना है ; और

(ग) विभिन्न उन्नत देशों में, विशेषकर, अमरीका, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन में निर्मित मोटर गाड़ियों के मूल्य की तुलना में भारत में बनी उस प्रकार की मोटर गाड़ियों की निर्माण लागत कितनी अधिक अथवा कम है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : भारतीय मोटर गाड़ियों की लागत के ढांचे का हाल में कोई भी अध्ययन नहीं किया गया। विभिन्न मोटर गाड़ियां बनाने वाले कारखानों की लागत का पिछला अध्ययन 1962 में किया गया था। अब प्रशुल्क आयोग से यह कहा गया है कि वह उत्पादन लागत की जांच शुरू करे और विभिन्न किस्मों की गाड़ियों के उचित बिक्री मूल्यों के बारे में सिफारिश करे। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर शीघ्र ही उनके मूल्य कम हो जाने की कोई संभावना नहीं जान पड़ती है।

(ग) भारत में बनाई गई विभिन्न किस्मों की मोटर गाड़ियों के कारखाने से चलते समय के खुदरा मूल्य तथा उसी प्रकार की अन्य देशों में अथवा लगभग उसी नमूने की अन्य गाड़ियों के मूल्य निर्माताओं ने निम्न प्रकार बताए हैं :—

गाड़ियां	कारखाने से चलते समय के खुदरा मूल्य		
	भारत में	निर्माण करने वाले देश में (जो ब्रैक्टों में दिखाये गये हैं)	
कारें	रु०	रु०	
हिन्दुस्तान एम्बासेडर	14,051	10,031	(ब्रिटेन)
फिएट 1100 डी	12,539	8,092	(इटली)
स्टैंडर्ड हेराल्ड	12,646	11,476	(यू०के०)

व्यापारी गाड़ियां			
बेडफोर्ड 167" डब्ल्यू०बी०	28,699	18,878	(यू० के०)
डाज 165" ,, ,,	30,184	22,324	(यू० के०)
टी० एम० बी० 165" ,,	32,490	37,125	(जर्मनी)
ली लैण्ड 'कामेट' 165" डब्ल्यू० बी०	41,416	35,301	(यू० के०)
स्टैंडर्ड 1-टन	16,409	11,624	(यू० के०)
जीप गाड़ियां			
जीपें	14,792	12,168	(संयुक्तराज्य अमेरिका)
जीप ट्रकें	15,025	14,230	(संयुक्त राज्य अमेरिका)
मोटर साइकिलें			
रायल एन्फील्ड 350 सी० सी०	4,546	4,391	(यू० के०)
173 सी० सी०	2,371	2,182	(यू० के०)
जावा 250 सी० सी०	3,198	7,280	(चैकोस्लावाकिया)
50 सी० सी०	1,283	2,912	(चैकोस्लावाकिया)
राजदूत 173 सी० सी०	2,617	2,100	(पोलैण्ड)
स्कूटर			
लैम्ब्रेटा	2,272	2,085	(इटली)
वेस्पा	2,311	1,813	(इटली)
फैन्टाबुलस	2,604	2,691	(यू० के०)
३-व्हीलर			
लैम्ब्रेटा	3,626	3,750	(इटली)
वैस्पा	5,800 (कैब सहित)	3,214	(इटली)

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि भारत और संयुक्त अरब गणराज्य में "फिएट" कारों का निर्माण एक साथ आरम्भ हुआ था परन्तु अब मालूम हुआ है कि संयुक्त अरब गणराज्य में निर्मित कारें भारत में निर्मित कारों से बहुत सस्ती हैं ? इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुझे यह तो मालूम नहीं है कि अब वहां क्या मूल्य हैं परन्तु हमें सूचना दी गई है कि दिसम्बर, 1965 में इसका मूल्य 1²,300 रुपये था।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि रेनाल्ट कारखाने ने, जो विश्व भर में बहुत ही कार्यकुशल कारखानों में से एक है और जहां 5,000 रुपये प्रति कार की लागत से एक मिनट में दो कारों का निर्माण किया जाता है, भारत में छोटी कारों का निर्माण करने की प्रस्तावना की थी और यदि हां, तो रेनाल्ट कारखाने की इस पेशकश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सभा में प्रश्नों तथा आधे घंटे की चर्चा के रूप में इस मामले पर कई बार विचार किया जा चुका है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने छोटी कार का निर्माण करने के बारे में निर्णय कर लिया है अथवा नहीं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जब से मन्त्री महोदय ने पिछले सप्ताह आधे घंटे की चर्चा के दौरान एक वक्तव्य दिया था तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

Shri Gulshan : The cars, scooters and other automobiles which are produced in foreign countries are cheaper than those manufactured in India, though the material used is the same ? May I know the reasons therefor ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कई कारण हो सकते हैं। एक कारण कराधान हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यहां उत्पादन बहुत कम होता है। मेरे विचार में जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा मूल्य कम होते जायेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार इस बात को मानती है कि स्कूटरों और कारों की अधिक लागत मुख्यतः इस कारण है कि सहायक उद्योगों का संतोषजनक विकास नहीं हुआ है, कर बहुत अधिक हैं और कारों के निर्माण करने की क्षमता बेकार पड़ी हुई है अथवा इस क्षमता को बढ़ाने के लिये गुंजाइश नहीं है ? यदि ऐसा है, तो सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सहायक उद्योगों का संतोषजनक विकास हुआ है और इस सम्बन्ध में निश्चित किये गये लक्ष्यों को पूरा किया गया है। करों के बारे में मैं पहले एक दिन आंकड़े दे चुका हूं। मेरे विचार में करों की दर बहुत ऊँची है। कच्चा माल भी बहुत मंहगा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यदि क्षमता बढ़ायी जाय तो उत्पादन लागत में बचत होगी।

अध्यक्ष महोदय : शायद उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है कि निर्मित होने वाली कारों की संख्या इतनी अधिक नहीं है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Some hon. Members have supported the high prices on the plea that the Tax structure is very high. If they look into the statement submitted by the Minister, they will find that the ex-factory price of these cars in India is very high than that prevailing in foreign countries. Moreover, third class fiat cars are being manufactured now. May I know as to why Government has increased their price instead of reducing it ? Is it also a fact that Government is again thinking of increasing their price ?

श्री रंगा : कर की दर भी बहुत ऊंची है।

Shri Bhagwat Jha Azad : I am asking him to read the statement.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कर लगाने से पहले कारखाने के मूल्य के बारे में अध्ययन किया गया है और मालूम हुआ है कि एम्बैसेडर तथा फिएट कारों के पुर्जों तथा कच्चे माल पर क्रमशः 2,114 रुपये तथा 2,109 रुपये के कर लगाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कार पर लगने वाले कर के अलावा होते हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ये कर तो पुर्जों तथा कच्चे माल पर लगते हैं। इसके अलावा उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय विक्रय कर, राज्य विक्रय कर आदि भी लगाये जाते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इन दोनों कारों की किस्म उत्तरोत्तर घटिया होती जा रही है और बढ़ते हुए मूल्यों के संदर्भ में माननीय मन्त्री ने एक बार कहा था कि इन की किस्म पर तकनीकी विकास के महा निदेशक द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। मैं नहीं जानता कि तकनीकी विकास के महा-निदेशक इन की किस्म पर कैसे नियंत्रण रखता है। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान वाणिज्य तथा-उद्योग मंडल के संघ के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि अवमूल्यन के फलस्वरूप कारों के मूल्य में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो मेरी समझ में नहीं आता कि अवमूल्यन के फलस्वरूप कारों के मूल्यों में वृद्धि क्यों की जाय विशेषकर जब सरकार मूल्यों पर नियंत्रण रखना चाहती है? इस पर भी सरकार ने सभी कारों के मूल्यों में वृद्धि करना उचित समझा है। क्या सरकार कारों की किस्म तथा बढ़े हुए मूल्यों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सी० के० डी० पैक का मूल्य बढ़ गया है.........

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या तकनीकी विकास के महा-निदेशक कारों की किस्म पर कोई नियंत्रण रखते हैं अथवा नहीं और क्या संघ के अध्यक्ष ने ऐसा कहा है अथवा नहीं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैंने संघ के अध्यक्ष के वक्तव्य को नहीं देखा है। मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इतनी अज्ञानता ! कृपया वह सभा में न आया करें।

Shri Bagri : If he has not seen the statement, then what he has seen.

Shri Bhagwat Jha Azad : He should first read the whole statement and then speak.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुझे विवरण पढ़ना चाहिये अथवा नहीं, यह एक अलग मामला है। मैं यह बता रहा हूँ कि मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं।

Shri Bagri : Go on pleasing the Birlas.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : आयात किये जा रहे सी० के० डी० पैक का मूल्य बढ़ जाने से हिन्दुस्तान एम्बैसेडर के मूल्य (रु० 318) में वृद्धि हो गई है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इसका उत्तर नहीं दिया गया कि तकनीकी विकास के महा-निदेशक कारों की किस्म पर कैसे नियंत्रण रखते हैं।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : तकनीकी विकास महा निदेशालय का एक विशेष अधिकारी निरीक्षण करता है, परन्तु पिछली बार श्री माथुर तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये इस प्रश्न के पश्चात अब हम इनका सैनिक संस्थाओं में परीक्षण कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैंने तकनीकी विकास महा-निदेशालय के सभी कार्यों का अध्ययन किया है। इस निदेशालय को कारों की किस्म पर नियंत्रण रखने का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वहां पर एक विकास खण्ड है और एक विकास अधिकारी है जो कारखानों में जाता है तथा अध्ययन करता है..........(अन्तर्बाधा)

श्री भागवत झा आजाद : कितने ?

श्री बासप्पा : मैसूर के मुख्य मन्त्री ने छोटी कार के बारे में जो प्रस्ताव रखा था वह किस स्थिति में है; क्या मंजूरी दे दी गई है ? आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं ?

श्री विभुदेन्द्र मिश्र : मुख्य मंत्री का प्रस्ताव विचाराधीन है। मुख्य मन्त्री ने स्वयं कहा है कि सात अथवा आठ कारों का निर्माण कर उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिये उनका परीक्षण किया जाना चाहिये।

Shri Maurya : May I know the price, quality and incidence of Government levies on Fiat cars 10 years ago in comparison to the present price, quality and incidence of Government levies and also the proportion by which the price and taxes have increased since then ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : किस्म के बारे में मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ।

श्री मौर्य : वह किस्म के बारे में उत्तर क्यों नहीं दे सकते ? उन्हें किस्म का पता होना चाहिये। वह हमें बतायें कि क्या किस्म पहले से अच्छी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर सुनने दीजिये। वह बैठ जाय।

श्री मौर्य : क्या वह किस्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते ? एक मन्त्री होने के नाते उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि वह किस्म के बारे में नहीं कह सकते। वह इस बारे में क्यों नहीं कह सकते ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह उनसे उत्तर बलप्रयोग द्वारा लेना चाहेंगे ? उन्हें पहले उत्तर देने दीजिये। फिर हम देखेंगे कि यदि किसी और बात की आवश्यकता है। मैं पहले माननीय सदस्य से कहूँगा कि वह बैठ जायें।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जब मैंने यह कहा कि मैं किस्म के बारे में नहीं बता सकता तो मेरे कहने का आशय "10 वर्ष पूर्व और अब की किस्म" से था।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य ज्ञान की बात है। मन्त्री महोदय यह क्यों कहते हैं कि वह इस बारे में नहीं कह सकते ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : 10 वर्ष पूर्व और अब की किस्म के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : इस से कौन इन्कार कर सकता है कि अब पहले से घटिया किस्म की कारें बन रही है ? मन्त्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिये कि वह किस्म के बारे में नहीं बता सकते। यह बात सभी जानते हैं।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वह चाहते हैं कि दस वर्ष पूर्व की कार की किस्म की अब बन रही कार की किस्म से तुलना की जाय। इसीलिये मैंने कहा था कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता।

अध्यक्ष महोदय : खेद है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वह 10 वर्ष पूर्व की किस्म के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि वह कोई विशेषज्ञ नहीं हैं।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैंने ऐसा इसलिये कहा क्योंकि प्रश्न था : "दस वर्ष पहले क्या किस्म थी ?"

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, प्रश्न यह था कि 10 वर्ष पहले जो किस्म थी उसमें अब कोई घटियापन आ गया है ?

श्री भागवत झा आजाद : जो किस्म 10 वर्ष पूर्व थी, वह तो सभी जानते हैं। प्रश्न यह है कि मूल्य बढ़ रहा है परन्तु किस्म बिगड़ती जा रही है............ **(अन्तर्बाधा)**

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वर्ष 1957 से ले कर अब तक मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसके विभिन्न कारण हैं। मेरे पास विवरण है परन्तु वह लम्बा बहुत है। यदि मुझे अनुमति दी जाय तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री मधु लिमये।

मजूरी भुगतान अधिनियम

+

*547. श्री मधु लिमये : श्री किशन पटनायक :

श्री उटिया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में रेलवे के कितने मामले हैं;

(ख) इस मुकदमेबाजी के परिणाम स्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या इन मुकदमों के सम्बन्ध में न्यायालयों के निर्णयों को देखते हुए कर्मचारियों के दावों की जांच करने के लिये कोई व्यवस्था करने का रेलवे का विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1964 और 1965 में मजदूरी अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में रेलवे के क्रमशः 1837 और 973 मामले थे।

(ख) 1964 और 1965 में रेलों द्वारा 72,697.58 रुपये खर्च किये गये।

(ग) इस तरह के मामलों में अदालती निर्णयों को देखते हुए रेल कर्मचारियों के दावे निबटाने के लिए रेलों पर उपयुक्त व्यवस्था मौजूद है।

Shri Madhu Limaye: I think, a huge sum of money is being spent on Railway lawyers and by way of fines etc. imposed by courts. Will the Minister, therefore, let us know the details of the expenditure being incurred by Railways on litigation ?

Dr. Ram Subhag Singh : I will lay on the Table of the House all those details which are asked by him.

Mr. Speaker : He may lay them on the Table of the House.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister says that suitable machinery already exists on Railways for examining the workers' claims. Were the Trade Unions of Railway workers invited for talks in this connection ? What arrangements exist for examining the workers' claims and whether any reforms or changes can be brought about in regard thereto ?

Dr. Ram Subhag Singh : As the hon. Members are aware, a permanent negotiating machinery exists on Railways for this purpose. Whenever there is any complaint, it is examined at every stage, negotiations are held and it is included in the agenda. All these things are taken up in consultation with the Federations and the Unions of workers and are discussed fully.

Shri Madhu Limaye : If it has not been done so far, may I know whether ths matter will be looked into and a change brought about in the expenditure on this account ?

Dr. Ram Subhag Singh : How can I say about any change now. All the complaints are made by the Federation and the Zonal Unions......

Shri Madhu Limaye : If I bring some complaints to your notice, he should examine them also.

Dr. Ram Subhag Singh : Only if they are received through the Federation.

Shri A. P. Sharma : Has any responsibility been fixed on those persons who commit

such ommissions as a result of which the Railways have to pay compensation under the Payment of Wages Act and if so, what action is being taken against them ?

Dr. Ram Subhag Singh : There is no question of taking any action against anybody. There are about 18 lakhs of Railway employees including labourers. The number of such cases during the year 1965 is only 973. Therefore, if there is any misunderstanding that can be looked into, but how should action be taken against them ?

श्री श्र० प्र० शर्मा : मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत, यदि रेलवे से मजदूरों को मुआवज़ा और मजूरी का भुगतान कराया जाता है तो समय पर भुगतान न करने के लिये कोई न कोई व्यक्ति अवश्य जिम्मेदार होना चाहिये और यदि ऐसा है तो, कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये चाहे वे कोई भी हों, और कार्यवाही की जानी चाहिये। 100 से ऊपर मामले हैं। अच्छा होगा यदि सरकार जिम्मेदारी निर्धारित कर दे ताकि मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत एक भी मामला न रहे। क्या सरकार ऐसा करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे संभव है कि एक भी मामला न हो ?

श्री श्र० प्र० शर्मा : मामलों की संख्या कम होगी।

अध्यक्ष महोदय : मामलों की संख्या कम हो सकती है। परन्तु यह किस प्रकार संभव है कि एक भी मामला न हो ? निर्वचन के सम्बन्ध में वकीलों में हमेशा मतभेद होता है।

डा० रानेन सेन : सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत मामले धीरे धीरे घटते जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि निजी क्षेत्र में भी उन्होंने अपने प्रबन्ध और संगठन को इस तरीके से ढाला है कि मामलों की संख्या घटती जा रही है। परन्तु रेलवे में जो कि सब से बड़ा सरकारी संगठन है, जिसको बहुत ही कार्यकुशल संगठन समझा जाता है, मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की संख्या में क्यों कोई कमी नहीं हुई है ?

डा० राम सुभग सिंह : यहां भी 1964 में कुल मामले 1837 थे और 1965 में इनकी संख्या घट कर 973 हो गई। अतः यहां पर भी मामलों की संख्या में कमी हुई है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह बात माननीय मन्त्री की जानकारी में लाई गई है कि जब नैमितिक मजदूरों को भुगतान किया जाता है, चाहे दक्षिण पूर्व रेलवे में या अन्य किसी रेलवे में, कभी कभी उनको 5 या 10 रु० कम भुगतान किया जाता है, क्योंकि उसकी कोई जांच नहीं करता है और यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनको सही भुगतान किया जाये, पर्याप्त कदम उठाये गये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि गलत भुगतान का कोई मामला हमारी जानकारी में लाया जाता है तो हम उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मजूरी भुगतान अधिनियम में गत सत्र में संशोधन करने के बाद सरकार को बुकिंग क्लर्कों, टिकट कलेक्टरों और कैश क्लर्कों के छोटे छोटे वेतनों में से, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाये गये जाली नोटों को स्वीकार करने या अपने स्वयं के कैश काउंटरों से चोरी करने के अपराध में कटौती करने से कोई आर्थिक लाभ हुआ है।

डा० राम सुभग सिंह : यह आपका अनुभव होगा। हमारा ऐसा अनुभव नहीं है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आप कहिये कि आपके पास जानकारी नहीं है। क्या आप उस

मामले में संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा जो रुपया चुराया जाता है ......

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आप अब लिख सकते हैं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । मैं उनको लिखूंगा । परन्तु बात केवल यह है कि माननीय रेलवे मन्त्री मामले में कई वर्ष लगा देते हैं और कोई परिणाम नहीं निकलता ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे उसकी एक प्रति भेज दें । अगला प्रश्न ।

स्टेपल फाइबर का आयात

+

*548. **श्री मधु लिमये** : **श्री बागड़ी** :

श्री किशन पटनायक : **डा० राम मनोहर लोहिया** :

क्या वाणिज्य मन्त्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेपल फाइबर के आयात के लिये लाइसेंस देने के बारे में जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) सरकारी विनियमों का उल्लंघन करने के लिये किन-किन फर्मों को दोषी पाया गया है और इनको क्या दण्ड दिया गया है ; और

(घ) ऐसे उल्लंघन फिर न होने पायें इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : मामले की अब भी जांच हो रही है ।

(घ) 1 जनवरी 1965 से सूती वस्त्र निर्यात योजना के अधीन गैर विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात करने की इजाजत नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Hon. Minister has got anv information that at what rate the staple fibre which was imported is being sold in the black market at present ? At what premium it is being sold ?

Shri Manubhai Shah : It is being sold at higher rates.

Shri Madhu Limaye : What is the premium ?

Shri Manubhai Shah : The price is not stable, it fluctuates daily.

Shri Madhu Limaye : What is the price at this moment ?

Shri Manubhai Shah : I can not tell at this moment.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the manipulations took place in some concerned office of the Ministry, i.e., the office of the Textile Commissioner or was there some other mode of manipulation ?

Shri Manubhai Shah : That I will tell after the investigation is completed. But we are taking stringent action in this matter.

Shri Onkar Lal Berwa : By what time the investigation will be completed and what are the reasons for not completing it by now ?

Shri Manubhai Shah : I cannot say by what time it will be completed but it will be completed very soon.

Shri Onkar Lal Berwa : Ten years or twenty years-when it will be completed ?

Shri Manubhai Shah : The investigation was started only a few days back and it is being done by the police and the Central Board of Intelligence. Further action will be taken soon after it is completed.

कोटा-चित्तौड़गढ़ बड़ी (ब्राडगेज) लाइन

+

*549. **श्री यशपालसिंह** :

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोटा-चित्तौड़गढ़ बड़ी (ब्राडगेज) रेलेवे लाइन के निर्माण की मन्जूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइन कब तक तैयार हो जायेगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी हाल में कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच (बड़ी/मीटर लाइन) रेलवे लाइन के लिए नये सिरे से यातायात सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। अभी यह कहना असामयिक होगा कि चौथी योजना में इस लाइन के निर्माण का काम शुरू किया जायेगा अथवा नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : It is always the policy of the Government to give evasive replies. Whenever a question is asked they put it off for the future. The House wants to know what definite period has been laid by Government for taking up this work.

Shri Sham Nath : That is not the thing. Its survey commenced in 1965. Afterwards some representations were received in which request was made that this line should touch at two or three more places. Therefore, another alignment was proposed and that was surveyed. Now that report is under consideration by the Board.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the fact that during the summer season when hot winds are blowing the Railway line is covered by sand and the trains are run after removing the sand and speed of the trains is reduced even lower to that of the bullock carts, if so, the steps that are being taken in the mean time to solve the difficulty ?

Shri Sham Nath : That is a different question as to what can be done. In areas where there is no railway line, the question of its being covered does not arise and if in areas having a railway line the terrain is such that nobody can help it.

Shri Onkar Lal Berwa : How much money has been spent on this line and what amount has been earmarked for this purpose in the next plan and what is the latest progress ? Has devaluation affected it in any way ?

Shri Sham Nath : I do not have the figures relating to the expenditure made on survey, but my idea is that Rs. 1·50 2 lakhs might have been spent.

Shri Onkar Lal Berwa : What amount has been alloted now and will the cut in expenditure and the devaluation have any effect on it ?

Shri Sham Nath : Devaluation will not affect it.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the latest progress ? Why not close it ?

The State Minister in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : The question of closure does not arise at this moment. The survey has been made and that is being examined.

Shri Onkar Lal Berwa : What about expenditure ?

Dr. Ram Subhag Singh : Until the survey report is considered the question of sanctioning it does not arise.

Shri U. M. Trivedi : The survey of Kotah line is going on for a very long time-perhaps since 1937. After that in 1952 when this point was raised that from Gothra to Ratlam doubling has been done in such areas as are sparsely populated, then at that time it was suggested that a direct line should be constructed from Ahmedabad to Kotah via Kaparvanj, Lunavada, Vansvada, Pratapgarh, Neemach and Chittorgarh. Why this survey was not completed and do Government propose to get this survey done ?

Shri Sham Nath : So far as Kotah-Chittorgarh line is concerned, it was first surveyed in 1955-56. At that time after the examination of that report it was felt that this line would not be remunerative and hence it was given up. After that some representations were received and this line was again surveyed in 1965.

Shri M. L. Varma : Kotah-Chittorgarh railway line had been senctioned in 1948 and the construction work of the line was also started, but in the meanwhile it was changed and the whole line was shifted to Kandla Port. I want to know why this was done and why a decision is not being taken to include it in the Fourth Five Year Plan when its survey has already been completed ?

Shri Sham Nath : I have no other information about it. As I stated the first survey about this link was made in 1955-56.

वालयार स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

\+

*550. **श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा :** **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर पोदनूर से ओलावकोट जा रही एक माल गाड़ी 21 मई, 1966 को वालयार स्टेशन पर पटरी से उतर कर उलट गई थी, और कुछ व्यक्ति मारे गये थे, तथा कुछ लोग घायल हो गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(घ) इसके परिणाम स्वरूप रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(ग) दुर्घटना में फायरमैन II की मृत्यु हो गई और ड्राइवर तथा फायर मैन I को चोटें पहुंची।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 2,29,290 रु० की क्षति होने का अनुमान है।

Shri Braj Bihari Mehrotra : May I know whether any compensation has been paid to the persons injured in this accident and if so, the amount thereof?

Shri Sham Nath : In this accident a fireman was killed and one driver and fireman received injuries and those persons will be given Compensation under the law.

Shri Braj Bihari Mehrotra : May I know whether an enquiry has been held to ascertain the cause of this accident, if so, what are the Causes?

Shri Sham Nath : The cause of the accident was that the train driver lost control of the train.

ईराक से व्यापार प्रतिनिधि-मंडल

+

*551. **श्री भागवत झा आजाद** : **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० च० बरुआ** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री बसुमतारी** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में ईराक से एक व्यापार प्रतिनिधि-मन्डल भारत आया था;

(ख) क्या किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जी, हाँ। मई में मेरे बगदाद से लौटने के बाद 29 मई से 6 जून, 1966 तक एक ईराकी व्यापार दल ने भारत का दौरा किया ताकि वह उस संयुक्त भारत ईराकी समिति की बैठक में भाग ले सके जिसकी व्यवस्था 13 दिसम्बर, 1962 के व्यापार करार के अनुच्छेद (7) के अन्तर्गत की गई है। कोई नवीन व्यापार करार नहीं किया गया अपितु समिति ने पहिले किये गये उस करार और बगदाद में हुई हमारी बातचीत की समीक्षा की जो सितम्बर, 1966 तक वैध है। समिति ने दोनों देशों के मध्य व्यापार के परिमाण को और बढ़ाने के अर्थोंपायों पर भी विचार किया।

Shri Bhagwat Jha Azad : What progress has been made in the import and export trade between India and Iraq since the reviewing of the working of the trade agreement with the Trade Delegation of Iraq after the negotiations held by the hon. Minister in Baghdad?

Shri Manubhai Shah : The import has increased from Rs. 163 lakhs to Rs. 225 lakhs and the export from Rs. 320 lakhs to Rs. 440 lakhs.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether as a result of the negotiations held with Iraq, there is any probability of our trade with that Country going up with respect to new items?

श्री मनुभाई शाह : मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति आरिफ के नेतृत्व में ईराक की नई सरकार दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने की बहुत इच्छुक है और उसने हमें आश्वासन दिया है कि वह अधिकाधिक भारतीय माल खरीदने का प्रयत्न करेंगे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल जिसमें भिलाई, हिन्दुस्तान स्टील और रेलवे के प्रतिनिधि शामिल थे, ईराक की

मण्डी का सर्वेक्षण करने के लिये वहां गया था और यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन मिल गया है और क्या करार में उस प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा।

श्री मनुभाई शाह : जी हां। ईराक पाकिस्तान तक रेलों को पहुंचाना चाहता था और इसके लिये हमने 540 मील लम्बी रेल पटरियों का टेन्डर दिया है और यदि बातचीत सफल हुई तो इसका मूल्य लगभग 6 करोड़ रु० होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : एक समय ईराक भारत से चाय आयात करता था, परन्तु आज वह लंका से चाय आयात करता है। क्या वहां की मण्डी में पुन: भारतीय चाय बेचने और ईराक को अधिक चाय निर्यात करने के लिये कोई प्रयास किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को गलत जानकारी दी गई है। ईराक लंका की चाय की अपेक्षा भारतीय चाय खरीदने का अधिक इच्छुक है।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : क्या ईराकी सरकार के साथ हमारे व्यापार करार के दौरान, कोई संकेत किया गया है या हमने कोई सुझाव दिया है कि ईराक में कुछ उद्योगों को चालू करने के लिये हमारे कुछ गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं का सहयोग लिया जाये और क्या इस पर भी विचार किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : हमने इस पहलू पर बातचीत की है, परन्तु दुर्भाग्य से ईराक में संयुक्त अरब गणराज्य, ईरान और लेबनान की अपेक्षा अधिक प्रगति नहीं हुई है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान बैरूत से छपने वाले इस सप्ताह के "**दी इक्नामिक टाइम्स**" में सम्पादक श्री पी० एस० हरिहरन द्वारा लिखे गये एक महत्वपूर्ण लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें मंत्रालय द्वारा किये गये अनेक बिलम्बों का उल्लेख किया गया है, यदि ये विलम्ब न किये जाते तो एशिया और अफ्रीका की मण्डियों में हमारा काफी माल लग सकता था और जिसमें बैरूत में हमारा अपना बैंक खोलने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया था ताकि इन सभी लाइनों और विशेष रूप से बैरूत की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : उस लेख के बारे में मेरा यह विचार है कि लेखक इस बात को नहीं समझते कि पहले 17 वर्षों में अफ्रीका या मध्यपूर्व में हमारा कोई कारखाना नहीं था। पिछले दो वर्षों में हमने 38 कारखाने स्थापित किये हैं।

श्री वी० चं० शर्मा : हाल ही में जब हमारे प्रधान मन्त्री ने संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया का दौरा किया था तो विज्ञप्ति में यह कहा गया था कि ये तीनों देश एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करेंगे। ईराक के साथ संयुक्त अरब गण राज्य की बड़ी मित्रता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर इन तीनों देशों द्वारा कोई संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जायेंगे और क्या केवल हमारे देश द्वारा स्थापित किये गये किसी उपक्रम की अपेक्षा उनको अधिक अनुकूल उत्तर मिलेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहाँ तक भारत और यूगोस्लाविया का सम्बन्ध है हमारा दोनों का तीसरे देश में सहयोग बहुत संतोषजनक चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा जहाँ तक ईराक का

सम्बन्ध है उस देश का औद्योगिक कार्यक्रम इतना सीमित है कि उस मण्डी में हम अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं।

Shri K. D. Malaviya : Is it a fact that although the total trade with Iraq is going up, the export of textiles from India to Iraq has declined during the last few years; if so, the reasons therefor ?

Shri Manubhai Shah : The hon. Member might be having such information, but I have no such information. According to the statistics that are with me there has been an increase in the export of this item.

रेलवे ज़ोन

\+
*552. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ज़ोन बनाने के लिये कोई निश्चित और विशिष्ट कसौटी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सन्दर्भ में रेलवे प्रशासन ने मीटर गेज ज़ोन स्थापित किये जाने की माँग तथा व्यावहारिकता के सम्बन्ध में जांच तथा मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) वर्तमान क्षेत्रीय प्रशासनों के कार्यभार को हल्का करने की आवश्यकता ही नया क्षेत्र बनाने की बुनियादी कसौटी है। नया क्षेत्र वहां बनाया जाता है, जहां प्रशासनिक और परिचालन सम्बन्धी कुशलता बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक और अपरिहार्य समझा जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रशासन अथवा परिचालन की दृष्टि से एक अलग मीटर गेज क्षेत्र बनाने की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या माननीय रेलवे मन्त्री श्री पाटिल ने जयपुर में जो विचार व्यक्त किए थे तथा सभा में भी इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसकी ओर ध्यान देंगे कि मेरी उनकी विचारधारा एक समान है तथा बतायेंगे कि इस विषय में आगे क्या प्रगति हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं समझता था कि माननीय सदस्य मीटर लाइन से बड़ी लाइन पर चले गये थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मीटर लाइन के लिये कोई अलग ज़ोन होगा। प्रश्न यह था कि क्या निकट या कभी भविष्य में राजस्थान में कहीं कोई अलग ज़ोन बनाने की सम्भावना है ? मेरे विचार में ऐसी सम्भावना है। अतः वे दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अलग ब्राड गेज का ज़ोन बनाने के लिये राजस्थान में बहुत सी लाइनें नहीं हैं। खैर मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने ऐसी सम्भावना व्यक्त की।

क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान तथा गुजरात के मुख्य मन्त्रियों को कुछ आश्वासन दिये जा चुके हैं तथा क्या उन्हें मालूम है कि दक्षिणी-मध्य ज़ोन विशेषतः राजनीतिक दबाव के कारण बनाया गया था।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री स० का० पाटिल : मुझे किसी आश्वासन का स्मरण नहीं है। न उस जोन को बनाने में ही कोई दबाव डाला गया था और न इसे बनाने में ही डाला जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know whether these private Railway lines such as Shahadra-Saharanpur, S. S. Light Railway, wherein grave mismanagement is prevalent, fall in some zone ? If not, what action is being taken by the Government to improve the situation ?

Shri Ram Subhag Singh : These private Railway Lines are out of the purview of Railway Administration and these do not fall under any Zone, because these are under private Companies. It is a fact that there has been much disturbance in Shahadra-Saharanpur Railway Line recently and suits were also filed. Now an agreement has been reached. We will certainly try to improve the situation there.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the Government do not pay as much attention to the Metre Gauge as it pays to the Broad Gauge ? Will the Government think over creating a seperate Zone for Metre Gauge ?

Dr. Ram Subhag Singh : Actually the hon. Member knows that there is already a Metre Gauge Zone in Gorakhpur.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों की भूख हड़ताल

अ० सू० प्र० 13.

+

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

श्री वासुदेवन नायर :

श्री किशन पटनायक

क्या खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो के 600 कर्मचारी 2 अगस्त, 1966 से नागपुर तथा अनेक कार्य-स्थलों पर भूख हड़ताल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें तथा मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) : (क) अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भारतीय भौमिकी विभाग के लगभग 200 कर्मचारियों ने 2 से 6 अगस्त के बीच समूहों में एक सांकेतिक अनशन किया और प्रत्येक समूह ने 24 घंटे का अनशन किया। ये अनशन नागपुर, चिल्लाटी, राखा, संदूर और टाटानगर में हुआ।

(ख) और (ग) यूनियन द्वारा सरकार को सूचित मुख्य मांगें हैं :— (1) मस्टर रोल कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना ; (2) मस्टर रोल कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का बढ़ाना ; (3) क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर माईन्स एक्ट में निर्धारित सभी लाभ देना ; (4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फील्ड इस्टेबिलशमेंट अलाउन्स देना ; (5) 1-1-1966 को एक्सप्लोरेटरी विंग के भारतीय भौमिकी विभाग में विलय के कारण कर्मचारियों की ग्रांत-

रिक वरीयता निश्चित करना ; (6) पूरी दर पर क्षेत्र कर्मचारियों को हाउसरेंट और सिटी कंपें-सेटरी अलाउन्स फिर से देना ।

इन मांगों की गृह, श्रम एवं वित्त मन्त्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है और सरकार इन पर शीघ्र निर्णय लेगी ।

इन मांगों के अतिरिक्त यूनियन ने 21 मांगों की एक और सूची पेश की जो उन्नति सीधी भर्ती वर्दियों को देने, क्षेत्र और मुख्यावास पर मकानों की व्यवस्था सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था, वर्कशाप में काम किये जाने के समय को घटाना, डाक्टरी सुविधाएं तथा कैंटीन का प्रावधान से सम्बन्ध रखती हैं ।

इन मांगों के द्वारा जो सुविधायें चाही गई हैं उनमें से कुछ दी जा चुकी हैं । उदाहरणत: स्थानीय निवासियों को छोड़कर मस्टर रोल तथा नियमित कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था, मुख्य कैंपों में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं तथा वर्कशाप कर्मचारियों के लिये कैंटीन की सुविधाएं, पदोन्नति के लिये विभागीय उम्मीदवारों को उमर तथा शैक्षाणिक योग्यताओं में रियायत । तथापि कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि स्पष्टत: पूरी नहीं की जा सकती जैसे कि वर्कशाप कर्मचारियों के सप्ताह में काम के 48 घंटों के स्थान पर 42 घंटे करना ; ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति देना ; अल्प-कालीन तथा अस्थायी रूप से की गई पदोन्नति को पूर्वकालिक बनाना ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि मान्यता प्राप्त 'इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स' के 'कर्मचारी संघ' ने भूख-हड़ताल करने से पहिले इन मामलों को बातचीत के द्वारा सुलझाने का हर सम्भव प्रयत्न किया ? यदि हां, तो स्थानीय प्रबन्धकों ने उनके साथ बातचीत के द्वारा समझौता क्यों नहीं किया और यह प्रश्न आन्दोलन तथा भूख हड़ताल करने के लिये कर्मचारियों पर ही क्यों छोड़ दिया गया ? बातचीत के द्वारा समझौता क्यों नहीं हुआ ?

श्री सु० कु० डे० : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है । मैं जुलाई के आरम्भ में नागपुर गया था और वहां पर मैंने संघ के नेताओं से उनकी माँगों पर बातचीत की तथा मैंने उन्हें बताया कि उनके लिये तुरन्त क्या कुछ किया जा सकता है । स्वभावत: हमें आशा थी कि वे विरोध में प्रदर्शन करने की अपेक्षा हमें कुछ समय देंगे । मुझे इस प्रदर्शन पर खेद है । सरकार जो कुछ कर सकती है, उस पर विचार किया जा रहा है और कुछ माँगे मान ली गई हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : उनकी प्रथम मांग यानी मस्टर रौल पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी बनाने तथा उनकी सेवाओं को नियमित करने पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

श्री सु० कु० डे : मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के कार्य क्षेत्र के अनुसार मस्टर रौल के सभी कर्मचारियों को नियमित करना सम्भव नहीं हैं । वहां मस्टर रौल पर 3500 कर्मचारी हैं तथा वे मस्टर रौल पर ही रहेंगे, यद्यपि रिक्त स्थानों के होने पर तथा अधिमान आदि की आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर हम उनके लिये हर सम्भव प्रयत्न करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार उन्हें छंटनी के विरूद्ध आश्वासन दे रही है ? संरक्षण की आवश्यक व्यवस्था न होने पर यह सब उपद्रव हुये हैं ।

श्री सु० कु० डे : जब हम कोई क्षेत्रीय परीक्षण कार्यक्रम आरम्भ करते हैं--जो अधिकांशत

दुर्गम स्थानों के लिये होते हैं— अनियत मजदूर अनियत कार्यों के लिये भर्ती किये जाते हैं तथा बहुत सारे लोग स्थानीय क्षेत्रों से भर्ती किये जाते हैं। ये क्षेत्रीय दल इन सभी स्थानीय अनियत मजदूरों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में अपने साथ कैसे ले जा सकेंगे ?

श्री वासुदेवन नायर : सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कब से विचार कर रही थी तथा अभ्यावेदन कब मिला ? अत्यधिक बढ़ते हुये मूल्यों को ध्यान में रख कर, विशेषतः इन मस्टर रौल पर रखे गये कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिये सरकार क्या कुछ करना चाहती है ?

श्री सु० कु० डे : मैं पहिले प्रश्न के द्वितीय भाग यानी सरकार मस्टर रौल पर रखे गये कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि के लिये क्या कुछ करना चाहती है, का उत्तर दूंगा। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि विभिन्न सरकारी संगठनों के लिये अनियत मजदूरों के वेतन अलग से नहीं तय किये जाते। हर राज्य द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया है और उसके अनुसार चलने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है। केन्द्रीय कर्मचारियों को साधारणतः राज्यों के द्वारा निर्धारित किये गये निम्नतम वेतन दरों से कुछ अधिक मिलता है।

जहाँ तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, जब मस्टर रौल पर क्षेत्रीय कैम्पों में कर्मचारी भर्ती किये जाते हैं तो हम उन्हें हर सम्भव सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं।

श्री वारियर : कर्मचारियों की शिकायतें सरकार के पास कब से आई पड़ी हैं ? मन्त्री महोदय के हस्तक्षेप से पहिले स्थानीय अधिकारियों ने कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने के लिये तथा उन्हें आन्दोलन करने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सु० कु० डे : बहुत सारी मांगें मान ली गई हैं।

श्री वारियर : मांगें कब से विचाराधीन पड़ी रही ?

श्री सु० कु० डे : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मांगों पर उच्चाधिकारियों को विचार करना होता है। स्थानीय संगठन इन पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। वास्तव में मेरा मन्त्रालय भी कुछ विषयों पर एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि इन पर श्रम मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय तथा दूसरे संगठनों के साथ ही विचार करना होता है। ये मांगे बार-बार रखी गई तथा सम्भवतः वे एक महीने से एक साल तक विचाराधीन रही। कुछ मामले इससे पुराने भी हो सकते हैं। मैंने अपने मन्त्रालय में सभी मांगों पर तात्कालिक कार्यवाही करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं। हम मांगों को या तो मान लेते हैं या अस्वीकार कर देते हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या ये कर्मचारी किसी ऐसे केन्द्रीय व्यापार संघ संगठन से सम्बन्धित हैं, जिसने अपनी आचार संहिता बनाते समय मांगें मनवाने के लिये भूख हड़ताल न करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें इस प्रकार की आचार संहिता का स्मरण कराया गया है और इस पर उनका क्या जवाब आया ?

श्री सु० कु० डे : मुझे ठीक पता नहीं है कि वे कौन से व्यापार संघ से सम्बन्धित हैं तथा हमने इस बात की भी जांच नहीं की कि उन्होंने व्यापार संघ संहिता का उल्लंघन किया या नहीं।

श्री बसुमतारी : लम्बे लिखित उत्तर तथा अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि खान तथा धातु कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और वे बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। क्या सरकार दूसरे कारखानों तथा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा इन कर्मचारियों को अधिक वेतन देने पर विचार कर रही है ?

श्री सु० कु० डे : जहाँ तक आर्थिक संसाधनों का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि देश बड़े संकट से गुजर रहा है। मेरी हार्दिक कामना है कि देश काफी धनवान होता और कर्मचारियों को आज दिये जाने वाले वेतन से बहुत अधिक वेतन दे सकता। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण की अन्वेषण शाखा के कर्मचारियों को राज्य संगठनों में समान स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों से अच्छे वेतन मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य : राज्यों में भू-विज्ञान सर्वेक्षण शाखा नहीं है।

श्री दाजी : कुछ मांगों पर विचार करने के लिये समय निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। उनकी मांगों में से एक मांग यह भी है कि जो कर्मचारी दूर जंगलों में काम कर रहे हों उन्हें नियमित रूप से हर महीने वेतन मिलना चाहिये न कि छः छः महीने में और उन्हें राशन भी वहीं मिलना चाहिये जहाँ वे काम कर रहे हों। क्या यह मांग मान ली गई या नहीं ?

श्री सु० कु० डे : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कर्मचारियों को छः महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है। मैं पिछले कुछ महीनों में कई क्षेत्रीय शिविरों में गया किन्तु यह प्रश्न मेरे समक्ष नहीं आया। माननीय सदस्य चाहें तो मैं दूसरी जांच करूँगा। किन्तु मेरे विचार में यह निराधार है।

श्री दाजी : मैं स्वयं लिख चुका हूँ।

श्री सु० कु० डे : मुझे कोई ऐसा मामला नहीं मिला।

श्री अ० प्र० शर्मा : मन्त्री महोदय ने कहा है कि इन अनियत कर्मचारियों के वेतन दरों का सम्बन्ध उनके मन्त्रालय से न होकर श्रम मन्त्रालय तथा वित्त मंत्रालय से है। ये दरें विभिन्न राज्यों से परामर्श करने के बाद तय की जाती हैं। ये दरें किस वर्ष तय की गई थीं और क्या सरकार मूल्य वृद्धि को देखते हुये इन दरों पर पुनर्विचार कर रही है ?

श्री सु० कु० डे : राज्य सरकारें मजदूरों के वेतन दरों पर निरन्तर पुनर्विचार करती रहती हैं। कुछ श्रेणियों में वेतन नियत करने के लिये हमने भी कुछ छूट दे रखी है।

श्री अ० प्र० शर्मा : ये दरें पहिले कब तय की गई थीं ?

श्री सु० कु० डे : मैं यह नहीं बता सकता।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री सु० कु० डे : दरें हर राज्य में बदलती रहती हैं। मैं इनके बारे में कैसे जान सकता हूं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमावर्ती राज्यों में रलवे लाइन

*541 **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सीमावर्ती राज्यों में कितने मील लम्बी रेलवे लाइनें हैं;

(ख) क्या जम्मू तथा काश्मीर में रेलवे लाइनें बनाने का काम पूरा हो चुका है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सीमावर्ती राज्यों में रेलवे लाइनें बिछाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) रेलवे से सम्बन्धित सूचनाएं केवल अलग-अलग रेलवे के आधार पर संकलित की जाती हैं और राज्यों के आधार पर नहीं। इसलिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य को रेल से मिलाने के लिए माधोपुर-कठुआ रेल-सम्पर्क लाइन का निर्माण, जिसमें रावी नदी पर पुल भी शामिल है, हाल में पूरा किया गया है और यह लाइन 20-1-1966 से यातायात के लिए खोल दी गई है। कठुआ से आगे जम्मू और कश्मीर राज्य में रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है और मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षणों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, नयी लाइनों के लिए बहुत सीमित रकम नियत किये जाने की सम्भावना को देखते हुए उन लाइनों को उच्चतर अग्रता दी जायेगी जो औद्योगिक, खनन सम्बन्धी तथा बन्दरगाहों के विकास की प्रमुख योजनाओं से सम्बद्ध हैं। विशेषरूप से प्रतिरक्षा की दृष्टि से आवश्यक प्रायोजनाओं को, स्वभावतः उच्चतम अग्रता दी जायेगी।

Prices of Cloth

*544 **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of fixing statutorily the wholesale and retail prices of cloth, is being considered;

(b) if so, the basis on which these would be fixed; and

(c) the arrangements that would be made to enforce the same ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c) : The maximum retail prices of certain Varieties of mill-made cloth, of mass consumption viz. dhoty, saree, longcloth shirting and drill have already been fixed statutorily at 20% above their ex-mill price. The question of apportioning statutorily the margin of 20% among the wholesalers and retailers had been considered and it had been decided that there was no practical way for such statutory apportionment at present.

भारत-पोलैंड सहयोग

*545 **श्री रा० बरुआ : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास और जहाज-निर्माण उद्योग में संयुक्त सहयोग के बारे में भारत और पोलड के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख): भारत तथा पोलिश जनवादी गणराज्य के बीच 1 अप्रैल, 1966 को इस आशय का एक संलेख किया गया कि दोनों सरकारें यह इच्छा करती हैं कि पारस्परिक सहयोग के जरिये उत्तरोत्तर उद्योगीकरण के उद्देश्य से दोनों सरकारों द्वारा स्थापित किये जाने वाले विशेषज्ञों के वर्गों को दोनों देशों में निम्न उद्योगों के बारे में संयुक्त रूप से गहन अध्ययन करना चाहिए :—

(1) जहाज-निर्माण, मत्स्य और समुद्री उत्पाद;

(2) धातुएँ तथा इन्जीनियरी;

(3) रासायनिक पदार्थ तथा उर्वरक।

निम्न तापमान कार्बनीकरण कारखाने

*553 **श्री विभूति मिश्र : श्री बसुमतारी :**

क्या **खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू उपयोग के लिये धुंआ रहित कोयला और कच्चे लोहे के कारखानों के लिये ब्रिकेटड कोक का उत्पादन करने के लिये चार बड़े निम्न तापमान कार्बनीकरण कारखाने स्थापित करने की मन्जूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो ये किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इन से देश को कितना लाभ होगा ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे०) ; (क) और (ख) दो निम्न तापमान कारबानीकरण प्लांट एक आंध्र प्रदेश के कोथागुदेयम में तथा दूसरा उड़ीसा के तालचर में स्थापित किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) इन निम्न तापमान कारबानीकरण परियोजनाओं से निम्न श्रेणी के नाम कोकिंग कोयले को घरेलू ईधन के रूप में प्रयोग अधिक मितव्ययी होगा ।

रेलवे अधिकारियों की बैठक

*554 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री श्रीनारायण दास :**
श्री हु० बा० लिंग रेड्डी : श्री हरिविष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरूआ : श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री किन्दर लाल : श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री विश्वनाथ पांडेय : श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री कोल्ला वेंकैया : श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री नि० रं० लास्कर : डा० श्रीनिवासन :
श्री लीलाधर कटकी : श्री गुलशन:
श्री राम सेवक यादव : श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री मधु लिमये : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून में बार-बार हुई दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार करने के लिए गत जून में दिल्ली में जोनल रेलों के प्रमुख अधिकारियों की एक तात्कालिक बैठक हुई थी;

(ख) उसकी कार्य सूची क्या थी; और

(ग) भविष्य में इन रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय निकाले गये हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों और साधनों पर विचार करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वालों ने जो विचार प्रकट किये, उनमें उन्होंने मुख्यत: दुर्घटनाएं रोकने के सुपरिचित उपायों पर नये सिरे से ज़ोर डाला, जैसे प्रशिक्षण, निरीक्षण और गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में अनुशासन, पटरी-परिपथ और कर्मचारी हित के उपाय ।

रेल दुर्घटनाएं

*555 **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कई मजदूर संघ के नेताओं द्वारा जारी किये गए इस आशय के वक्तव्यों की ओर ध्यान दिया है कि रेल दुर्घटनाओं के बढ़ने का एक कारण यह है कि रेलवे तथा उसके कर्मचारियों पर असाधारण रूप से कार्य भार बढ़ गया है जब कि इस बढ़े हुए कार्यभार के अनुरूप लाइन क्षमता, उपकरण तथा कर्मचारियों में वृद्धि नहीं की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस स्थिति के बारे में स्वतंत्र जाँच कराने का है; और

(ग) क्या यह सच है कि अत्यधिक कार्य तथा गति पर जोर दिए जाने के कारण रेलवे कर्मचारी सुरक्षा के लिये बनाये गये कई नियमों का पालन नहीं करते हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) व्यापार संघ के कई नेताओं ने अनेक बयान दिये हैं। यह पता नहीं कि माननीय सदस्य किस या किन बयानों का हवाला दे रहे हैं।

(ख) जी नहीं। कार्यभार की जांच की जाती है और इस बारे में जब आवश्यकता होती है, स्थिति पर विचार किया जाता है। कर्मचारियों की संख्या और लाइन क्षमता में वृद्धि की जाती है और अग्रता के आधार पर अतिरिक्त उपस्करों की भी व्यवस्था की जाती है, बशर्ते इनके लिए साधन उपलब्ध हों।

(ग) जी नहीं।

भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

*556 **श्री कर्णी सिंह जी :**

क्या खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में प्रशिक्षित कर्मचारियों, ड्रिलिंग के उपकरणों तथा प्रयोगशालाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के सर्वेक्षण विभाग की तत्संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० क० डे०) : (क) हाँ, महोदय।

(ख) व्यधन रिग्ज तथा सहायक उपकरण आयात करने के लिये कैनेड़ा, तथा पूर्वी यूरोप और दूसरे स्त्रोतों से बातचीत की जा रही है। प्रयोगशाला उपकरण को बढ़ाने, तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा भर्ती करने के प्रयत्न बजट सीमा के अनुकूल किए जा रहे हैं।

Looting of Trains

*557. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kashiram Gupta :
Shri Gulshan :
Shri Sivamurthi Swamy :
Shri M. R. Krishna :
Shri M. L. Jadhav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway trains were looted in Mysore and Maharashtra areas recently in connection with the boundary dispute issue between the two states;

(b) if so, the particulars of the incidents;

(c) the estimated loss suffered by the Railways and the people as a result thereof; and

(d) the action taken against those who indulged in stopping the trains and looting of the railway property ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No Sir. The crowd, however, held up trains and indulged in violence at different places.

(b) In all 60 trains were held up, 4 on the Central Railway and 56 on the Southern Railway.

(c) Loss of Railway property has been estimated at Rs. 22,153/-and of booked consignments at Rs. 100/- on both the Railways.

(d) The police arrested the 'Satyagrahis' and registered cases under Section 122 Indian Railways Act, for causing detention to the trains.

M/s Tractor and Bulldozer Private Ltd.

*558. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P. C. Borooah :
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Prabhat Kar :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri M. Malaichami :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s Tractor and Bulldozer Private Ltd.' Baroda was issued licences to sell the tractors at fixed prices;

(b) whether it is also a fact that Tractors from Czechoslavakia are being sold at prices more than those fixed by the State Trading Corporation;

(c) whether the State Trading Corporation has conducted an inquiry as to why the tractors are being sold at such high rates; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : S. T. C. has no information to indicate that M/s. Tractors and Bulldozers Private Ltd., have sold tractors imported from Czechoslovakia at prices higher than those fixed by the Corporation. Four letters have, however, been received by the Corporation from parties who took delivery of tractors imported from Czechoslovakia reporting short supply of some tools and accessories. The matter is being looked into by the Corporation. Meanwhile M/s Tractors and Bulldozers Private Ltd. have assured the Corporation that on receipt of the particulars of short receipt of the tools and accessories by any actual user, they would be prepared to give suitable compensation to such user. One of the references emanates from an ex-agent of M/s Tractors and Bulldozers Private Ltd., whose agency appears to have been terminated.

Development of Aluminium Industry

*559 **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great scope for the development of aluminium industry and that aluminium is also available in large quantity in the country;

(b) whether Government have made surveys at many places in Rajasthan;

(c) if so, the places where Aluminium has been traced; and

(d) the quantity thereof ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) As adequate deposits of bauxite are available within the country, there is considerable scope for development of aluminium industry, subject, of course, to the availability of cheap electric power and other raw materials.

(**b**) **and** (**c**) Yes, Sir. Occurrences of bauxite have been reported at Gajner in Bikaner, Kotah, Kongargarh, Isarwas Kotra and Agra in Tonk.

(d) The reserves have not been estimated. Investigations of these occurrences is under consieration.

Prices of Consumer Goods

*560 **Shri Panna Lal** : **Shri Brij Basi Lal** :

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Governments have demanded more powers from the Centre to enable them to hold the price line and maintain the regular supply of consumer goods; and

(b) if so, Government's **reaction** thereto ?

The Minister of Commerce (**Shri Manubhai Shah**) : (a) Yes, Sir.

(b) Appropriate powers have been delegated to the State Governments.

केरल में एल्यूमिनियम कारखाना

*561. **श्री प० कुन्हन** : **श्री अ० क० गोपालन** :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री 18 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने और उसके स्थान के बारे में विस्तृत प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वे क्या हैं; और

(ग) कारखाने के कब तक स्थापित किये जाने की आशा है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) (क) नहीं, महोदय।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे में भोजन व्यवस्था

*562 **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, प्रकाशित समाचार सच नहीं है, तो उन्होंने वास्तव में क्या कहा; और

(ख) उससे पहले इसका कोई खंडन क्यों नहीं किया गया अथवा शुद्धिपत्र क्यों नहीं निकाला गया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल मंत्री ने कहा था :

"मंत्री बनने से पहले जब मैं एक नागरिक के रूप में यात्रा करता था, तो मैं शायद ही कभी रेलवे का खाना खाता था क्योंकि मैं अपना खाना अपने साथ ले जाता था।"

(ख) समाचार-पत्रों में खंडन भेजना आवश्यक नहीं समझा गया।

Wagons for movement of Foodgrains

*563. **Shri Ram Sewak Yadav** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Daji :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the covered wagons required for the movement of foodgrains are in short supply and the foodgrains unloaded at Kandla Port are sent in open wagons during the monsoon period also;

(b) the names of places and also the quantity of wheat which God damaged this year apart from the 1300 bags of wheat which were damaged in the godown of Idgah Railway Station, Agra;

(c) whether loading of wheat in the open wagons has not been stopped so far and the reasons therefor; and

(d) the persons responsible for the loss suffered so far ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A statement is laid on the table of the Sabha. (Placed in Library see No LT. 6830/66)

(b) Information regarding quantity of wheat booked from the port of Kandla in open wagons to various destinations during this year upto 18th August, 1966 and which got damaged while in transit by rail is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) Does not arise in view of the reply to part (a).

(d) Information regarding persons responsible for damage to wheat consignments loaded in opens during transit by rail due to non-observance of any instructions is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

आसाम में रेलवे संचार व्यवस्था का ठप्प हो जाना

*564 **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में हाल ही की बाढ़ों से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में रेलवे संचार व्यवस्था ठप्प हो गई है; और यदि हां, तो उक्त रेलवे में सामान्य स्थिति पुनःस्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग-बदरपुर तथा काटाखाल लालाघाट सेक्शनों पर यात्री गाड़ियाँ चलनी अभी तक आरम्भ नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उन सेक्शनों पर यात्री यातायात कब से बन्द है और उन सेक्शनों पर यातायात खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। सिलिगुड़ी-रंगिया मुख्य लाइन सेक्शन, लमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन और कछार जिले में कुछ शाखा लाइनों पर रेल संचार भंग हो गया था। सामान्य संचार-व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए तुरन्त उपाय किये गये; जैसे, रेलवे के टूटे हुए तटबन्ध पर अस्थायी पाइल पुल की व्यवस्था की गयी, बहुत बड़ी तादाद में मजदूर काम पर लगाये गये, जमीन खिसकने के कारण लाइन

पर आयी हुई रुकावट को दूर करने के लिए युक्तिपूर्ण यांत्रिक तरीके निकाले गये और प्रभावित क्षेत्र में काम करने के लिए अतिरिक्त इंजीनियर और कर्मचारी तैनात किये गये।

(ख) जी नहीं। लमडिंग-बदरपुर सेक्शन पर 1 अगस्त, 1966 से हफ्ते में दो बार आने-जाने वाली एक सवारी गाड़ी और 9. 8. 1966 से रोजाना आने-जाने वाली एक सवारी गाड़ी चलायी गयी है। काटाखाल-लालाघाट सेक्शन पर 28 जुलाई, 1966 से यात्री-यातायात फिर शुरू हो गया।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Price Index

*565. **Shri Sidheshwar Prasad** : **Shri Rishang Keishing** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the increase/decrease in the price Index of foodgrains and other essential consumer goods during the last three years; and

(b) the steps taken to stabilise/bring down the prices during the said period ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) A statement is laid on the Table of the House. (Placed in Library see No LT-6831/66)

(b) Government have been taking various steps during the last three years regarding price policy which embrace all aspects of economic policies, including budgetary, monetary, foreign trade, and above all development and incomes policies of the Government.

Government have been importing foodgrains during the last three years to tide over the shortage in foodgrains production, lirebalisation of import policies and giving adequate incentives for increasing production. Recently along with the decision to devalue the rupee, it was decided that the prices of foodgrains issued by the Government as also of fertilizers and kerosene, diesel oil and other petroleum products should not be allowed to increase as a direct consequence of devaluation. Among the general measures mention may be made of (i) selective credit control over bank advances against foodgrains, edible oils, etc., (ii) regulation of forward trading, (iii) issue of licensing and anti-hoarding orders, (iv) strengthening of the scheme of consumer co-operative stores, opening of department stores as already done in New Delhi and (v) request to manufacturers to prevent overcharging.

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिये इमारतें

*566. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री वासुदेवन नायर** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम किराये के रूप में प्रति वर्ष 12 लाख रुपए दे रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन निगमों के कार्यालयों के लिये सरकारी इमारतें न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम अपने कार्यालयों के स्थानों का 14,13,325 रु० वार्षिक किराया दे रहे हैं।

(ख) अब इन दोनों निगमों के कार्यालय की इमारतों के निर्माण के लिये जमीन का एक प्लाट देने का निर्णय कर लिया गया है। नकशे तथा निर्माण की योजनाएं तैयार करने के लिये निगमों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

'विग' (कृत्रिम बालों के टोप) बनाने के कारखाने

*567. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान स्थित भारतीय दूतावास ने उनके मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है कि भारत को 'विग' की अपेक्षा मनुष्यों के बिना साफ किये हुए अथवा कुछ साफ किए हुए बालों के निर्यात पर जोर देना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या अमरीका द्वारा साम्यवादी चीन से मनुष्य के बालों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद मनुष्य के बालों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत बढ़ गया है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने तथा 'विग' बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) 1. विग बनाना एक श्रमप्रधान उद्योग है जहां कौशल तथा अनुभव अनिवार्य है। जापानी इस व्यापार में बहुत निपुण हैं और विश्व भर में सर्वोत्तम माने जाते हैं। भारत को अपने विग निर्माण उद्योग की स्थापना करने में पर्याप्त समय लगेगा ।

2. यदि भारत हाल में जापान द्वारा की गई विग निर्माण के लिए मानव बालों की मांग पूरी नहीं कर सका तो वह इनके सम्भरण के लिए अन्य देशों की ओर चला जा सकता है ।

3. यह निश्चित नहीं है कि चीन से भेजे जाने वाले मानव बालों पर अमरीकी प्रतिबन्ध अनिश्चित काल तक लगा रहेगा । इस लिए भारत को जापानी बाजार को दीर्घकालिक आधार पर अपने लिये सुरक्षित कर लेना चाहिए ।

4. यदि प्राकृतिक बालों के मूल्य अनुचित रूप में बढ़ जायेंगे तो प्रतिस्थापित माल प्राकृतिक मानव बालों को बाजार में से निकाल देगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1. राज्य व्यापार निगम ने दक्षिण में देवस्थानों के साथ वहां एकत्रित किए गए बालों को केवल उसे ही भेजने के लिए पक्की तथा दीर्घकालिक व्यवस्था की है ।

2. 1966-67 में राज्य व्यापार निगम के पास निर्यात करने के लिए 30 टन से अधिक मनुष्य के परिष्कृत बाल, जिनकी कीमत लगभग 90 लाख रु० है, के पक्के सौदे हैं ।

3. आशा है कि राज्य व्यापार निगम के मद्रास स्थित विग तथा विगलेट कारखाने में लगभग सितम्बर 1966 में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा और इस वर्ष के अन्त तक निर्यात भी प्रारम्भ हो जायेगा ।

4. राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1967-68 के लिये 2 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निश्चित किया है ।

मध्य रेलवे में स्थानीय (लोकल) रेलगाड़ी के मोटरमैन पर हमला

*568. **श्री मधु लिमये :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मनोहरन :
श्री अल्वारेस :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मौर्य :
श्री अ० व० राघवन :
श्री बागड़ी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
डा० उ० मिश्र :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में यात्रियों ने मध्य रेलवे के एक स्थानीय रेलगाड़ी के एक मोटरमैन द्वारा करी-रोड और चिंचपोकली के बीच गाड़ी को रोकने के कारण उस पर हमला किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार अथवा रेलवे सुरक्षा दल ने एक पखवाड़े तक संचल कर्मचारियों के लिये पुलिस अनुरक्षकों की व्यवस्था करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या यात्रियों के इस आरोप के बारे में रेलगाड़ी शराब के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में जानबूझ कर रोकी गई थी, अथवा रेलवे के इस सन्देह के बारे में, कि ऐसा ब्रेक-उपकरणों की तोड़-फोड़ के कारण हुआ था, कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन मोटर मैन ने गाड़ी नहीं रोकी थी बल्कि कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा आपाती ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक गयी थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) दादर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 332/427 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत एक मामला अपराध सं० 112/66 के रूप में दर्ज कर लिया है । पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है ।

Small Scale Industries in Bihar

*2740. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Small Scale Industries are not being developed adequately in Bihar;

(b) whether any study has been made by the Centre in this regard; and

(c) the extent of assistance provided by the Centre and the directions issued by the

Centre to the State Government in order to remove the difficulties in the way of their development ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibudhendra Misra): (a) No, Sir. The number of Small Scale Units in Bihar has increased considerably during the last decade.

(b) Yes, Sir. 16 Area Surveys have been conducted by Central Small Industries Organisation, during the past few years for ascertaining the development potential in Bihar.

(c) The Central Small Industries Organisation is rendering all possible assistance for the development of Small Scale Industries in Bihar. Besides providing economic information regarding scope and technical schemes for starting new Units technical guidance is also given for proper utilisation of raw materials, imports Substitution, etc. The Central Small Industries Organisation is also making efforts to accelerate the development of ancillary industries in the State of Pihar through Small Industries Service Institute, Patna. A Regional Ancillary Industries Sub-Committee has also been set up in Bihar for the development of these industries.

In addition to the above, an amount of Rs. 74.15 lakhs as loan and Rs. 188.05 lakhs as loan and grant, was given to the Bihar State for the establishment of Industrial Estates and for development of Small Scale Industries respectively during the 3rd Five Year plan period.

इन्दौर में उद्योग

2741. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी सागर बिजली घर से बिजली देने में कमी कर देने के परिणामस्वरूप इन्दौर में उद्योगों को काफी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1964 में वर्षा न होने के कारण अप्रैल, 1965 में इस बिजली घर के बन्द हो जाने की आशंका थी; और

(ग) यदि हां, तो बिजली में कमी के परिणामस्वरूप उद्योगों को हानि होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी।

ट्रक-रेलगाड़ी की टक्कर

2742. **श्री राम हरख यादव :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े : **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जून, 1966 को मध्य रेलवे के शोलापुर डिवीजन में माल से भरा एक मोटर ट्रक 13 अप लातूर कुरडूवाडी यात्री गाड़ी से टकरा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इसमें जान माल की कोई हानि हुई है, तो कितनी ?

रेलवे मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) (क) और (ख) 26-6-66 को जब नं० 13 एल के डाउन तीर्थ यात्री स्पेशल गाड़ी, महिषगांव और कुर्डूवाडी स्टेशनों के बीच चल रही थी तो उसकी एक मोटर ट्रक से बगली टक्कर हो गयी।

(ग) इस दुर्घटना के फलस्वरूप गाड़ी में एक यात्री की मृत्यु हो गयी और दो यात्रियों को चोटें आयीं।

रेल सम्पत्ति को लगभग 95 रु० की क्षति होने का अनुमान है।

केरल सीमा पर सोने के लिए ड्रिलिंग

2743. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि वयनाड क्षेत्र में केरल और मद्रास सीमाओं पर सोने के निक्षेपों का पता लगाने के लिये ड्रिलिंग कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) मद्रास के नीलगिरि एवं केरल के कोजीकोड (कालीकट) जिलों में स्थित वाइनद सोना क्षेत्र में भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा अन्वेषणात्मक व्यघन से विस्तृत अनुसंधान किए गए हैं। इन अनुसंधानों का उद्देश्य है आधुनिक खनन एवं तकनीक के अनुसार संदरों की अवधि, उनकी ठीक सीमा, संचय तथा आर्थिक क्रियाशीलता का पता लगाना। व्यघन के समाप्त होने के बाद ही स्वर्ण-मूल्य के नैरंतर्य एवम् उनकी आर्थिक क्रियाशीलता का अंतिम मूल्यांकन किया जा सकता है।

टेपियोका स्टार्च उद्योग

2744. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष बड़ी मात्रा में मक्का के स्टार्च का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इससे देश में टेपियोका स्टार्च उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं। फिर भी पी० एल० 480 के अधीन मक्का का आयात किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। टेपिओका स्टार्च का उत्पादन मक्का के स्टार्च के उत्पादन का पूरक है। सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी टेपिओका स्टार्च का और अधिक इस्तेमाल किये जाने के लिये सभी सम्भव सहायता दी जा रही है।

नारियल जटा से बने सामान का निर्यात

2745. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा से बने सामान के लिये अमरीका जैसे देश में नये बाजार ढूंढ़ने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) सरकार ने नारियल जटा से बने सामान की देश में मांग बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, हां। सं० रा० अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड में बाजार सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) एक प्रमुख विशिष्ट अभिकरण द्वारा सं० रा० अमेरिका में एक गहन बाजार सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा अन्य देशों में भी सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

कायर उत्पादों के लिये आन्तरिक बाजार का विस्तार करने के लिये भी कायर बोर्ड द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। इन में महत्वपूर्ण शहरों में प्रदर्शन कक्षों तथा बिक्री भण्डारों की स्थापना, कायर की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा बिक्री के लिये विभिन्न नगरों में प्रतिष्ठित विक्रेताओं की नियुक्ति प्रदर्शनियों, विज्ञापनों, वृत-चित्रों के माध्यम से प्रचार कराना आदि शामिल हैं।

जूते बनाना

2746. **श्री मे० क० कुमारन : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार मशीनों से जूते बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) विदेशी बाजारों के लिये प्रतिमानित किस्म के मशीन निर्मित जूतों के उत्पादन हेतु, राज्य व्यापार निगम द्वारा एक पूर्णतः यंत्र-चालित और निर्यात अभिमुख जूते-सह-टेनरी संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

मेवों तथा खजूरों का आयात

2747. **श्री धर्मलिंगम् :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत, जिसमें मेवों तथा खजूरों के आयात के साथ इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात भी शामिल है, यदि कोई निर्यातक दोनों चीजों अर्थात् मेवे और खजूरों की बजाय एक ही चीज का आयात करना चाहता है तो उसके लिये मेवों की मात्रा को एक और चार के अनुपात से खजूरों की मात्रा में बदला जा सकता है और यदि हाँ, तो यह योजना किस तिथि को शुरू की गई थी और कौन सी सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत इसकी घोषणा की गई थी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यातक

2748. **श्री धर्मलिंगम् :** **श्री ज० रा० मेहता :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 11 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कुछ निर्यातकों के नाम और पते क्या हैं, जिन्होंने निर्यात सम्बन्धी अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया है, उन्हें कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये थे तथा बांड की राशि कितनी थी;

(ख) क्या इन निर्यातकों द्वारा अपना उत्तरदायित्व पूरा न करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है;

(ग) 1 अगस्त, 1965 के बाद से इस योजना को लागू नहीं रखने के क्या कारण है;

(घ) क्या यह सच है कि ईरान से मेवों और ईराक से खजूर के आयात के लाइसेंस इस लिये दिये गये थे जिससे निर्यात के सामान्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष प्रोत्साहन मिलें; और

(ङ) यदि हां, तो इंजीनियरी सामान के निर्यात के मामले में इन सामान्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6832/66] निर्यात दायित्व को पूरा न करने के लिये इन निर्यातकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में, सामान्यतः, प्रतिकूल बाजार अवस्थाएं या माल के सम्भरण में निर्माताओं की असमर्थता है।

(ग) योजना का एक उद्देश्य यह था कि हमारे उत्पादों को एशिया तथा अफ्रीका के बाजारों में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, सीमित अवधि के लिये सहायता की व्यवस्था की जाय। यह योजना 1 अगस्त, 1965 से वापिस ले ली गयी जब कि यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की सहायता की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) इंजीनियरी माल की विशेष निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत जो 6 जून, 1966 से पूर्व के निर्यात के सम्बन्ध में वैध थी, लाइसेंस निर्यात उत्पादों के जहाज तक के निःशुल्क मूल्य की विभिन्न प्रतिशत पर जारी किये गये थे। सामान्यतः आयात हकदारी का फार्मूला यह रखा गया था कि वह आयातित अंतर्वस्तु की दुगुनी हो बशर्ते कि वह निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 75 प्रतिशत से अधिक न हो।

पांचवा इस्पात कारखाना

2749. **श्री मधु लिमये** : **श्री रामसेवक यादव** :

क्या लोहा और इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवे इस्पात कारखाने के बारे में आन्ध्र विधान सभा के संकल्प की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान प्रादेशिक विवादों तथा प्रादेशिक विरोधी दावों, जो बढ़ते जा रहे हैं, की ओर दिलाया गया है क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हैं ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय एकता के हित में प्रादेशिक दावों को मध्यस्थ निर्णय द्वारा निपटाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : सरकार को पूर्ण विश्वास है कि समूचे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुये प्रादेशिक विवादों का संवैधानिक तरीकों से निपटाया जा सकता है।

चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये इंस्टीट्यूट हालों का प्रयोग

2750. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि भविष्य में 'इंस्टीट्यूट हालों' का उपयोग चलचित्रों के नियमित प्रदर्शन के लिये न किया जाये ;

(ख) क्या यह आदेश उन हालों पर भी लागू होता है जिनमें रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धित इंस्टीट्यट अथवा 'एजेन्सियों' ने स्वयं नियमित रूप से चलचित्र दिखाने की व्यवस्था की हुई है ;

(ग) दानापुर, जमालपुर, चितरंजन में, जिनमें रेलवे कर्मचारियों के 'इंस्टीट्यूट' ने चलचित्र दिखाने की व्यवस्था की हुई है, कितने लोगों के बेरोजगार होने की संभावना है ;

(घ) क्या इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि इन इंस्टीट्यूटों अथवा एजेन्सियों को वाणिज्यिक आधार पर नहीं अपितु बिना लाभ-हानि के आधार पर चलचित्रों के प्रदर्शन की अनुमति दी जाये और यदि हां, तो क्या रेलवे अधिकारी इस मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि संस्थाओं के कर्मचारियों को कोई प्रतिकर अथवा अन्य वैकल्पिक काम दिया गया है, तो वह क्या है ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) जी हां । यह विनिश्चय किया गया है कि यद्यपि इंस्टीट्यूट के प्रबन्धकों द्वारा अपने तत्वावधान में कभी कभी सिनेमा दिखाने का आयोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियमित रूप से सिनेमा दिखाने के लिए इंस्टीट्यूट हाल को किराये पर देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । इसी तरह यह विनिश्चय किया गया है कि जहां इंस्टीट्यूट के प्राधिकारियों के तत्वावधान में सिनेमा दिखाने के लिए नियमित रूप से इंस्टीट्यूट के हालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां इसे रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(ग) चित्तरंजन के बारे में यह सवाल नहीं उठता क्योंकि वहां इंस्टीट्यूटों के पास के सिनेमा हालों को प्रशासन ने ठेकेदारों को दे रखा है । जहाँ तक दानापुर और जमालपुर का सम्बन्ध है वहां कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट के 20 पूर्णकालिक और 9 अंशकालिक कर्मचारी सिनेमा के काम में लगे हैं । चूंकि इंस्टीट्यूटों को अपने तत्वावधान में कभी कभी सिनेमा दिखाने की अनुमति है, इस लिए इनमें से केवल कुछ ही कर्मचारियों के फालतू होने की संभावना है ।

(घ) जी हां । यथा पूर्व स्थिति बनाये रखने की अनुमति देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । लेकिन जहां तक सामान्य नीति का प्रश्न है, इस मामले पर फिर से विचार करने का कोई इरादा नहीं है ।

(ङ) इंस्टीट्यूट के फालतू कर्मचारियों को नौकरी या क्षतिपूर्ति देने का सवाल नहीं उठता ।

झाझा स्थित लोको शेड का आसनसोल स्थानान्तरित किया जाना

2751. **श्री रामसेवक यादव :**

श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के झाझा स्थित लोको शेड को आसनसोल स्थानान्तरित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या अधिकारियों ने कर्मचारियों तथा रेलवे इंजनों को आसनसोल भेजना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) झाझा में स्थायी तथा नैमित्तिक श्रमिकों के रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या मजदूर संघों ने इसका विरोध किया है और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और यदि हाँ, तो रेलवे अधिकारियों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : जी नहीं।

(ख) और (ग) झाझा शेड के कुछ डब्लू पी रेल इंजन आसनसोल शेड में भेजे जा रहे हैं, ताकि अनुरक्षण के काम में सुविधा हो सके। केवल तीन ड्राईवरों की झाझा से आसनसोल के लिए बदली की गयी है, लेकिन रनिंग या अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी अन्य कर्मचारी की बदली करने का विचार नहीं है।

(घ) मजदूर संघों से कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलवे कर्मचारियों को राशन की सप्लाई

2752. **श्री राम सेवक यादव** :

श्री मधु लिमये : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किऊल, जमालपुर, लखीसराय तथा अन्य स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों को इस वर्ष के आरम्भ से अब तक उनके राशन का केवल कुछ अंश मिल रहा है और वह भी अनियमित रूप से ;

(ख) क्या किऊल सहकारी समिति ने मई, 1966 में राशन बिल्कुल नहीं दिया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो रेलवे कर्मचारियों को नियमित रूप से राशन दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) किऊल, जमालपुर और लखीसराय आशोधित राशनिंग योजना के अन्तर्गत आते हैं। रेल कर्मचारियों के लिए जो उचित मूल्य की दूकानें खोली गयी हैं, उनमें राशन के सामान की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य के प्राधिकारियों से उच्चतम स्तर पर सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है।

Overbridge near Khagaria East Cabin

2753. **Shri Madhu Limaye** : **Shri Ram Sewak Yadav** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the residents of Khagaria (Monghyr) Bihar, North Eastern Railway, in connection with an overbridge near Khagaria East Cabin;

(b) whether Government are aware that hospital, Court and also college are situated on the n rthern side of the railway line and the boys and girls, lawyers, patients and employees have to face great difficulty when coming and going there; and

(c) when Government propose to construct an overbridge or underbridge at that place ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b) Yes.

(c) It is too early to indicate at this stage when the work will be taken up, as the proposal for a road overbridge in replacement of existing level crossing is still in the preliminary stage of investigation between the Railway and the State Government.

त्रिपुरा में कृषि प्रायोजनों के लिये इस्पात

2754. **श्री बीरेन दत्त :** **श्री दशरथ देव :**

क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से लेकर 1966 में अब तक त्रिपुरा सरकार ने कृषि प्रायोजनों के लिये कुल कितना इस्पात लिया ;

(ख) क्या इस अवधि में इस सारे इस्पात का प्रयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने इस्पात का प्रयोग नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हरिद्वार और देहरादून के बीच रेलगाड़ी

2755. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार और देहरादून के बीच हाल में सीधी पहुँचने वाली रेलगाड़ियों का चलना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) सूसवा नदी में तेज बाढ़ आ जाने से कांसरों और डोईवाला के बीच के पुल का कुछ हिस्सा बह गया, जिसके कारण हरिद्वार, देहरादून खण्ड पर हरिद्वार से आगे गाड़ियों का आना-जाना 25.7.1966 से बन्द हो गया । 28.7.1966 से वहां शटल गाड़ियां चलाने के साथ साथ जिस जगह पुल टूटा था, वहां यात्रियों के स्थानान्तरण का प्रबंध भी किया गया था, लेकिन और अधिक बाढ़ आने और टूट-फूट होने के कारण 1.8.1966 से यह व्यवस्था समाप्त करनी पड़ी ।

ओलवक्कोट डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन

2756. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री अ० व० राघवन :**

श्री उमानाथ : **श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट डिवीजन के कितने रेलवे स्टेशनों में टेलीफोन नहीं हैं :

(ख) क्या इन स्टेशनों पर टेलीफोनों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे की कोई योजना है ताकि यात्री रेलगाड़ियों के देरी से चलने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें ;

(ग) क्या इनमें से किसी स्टेशन पर टेलीफोन-सुविधा की व्यवस्था करने के बारे में उत्तर रेलवे को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दक्षिण रेलवे के ओलव्वकोट डिवीजन में 145 क्रासिंग स्टेशन और 34 फ्लैग स्टेशन ('डी' श्रेणी) हैं। 69 क्रासिंग स्टेशनों पर डाक और तार विभाग के टेलीफोन लगाये गये हैं जहां सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं। लेकिन 'डी' श्रेणी के 18 फ्लैग स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों पर रेलवे टेलीफोन की व्यवस्था है।

(ख) जी हां। यद्यपि किसी और स्टेशन पर डाकतार विभाग का टेलीफोन लगाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि डाक और तार विभाग के एक्सचेंज के पास वाले सभी स्टेशनों पर इस प्रकार के टेलीफोन लगे हुए हैं, फिर भी दक्षिण रेलवे ने उन 18 फ्लैग स्टेशनों ('डी श्रेणी) में से प्रत्येक स्टेशन पर रेलवे टेलीफोन लगाने की योजना बनायी है जहां अभी रेलवे टेलीफोन है।

(ग) जी हां। 1964 में त्रिकारपुर और चारवट्टूर स्टेशनों पर डाक और तार विभाग के टेलीफोन लगाने के बारे में दक्षिण रेलवे को एक अभ्यावेदन मिला था। दक्षिण रेल प्रशासन को इरिंगल फ्लैग स्टेशन ('डी' श्रेणी) पर भी रेलवे टेलीफोन लगाने के लिए अभ्यावेदन मिला है।

(घ) त्रिकारपुर स्टेशन पर डाक और तार विभाग का एक टेलीफोन लगाया गया है। चारवट्टूर स्टेशन पर डाक और तार विभाग के टेलीफोन की व्यवस्था नहीं की जा सकी क्योंकि यह स्टेशन डाक और तार विभाग के एक्सचेंज के सामान्य सेवा-क्षेत्र से बाहर है। जहां तक इरिंगल स्टेशन पर रेलवे टेलीफोन की व्यवस्था का प्रश्न है, इस संबंध में डाक और तार विभाग से लिखा-पढ़ी की गयी है और आशा है कि वहां शीघ्र टेलीफोन लग जायेगा।

विद्युत से चलने वाली गाड़ियां

2757. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की संख्या क्या है और वे कितने मील में चलती हैं;

(ख) रफ्तार तथा कुशल ढंग से चलने में वे डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में कैसी हैं; और

(ग) चौथी योजना में बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने के बारे में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) बिजली से चलने वाली गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या 2254 है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

उपनगरीय	सवारी	माल
1755	110	389

31-7-1966 को भारतीय रेलों में कुल 2517 मार्ग किलोमीटर में बिजली गाड़ियां चल रही थीं।

(ख) समतल खण्डों पर बिजली और डीज़ल इंजनों की रफ्तार लगभग बराबर होती है, लेकिन प्रवणता वाले खण्डों पर बिजली रेल इंजन अधिक रफ्तार से चल सकता है। जहां तक

परिचालन की कुशलता और लागत का सम्बन्ध है, हर खण्ड की स्थिति अलग-अलग है और वह यातायात के घनत्व, खण्डों की प्रवणता, बिजली की खपत की लागत, यातायात की किस्म आदि पर निर्भर करती है। यातायात का घनत्व बढ़ने पर बिजली कर्षण अधिक किफायती हो जाता है। उपनगरीय गाड़ियों के लिए भी बिजली कर्षण अधिक कार्यक्षम होता है।

(ग) तीसरी योजना के बचे हुए 900 मार्ग किलोमीटर में बिजली लगाने के काम के अतिरिक्त चौथी योजना में लगभग 1900 मार्ग किलोमीटर में बिजली लगाने का प्रश्न विचाराधीन है।

कुटीर तथा लघु उद्योग

2758. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**   **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) कितना धन खर्च किया गया था और किन-किन योजनाओं पर ;

(ग) व्यय में कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है और कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) 264 करोड़ रु०।

(ख) हथकरघा तथा बिजली से चलने वाले करघा उद्योगों, लघु उद्योगों, औद्योगिक बस्तियों, दस्तकारी, रेशम-उत्पादन, जूट तथा खादी और ग्रामोद्योगों के विकास पर खर्च का अनुमान 219.56 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किये जाने से खर्च में कमी के मुख्य कारण कुछ राज्यों द्वारा लघु उद्योगों की अपेक्षा किन्हीं अन्य क्षेत्रों को और अधिक प्राथमिकता दिया जाना, आयात किये गये तथा कुछ देशी कच्चे माल की कमी, कुछ राज्यों में बिजली की कमी तथा कुछ लघु उद्योगों के उत्पादनों के बारे में विपणन संबंधी कठिनाइयां थीं।

(घ) चौथी योजना में विभिन्न लघु उद्योगों के कार्यक्रम तथा उनके लिये व्यवस्था के बारे में अभी अंतिम निर्णय किया जाना है।

Suspension of Rail Service at Deulti Station (S. E. Railway)

2759. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**

Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 40 feet long wire connected with signal was cut at Deulti Station (S. E. Railway) resulting in the failure of light of the signal and subsequent suspension of train service for hours as reported in the "Hindustan" dated the 11th May, 1966 ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

On 8.5.66, there was a theft of 40 feet long cable connected with signals at Deulti station on Howrah-Khargpur section of S. E. Railway, resulting in failure of light of the signals. The failure took place at 19.32 hours on 8.5.66 and was put right at 10.20 hours on 9.5.66. As a result of the failure, all evening peak period locals leaving Howrah on 8.5.66 were delayed.

(b) A report of the theft was lodged at Bagnan Police station on 9.5.66 and the site of theft was inspected by the Police officials along with the Railway officials. A close liaison is maintained with the State Police authorities in connection with disruption to train service due to theft of equipment and other lawless activities by anti social elements. To avoid recurrence of similar incidents, publicity regarding the adverse effect of thefts and other interference on the running of trains is being arranged through suitable advertisements in the Press, by distribution of leaflets to the passengers, display of posters in English as well as Regional language inside the bogies and at the stations and exhibition of slides in picture houses at suburban stations on the Howrah-Khargpur section. Further, a news reel on this theme, prepared by the Films Division, on request from the Railways, has also been released for exhibition in July, 1966.

Defect in the Engine of Flying Mail

2760. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**

Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the engine of the Delhi bound Flying Mail went out of order between Jullunder and Ludhiana Railway stations and the traffic remained suspended for four hours as a result thereof as reported in the "Hindustan" dated the 9th May, 1966 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, The engine of 28 Dn Flying Mail failed on 8.5.66 between Jullunder Cantt. and Chiheru stations and the train suffered a detention of 3 hrs. 24 minutes as a result thereof.

(b) The cause of the failure of the engine was the breakage of the right driving crank pin.

Crackers at Belgharia Station

2761. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**

Shri Rameshwaranand: Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of crackers exploded at Belgharia Station on the 8th May, 1966 as a result of which two Railway porters and some passengers were injured ;

(b) if so, the causes of these explosions ;

(c) the action taken in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c) Yes. The correct position is that a meeting was organized by the United Leftist Front on 8-5-66 near Belgharia Post office from 17 hrs. to 20 hrs. Shri Ram Chatterjee delivered speeches in the meeting. After his speech when Shri Chatterjee and his followers were waiting on the Belgharia Railway station for availing of train, some unknown miscreants

threw-8 crackers on Up Main and Dn. Suburban Platform. As a result of the explosions, one porter who was waiting on Dn. Suburban platform sustained injuries on his left leg. He was sent to B. R. Singh Hospital for his treatment. Another luggage porter of the same station also received a minor injury on his chest. He was sent to the local hospital where first aid was rendered to him. Two more passengers also received minor injuries.

Police and R. P. F. Officers visited the spot. In this connection Officer-in-charge, Govt. Railway Police, Sealdah registered a case under section 148/336 IPC/6(3) Indian Explosives Act. The Criminal Investigation Department, West Bengal have taken over the case for investigation, which is in progress. So far one person has been arrested.

Export of Cotton to Japan

2762. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have reduced the export of cotton to Japan ;

(b) whether it is also a fact that this reduction in export of cotton is due to the increase in its price ;

(c) if so, the prices of cotton (i) in 1964-65 and (ii) at present; and

(d) the steps taken for promoting the export of cotton ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(**a**) **and** (**b**) : There has been some fall in the export of cotton to Japan during 1965-66 as compared to 1964-65.

(c) The following were the export prices during 1964-65 and 1965-66 :--

		1964-65	1965-66
Bengal Deshi	Lowest price	Rs. 715 per candy	Rs. 715 per candy
(Fine)	Highest price	Rs. 980 per candy	Rs. 930 per candy

N. B. Candy = 784 lbs.

(b) The reduction in the exports of Indian cotton to Japan during 1965.66 is not snch as would call for any special Export promotion measures. Exports of Bengal Deshi Cotton continue to be permitted freely.

Theft in Railway coach at Bhusawal

2763. **Shri Raghunath Singh : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person was killed by the Railway Protection Force, while stealing from a railway coach at Bhusawal in May, 1966 as reported in 'Vir Arjun' dated the 18th May, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that a gang of theieves was chased by the Railway Protection Force ;

(c) if so, the number of persons arrested in this connection ; and

(d) to what place the person who was killed belonged ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes,

(b) Yes.

(c) Two persons.

(d) Shivaji Nagar, Bhusawal.

Recovery of Bomb from Railway crossing, Ludhiana

2764. **Shri Rameshwaranand : Shri Raghunath Singh : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bomb weighing 4 kilograms was recovered from the railway crossing of Model Town, Ludhiana on the 8th May, 1966 as reported in the 'Hindustan', dated the 9th May, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that this bomb was made in a foreign country ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) The report from the Chief Ordnance Officer in respect of the recovered Bomb, reveal that it was an U. K. manufactured ammunition which is used by the Indian Army as well as by the Pakistan Army. The report of the Inspector of Explosives, Agra, is still awaited.

(c) A case No. 183 U/S 4/5 Explosive substances Act, was registered by the Civil Police, Ludhiana City and is still under investigation. No arrest has so far been made.

इंडिया इलेक्ट्रिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

2765. **श्री मौर्य : श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया : श्री रामसेवक यादव : श्री बागड़ी : श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री किशन पटनायक**

क्या उद्योग मंत्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया इलेक्ट्रिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को पुन: स्थापित करने तथा मजबूत बनाने के लिये कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

फास्फेट अयस्क के निक्षेप

2766. **डा० म० मो० दास :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में फास्फ़ेट अयस्क के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये निक्षेप कहां-कहां पर हैं ; और

(ग) क्या इन निक्षेपों का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) बिहार के सिंघभूम जिले के ननदूम, सुनगही, कुलमारा और माथरधर ; आन्ध्र प्रदेश के विशाखापतनम जिले के सीतारामपुरम में ; मद्रास के त्रिचनापल्ली जिले के नम्बाकुरिच्ची वैरानी और काराईल में ; राजस्थान के जैसलमेर जिले के विरमानी में ; उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के मसूरी में तथा लकाडिव-अमिनडिव द्वीप समूह में ;

(ग) इन फासफेट युक्त चट्टानों के संचयों में कुछ का व्यवसायिक विदोहन सम्भव है। इन संचयों के विकास के लिए जिन अनुसंधानों की आवश्यकता है वे जारी हैं।

रामस्वामी मुदालियर समिति का प्रतिवेदन

2767. **श्री किन्दर लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या वाणिज्य मन्त्री 25 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा विदेशों के साथ, किये गये विभिन्न सहयोग करारों सम्बन्धी रामस्वामी मुदालियर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) प्रतिवेदन के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

तांबे के तार की चोरी

2768. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के आस-पास पूर्वी क्षेत्र में मई, 1966 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में बड़े पैमाने पर तांबे के तार की चोरी के कारण कंट्रोल रूम से सम्बन्ध टूट जाने से रेल सेवायें अस्तव्यस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। इन चोरियों का प्रभाव पूर्व रेलवे के हवड़ा डिवीजन में 143 और सियालदह डिवीजन में 39 गाड़ियों और दक्षिण-पूर्व रेलवे की 10 गाड़ियों पर पड़ा।

(ख) एक बयान नत्थी है, जिसमें आवश्यक सूचना दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6833/66]

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और डाक व तार विभाग से आगे लिखा-पढ़ी की गयी है। किये गये अन्य सामान्य निरोधात्मक उपायों के अलावा, पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक

ने खुफिया पुलिस विभाग को इस तरह की चोरियों की जांच-पड़ताल करने और उन पर खासतौर पर निगरानी रखने के लिए विशेष हिदायत जारी की है।

कपड़ा जांच समिति

2769. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके द्वारा अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किये जाने की आशा है ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में कितनी कपड़ा मिलें (एक) बन्द हुई; (दो) राष्ट्रीयकृत हुई; और (तीन) घाटे में चल रही हैं ; और

(घ) इन मिलों की स्थिति को पुनः ठीक दशा में लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) **तथा** (ख) : इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की गयी है।

(ग) (1) मार्च 1966 के अंत तक 24 सूती कपड़ा मिलें बंद थीं।

(2) तीसरी योजना की अवधि में, उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के खण्ड 18-क के अंतर्गत 8 मिलें अधिकार में ली गयी हैं तथा इनका प्रबन्ध अधिकृत नियंत्रक द्वारा किया जा रहा है।

(3) जिन मिलों को एक वर्ष में घाटा होता है उन्हें आगामी वर्ष या वर्षों में घाटा नहीं भी हो सकता है। अतः यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि तीसरी योजना की अवधि में कितनी मिलें घाटे पर चल रही थीं। फिर भी, इनकी संख्या का अनुमान लगभग 30 हो सकता है।

(घ) उपयुक्त मामलों में, उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जांच शुरू की जाती है और इन जांच प्रतिवेदनों के आधार पर, जहां संभव होता है, बंद मिलों को अधिकृत नियंत्रक के अधीन पुनः चालू करने की कार्यवाही की जाती है। उपयुक्त मामलों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की गारण्टियों पर मिलों द्वारा बैंकों से ऋण लिये जाते हैं। पुराने बेकार मिलों को निरस्त कर दिया जाता है तथा उसी या निकटवर्ती स्थान पर नए मिलों के लाइसेंस उन उपयुक्त पक्षों को दिये जाते हैं जिनकी सम्बद्ध राज्य सरकारों ने सिफारिश की हो, ताकि विस्थापित मजदूरों को स्थानीय रोजगार मिल सके।

पूर्णतः धातु से बना चर्खा

2770. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 4 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णतः धातु से बने चर्खे का प्रयोग इस बीच कर लिया गया है तथा क्या बिजली द्वारा चर्खा चलाने के बारे में भी परीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) इन प्रयोगों तथा परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस प्रकार के चर्खों का बड़े पैमाने पर निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पूर्णतः धातु से बने चर्खे के क्षेत्रीय परीक्षण पूरे हो चुके हैं; कताई को छोड़कर गांठों की रुई खोलने तथा सफाई करने के लिये बिजली का इस्तेमाल होता है ।

(ख) मुख्य परिणाम ये हैं :—

(1) चर्खे द्वारा आठ घंटे में सूत की 20 मीट्रिक गुंडियों (प्रत्येक 1,000 मीटर की) के उत्पादन करने की क्षमता स्थापित हो चुकी है;

(2) आठ घंटे में 20 गुंडियों के उत्पादन के औसत स्तर तक पहुँचने पर एक साधारण कतवार लगभग 2 रु० कमा सकता है ।

(3) श्रम प्रभारों में लगभग 18 पैसे से 14 पैसे प्रति मीट्रिक गुण्डी तक की कमी का होना ।

(4) यंत्र के चालक की दक्षता की अपेक्षा न करते हुए भी सूत की किस्म अच्छी बनी रहती है ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा 12,000 चर्खों के लिये दिये गये आदेश पर 1,200 चर्खे प्राप्त हुए हैं । आशा है कि बिजली की कमी दूर हो जाने पर उत्पादन बढ़ जायेगा ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों का निर्माण

2771. **श्री बागड़ी** : **डा० राम मनोहर लोहिया**
श्री मधु लिमये : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1965 से 1 अप्रैल, 1966 तक की अवधि में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी द्वारा कुल कितनी घड़ियां बनाई गई ;

(ख) उनका कुल मूल्य कितना है ;

(ग) उनमें कितने प्रतिशत विदेशी पुर्जे तथा मुद्रा लगी है; और

(घ) पुर्जों का आयात और कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1,96,110

(ख) 1,97,52,600 रु०

(ग) 28 प्रतिशत ।

(घ) 1966-67 में आयात का अंश घटा कर 16 प्रतिशत कर दिया गया है । इसमें और अधिक कमी करना ज्वेल, स्प्रिंगों, हेयर स्प्रिंगों और शाक एब्जार्बरों जैसी वस्तुओं का निर्माण देश में होने लगने पर निर्भर करेगा । इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दिल्ली-जयपुर-आगरा मार्ग पर गलियारे वाली पर्यटक रेलगाड़ी

2772. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह दिल्ली-जयपुर-आगरा मार्ग पर गलियारे वाली एक पर्यटक रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

रेलवे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं, इस तरह की गाड़ी चलाने का काई औचित्य नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

निर्यात

2773. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के अप्रत्याशित सूखे के कारण देश को निर्यात से होने वाली आय पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, ता उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : **(क) तथा** (ख) : गत वर्ष सूखे की स्थिति का, विभिन्न कृषि तथा बागान फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा जिसके कारण महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों तथा कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादों के निर्यात में कमी हुई । कृषि उत्पादन में कमी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण 1965-66 के निर्यात उपार्जन में हानि का अनुमान लगभग 70 करोड़ रु० है । जिन वस्तुओं के निर्यात में काफी कमी हुई, वे ये हैं :—मूंगफली, अरंडी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, काजू के छिलके का तेल, खलियां, तम्बाकू, कच्ची रूई, कच्चा जूट, अन्य वनस्पति रेशे, अदरक, मिर्च, हल्दी, सोया के बीज, सौंफ, काजूगिरी, अखरोट, आम, इमली दालें, प्याज, टेपियोका चिप्स, गोंद तथा रालें, उड़नशील तेलों की कतिपय किस्में, चाय तथा काफी । परिमाण में जूट के माल का निर्यात लगभग 60 हजार मी० टन कम हो गया । कृषि पर आधारित अन्य निर्मित मदों के निर्यात में कमी के कारण भी पर्याप्त हानि सहनी पड़ी है । इन मदों में रुई से बनी हुई वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं ।

जूतों का निर्यात

2774. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूतों का निर्यात बढ़ाने के लिये एक निगम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी **मुख्य** बातें क्या हैं; और

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

2775. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 के अन्त तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के कितने कारखाने चालू हो गये थे ;

(ख) चालू हो गये कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) पूरे उत्पादन के लिये अपेक्षित आवश्यक कच्चा माल और पुर्जों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ; और

(घ) उत्पादन लागत कितनी होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लि० के अधिकार में तीन कारखाने हैं जिनके नाम हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट, तथा हैवी मशीन टूल्स प्लांट हैं। इनमें से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट तथा फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट, 1965-66 के अंत तक आंशिक रूप से चालू हो गये थे।

(ख) आंशिक रूप से चले इन एककों की उत्पादन क्षमता का अनुमान निम्न प्रकार है :

	उत्पादन क्षमता
(I) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	10,500 मी० टन प्रति वर्ष
(II) फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट :	
ग्रे आयरन कास्टिंग शाप	2,730 मी० टन प्रति वर्ष
कापर एलाय शाप	75 मी० टन प्रति वर्ष
एल्युमिनियम एलाय शाप	33 मी० टन प्रति वर्ष
*टर्न शाप	21,500 मनुष्य घंटे प्रति माह
टूल तथा डाई शाप	7,650 मानक घंटे प्रति माह
इंस्टालेशन वर्क शाप	75 मी० टन प्रति वर्ष
आक्सीजन प्लांट	549 घन मीटर प्रति घंटा
कम्प्रेसर हाउस	10,000 घन मीटर प्रति घंटा

(ग) पूरा उत्पादन करने के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए प्रति वर्ष निम्नलिखित विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी :—

	(करोड़ रु० में)
हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	13.23
फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	2.47
हैवी मशीन टूल्स प्लांट	1.57

(घ) उत्पादन की अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :

	(करोड़ रु० में)
हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	54.13

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	41.15
हैवी मशीन टूल्स प्लांट	8.77

Loan from World Bank

2776. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Reishang Keishing :
Shri Vishwanath Pandey :
Shri Ramchandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri P. C. Borooah :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Dighe :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1540 on the 6th May, 1966 and state :

(a) whether the amount of the loan and the purpose for which it is required, from the International Development Association (an affiliate of the World Bank) have been settled; and

(b) if so, salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) The Credit equivalent of U. S. Dollars 68 million granted by the International Development Association on 29th June 1966, bears no interest but only a service charge of $\frac{3}{4}$ of one percent per annum.

The Credit is repayable in semi-annual instalments over a period of 50 years-the repayment commencing on August 15, 1976 (i. e. after about 10 years) and ending February 15, 2016—each instalment upto and including the instalment payable on February 15, 1986 to be one half of one percent ($\frac{1}{2}$ of 1%)of the principal amount and eachi nstalment thereafter to be one and one half percent ($1\frac{1}{2}$%) of the principal amount.

The credit is to cover the foreign exchange payments necessary for the Railway Programme shown in the Budget papers for 1966-67, principally covering component parts of Rolling Stock and overhead Electrification, Signalling, Plant and Machinery etc. after taking into account other (bilateral) finance available or expected to be available for meeting the cost of Railway stores and components.

Visit of the Industrial Delegation to African Countries

2777. **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2407 on the 18th March, 1966 and state :

(a) whether the Industrial Delegation which visited some West African countries in October-November, 1965 to explore the possibilities of joint ventures has submitted its report ;

(b) if so, whether Government have examined the report ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Yes, Sir.

(b) Yes Sir.

(c) Government Departments concerned are presently taking the necessary follow up action on various recommendations made by the delegation.

आसाम मेल रेलगाड़ी को पटरी से उतारने का प्रयत्न

2778. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मन्त्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 983 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सितम्बर, 1965 को आसाम मेल रेलगाड़ी को पटरी से उतारने का प्रयत्न किये जाने की घटना के बारे में की जा रही जांच का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस ने जांच करने के बाद भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत इस मामले पर अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी है क्योंकि इसका कोई सुराग नहीं मिल सका।

(ग) अन्तिम रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और अभी तक रेल मन्त्रालय को नहीं मिली है।

चाय बागानों में कीड़ों को नष्ट करना

2779. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री हुकम चन्द कछवाय** : **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री बड़े** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बागानों में कीड़ों आदि को नष्ट करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा जो योजना तैयार की जा रही थी क्या उसे इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख): चाय बोर्ड ने 41 लाख रु० के पूंजीगत परिव्यय और 89 लाख रु० आवर्ती खर्च प्रति वर्ष की एक विस्तृत योजना बनाई है। प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा इस पर अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने से पहले विशेषज्ञों की एक गोष्ठी में इसकी जांच कर ली जाये।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों का आयात

2780. **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री भागवत झा आजाद** : **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री म० ला० द्विवेदी** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम अब भी कारों का आयात करता है ;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में कितनी कारों का आयात किया गया ;

(ग) ये कारें किस प्रयोजन के लिये आयात की गई थीं ; और

(घ) क्या ये कारें लोगों को बेची गई थीं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : राज्य व्यापार निगम किसी भी कार का आयात प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है। फलतः प्रश्न के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर नहीं में हैं। राज्य व्यापार निगम एक सरकारी निर्णय के अनुसार दूतावासों, हाई कमीशनों और उनके कोन्सलावासों, विशेषज्ञों, प्रविधिज्ञों और गैर-विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों से केवल इस्तेमाल में लायी गयी आयातित कारें ही खरीदता है। 1965-66 (31-12-1965 तक) के दौरान राज्य व्यापार निगम ने राजनयिकों आदि से ऐसी 356 कारें खरीदीं।

निगम द्वारा खरीदी गयी कारें सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार बेची जाती हैं। निर्धारित की गयी प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है :—

(1) पर्यटक संवर्धन।

(2) राष्ट्रपति भवन।

(3) राज भवन

(4) प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं।

(5) केन्द्रीय/राज्य सरकारें।

(6) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान।

(7) टेंडरों द्वारा आम जनता।

कोयले का निर्यात

2781. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का समस्त निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कितने कोयले का निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या निर्यात किया जाने वाला कोयला भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से केवल समुद्र द्वारा कोयले का निर्यात किया जाता है। भूमि अथवा नदी द्वारा किये जाने वाला अन्य निर्यात जैसे नेपाल को प्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

(ग) **तथा (घ) :** कोयले के निर्यात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने दो बाहरी देशों अर्थात बर्मा तथा श्रीलंका के साथ संविदाएं की हुई हैं। बर्मा संविदा जहाज पर मुक्त शर्त के

आधार पर है तथा कोयले के जहाजों का प्रबन्ध उस सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि श्रीलंका संविदा लागत तथा भाड़ा आधार पर है और कोयला भारतीय जहाजों में ले जाया जाता है।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

2782. **श्री सुबोध हंसदा :**　　**श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त :　　**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र निर्यात संवर्धन निगम भारतीय चलचित्रों के निर्यात के लिये विदेशी बाजारों का पता लगाने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में;

(ग) उन देशों को निर्यात करने की शर्तें क्या हैं; और

(घ) क्या अब तक किसी फिल्म का निर्यात किया गया है।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा भारतीय फिल्मों के लिये निम्नलिखित देशों में बाजार खोजे गये हैं :--

ब्रिटेन, पूर्वी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ईरान की खाड़ी, इसरायल, अदन, अफगानिस्तान, बर्मा, ईरान, मारीशस, मेडागास्कर, सिंगापुर, मलयेशिया, थाईलैण्ड, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका तथा पूर्वी यूरोपीय देश।

(ग) इन देशों की निर्यात की शर्तें निम्नलिखित हैं :

ब्रिटेन : न्यूनतम गारण्टी के आधार पर।

पूर्वी अफ्रीका : वेस्ट इण्डीज, मारीशस तथा मैडागास्कर, ईरान, इसरायल, ईरान की खाड़ी, थाईलैण्ड, सिंगापुर, मलयेशिया, बर्मा, हांगकांग, तथा अमेरिका, सीधी बिक्री के आधार पर। भुगतान एल/सी अथवा डी/ए शर्तों पर।

अफगानिस्तान तथा अदन : दो महीने की अवधि तक सीमित प्रदर्शन के लिये किराये के आधार पर।

पूर्वी यूरोपीय देश : व्यापार के आधार को शुद्ध विनिमय आधार (अर्थात् पूर्वी यूरोपीय देशों में बनी फिल्मों की खरीद के बदले भारतीय फिल्मों की बिक्री) से बदल कर, पूर्वी यूरोपीय देशों की फिल्मों के बदले भारतीय फिल्मों की बिक्री के साथ-साथ भारतीय फिल्मों के 50 प्रतिशत मूल्य को नगद भुगतान में करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) जी हां, 1964 से 31 जुलाई, 1966 तक 25 चलचित्रों का निर्यात किया गया है।

Air-Conditioned wagons for Betel Leaves

2783. **Shri Bibhuti Mishra :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that betel leaves are supplied by Bengal and Assam to Champaran, Saran and Muzzafarpur Districts of Bihar ;

(b) whether it is also a fact that during the summer betel leaves worth lakhs o rupees decav due to heat ; and

(c) if so, whether Government propose to introduce air-conditioned wagons for the transport of betel leaves ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Betel leaves are generally despatched from Panslura, Bagnan, Mecheda, Kharagpur and Jaleswar stations on South Eastern Railway in West Bengal to stations on North-Eastern Railway in the districts of Champaran, Saran and Muzzafarpur in Bihar.

(b) No.

(c) Does not arise.

Electrification of Railway Stations in Rural areas

2784. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway Stations electrified in rural areas during 1965-66;

(b) the monthly consumption of kerosene oil prior to electrification at Pariavan (P. Q. N.) of Garhi Manikpur (G. H. R.) and Harnamganj (H. N. M.) stations, in Lucknow Division of the Northern Railway as also the monthly consumption of electricity at these stations at present; and

(c) whether it is a fact that the expenditure on consumption of electricity is more than that of consumption of kerosene oil and if so, whether the Railway Administration propose to issue orders to all such stations not to consume electricity in excess of their requirement and use bulbs in place of big fluoroscent tubes ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 226 stations.

(b) Name of station	Average monthly consumption of kerosene oil prior to electrification in litres.	Average monthly consumption of electricity in units (KW Hrs.)
1. Pariawan	62	150
2. Garhimanikpur	99	200
3. Harnamganj	121	400

(c) The expenditure on consumption of electricity is normally more than that for kerosene oil, but this has to be viewed against the better and improved illumination and other facilities electricity provides. Instructions already exist for economical use of electricity at Railway Stations, including ceiling on consumption of electricity. Fluorescent tubes are provided where improved illumination is justified and they are economical, being over 100% more efficient than the tungsten filament bulbs.

Export of Cattle to U. S. S. R.

2785. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether some cattle, which were being sent from U. P. to the U. S. S. R. were sent back from Bombay because they were suffering from disease;

(b) the agency through which this deal was concluded;

(c) the punishment awarded to the persons found guilty in this connection; and'

(d) whether the U. S. S. R. has also cancelled her further deal for the purchase of cattle for the same reason ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (d) : The U. S. S. R. authorities have been anxious for some time to import from India some pedigree animals, just as they have supplied us Merine Sheep. After detailed examination by experts of both sides, a contract was concluded by the STC on 15.3.1966 for supplying 42 animals of agreed specifications, 19 of Sahaiwal breed and 23 of Murrah breed. After enquiries from various livestock centres. selection was made of 28 animals from the U. P. Govt. Farm near Lucknow and 14 animals from Pusa Institute farm, New Delhi. According to the contract, the animals were tested before despatch by the farms and found fit. During the further examination before shipment at Bombay, however, Russian experts declared 19 of the animals as defective though the Indian experts differed. The buyers exercised their right, under the contract, to reject all the animals if individual animals showed specified defect according to them. Since the cattle were rejected by the Russian experts as per the terms of the contract, though the Indian experts have differed, the question of holding any one guilty does not arise.

नेपाल के साथ व्यापार

2786. **श्री प्र० चं० बरुआ : श्री जसवन्त मेहता :**

श्री द्वारका दास मंत्री : श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारतीय रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए अपनी मुद्रा को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत और नेपाल के बीच व्यापार पर कितना और किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इसका भारत-नेपाल व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना

2787. **श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जून, 1966 को दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) क्या गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 4.6.66 को हेतमपुर और मोरेना स्टेशनों के बीच नं० 18 अप दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार इंजन के पटरी से उतरने का कारण यह था कि किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने दोनों पटरियों की पटरी-टेबुल पर रुकावट डाल दी थी ।

बोकारो इस्पात कारखाना

2788. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1966 को 'सर्चलाइट' में इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि "केन्द्र बोकारो कारखाने में बिहारियों को प्राथमिकता देने के विरुद्ध है" ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जैसा कि श्री कमल देव नारायण सिंह, विधान-सभा सदस्य और बिहार रोजगार सम्पर्क समिति के प्रधान ने कहा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : समाचार सही नहीं है । मेसर्स बोकारो स्टील लिमिटेड और मेसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रकशन लिमिटेड दोनों ही भर्ती की नीति का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं जिसके अनुसार उन लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है जिनकी भूमि प्रायोजना के लिए ली गई है ।

मेसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स लिमिटेड ने अपने ठेकेदारों से भी कहा है कि जहां तक हो सके वे स्थानीय लोगों को काम दें ।

दुर्लभ औद्योगिक सामग्री (नियंत्रण) आदेश, 1965

2789. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 जून, 1966 को दुर्लभ औद्योगिक सामग्री (नियंत्रण) आदेश, 1965 को रद्द करने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें इस आदेश के अन्तर्गत आने वाली सामग्री की आवश्यकता तथा उपलब्धता सम्बन्धी ब्योरा दिया गया हो ; और

(ग) क्या यह आदेश अवमूल्यन के कारण अथवा विदेशों से पर्याप्त मात्रा में गैर-परियोजना सहायता मिलने की प्रत्याशा में रद्द किया गया था ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) पाकिस्तानी अभ्याक्रमण द्वारा उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सितम्बर 1965 में स्केयर्स इंडस्ट्रियल मटीरियल्स (कंट्रोल) आर्डर 1965 लागू किया गया था । उसका मुख्य उद्देश्य था देश में अलौह धातुओं के उपलब्ध स्कन्ध का संरक्षण करना तथा उनके उपयोग को इस प्रकार नियंत्रित करना कि सुरक्षा एवम् अल्प महत्व की आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जा सके । इस विस्तृत आदेश को लागू

रखना उस समय अनावश्यक समझा गया जब उपलब्ध स्कन्धों के सुरक्षा या अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के हेतु व्यप्रवर्तन की आवश्यकता नहीं रही। इन परिवर्तित परिस्थितियों में ऐसी धातुओं के आयात के प्रबल्य आयात-लाइसेंस देकर इनके उपयोग के नियंत्रण में रखना संभव समझा गया है।

1966-67 (**प्राक्कलन**)

(**आंकड़े मीटरी टनों में**)

धातु	**मांग**	**देशीय प्रदाय**	**आयात द्वारा पूरा किया जाने वाला शेष**
तांबा	1,15,000	9,400	1,05,600
सीसा	66,000	3,500	62,500
जस्ता	94,000	10,000	84,000
टीन	6,500	—	6,500

(ग) नहीं, महोदय। नियंत्रण आदेश का विखण्डन रुपए के अवमूल्यन के कारण या अधिक गैर-परियोजना सहायता प्राप्त होने की आशा के आधार पर नहीं किया गया।

खादी का उत्पादन

2790. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री दलजीत सिंह :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन बढ़ाने तथा आर्थिक दृष्टि से समाज के निर्बल वर्गों की सहायता करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : खादी तथा ग्राम उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाएँ इस प्रकार हैं :—

खादी (1) शक्ति-चालित धुनाई मशीनों का प्रचलन जिनकी क्षमता पुरानी हस्त-चालित धुनाई मशीनों से चौगुनी तथा पांचगुनी हैं;

(2) नये माडल का पूर्णतः धातु से बना चरखा जिसका हाल में प्रचलन किया गया है और जो परीक्षण-अधीन है;

(3) सुधरे हुये गड्ठे वाले करघों और अर्ध-स्वचालित करघों का प्रचलन;

ग्राम उद्योग (1) सुधरे हुये औजारों का प्रचलन जैसे ग्रामीण तेल उद्योग में स्क्रूप्रेस और गुड़ तथा खांडसारी उद्योग में पेरने की नयी मशीन; और

(2) मिट्टी के बरतन बनाने, हाथ से धान कुटाई करने और ग्रामीण तेल के उद्योगों में बाल-बेयरिंगों तथा गियरों का उपयोग।

जहां तक समाज के निर्बल वर्गों का संबंध है सुधरे हुये उपकरणों, प्रशिक्षण और उत्पादों के विपणन के लिये उदार सहायता, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, दी जाती है :—

(1) इन उपकरणों को छोड़कर जिन के लिये 75 प्र० श० अनुदान दिया जाता है, 50 प्र० श० ऋण के सामान्य ढाँचे के बजाय शत प्रतिशत अनुदान ;

(2) साधारण चरखे और साधारण करघे रियायती दरों पर दिये जाते हैं ; और

(3) अम्बर चरखा कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण की अवधि को 3 से बढ़ाकर 6 महीने कर देना और प्रति-शिक्षार्थी पीछे 15 रु० प्रति मास तक अधिछात्रवृत्ति और अन्य मामलों में प्रशिक्षण की समस्त अवधि के लिये 30 रु० ।

पूर्व यूरोप के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध

2791. **श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 मई, 1966 के बाद पूर्व यूरोप के देशों के साथ वस्तु-विनिमय और व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में कुछ सन्धियों अथवा करारों पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं । 6-6-66 से भारतीय रुपये के अवमूल्यन करने सम्बन्धी निर्णय से पैदा होने वाली समस्याओं को निबटाने के लिये पूर्वी यूरोप के देशों, जिनमें सोवियत रूस भी शामिल है, के साथ जुलाई, 1966 से वार्ता की गयी है और चल रही है । एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है जिसमें इन वार्ताओं का साराँश दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6834/66]

पूर्व रेलवे पर बिना ब्रेक-वैन वाली मालगाड़ियाँ

2792. **श्री बसवन्त :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में लगभग 40 मालगाड़ियां प्रति दिन ब्रेक-वैन के बगैर चलती हैं और गार्ड इंजन में बैठ कर ही कार्य करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में कोई माल गाड़ी ब्रेक-यान के बिना नहीं चलायी जाती । लेकिन कभी-कभी यार्डों में (जहां से पायलट गाड़ियां चलती हैं) अस्थायी रूप से ब्रेक यान की उपलब्धि असंतुलित हो जाने के कारण सियालदह डिवीजन के औद्योगिक क्षेत्र के भीतर चलने वाली कम दूरी की कुछ पायलट गाड़ियों को बिना ब्रेक-यान के चलाना पड़ता है । लेकिन ऐसा बहुत कम होता है । ऐसे अवसरों पर इन पायलट गाड़ियों के निरापद संचालन के लिए विशेष एहतियाती उपाय बरते जाते हैं, जो उन विशेष हिदायतों के अनुसार होते हैं जो ऐसी आकस्मिक स्थितियों के लिए जारी की गयी हैं ।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

2793. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष और इस वर्ष अब तक ब्रिटेन में विभिन्न किस्मों की भारतीय चाय के औसत भाव श्रीलंका की उन्हीं किस्मों की चाय की तुलना में कितने थे; और

(ख) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् लगाये गये अतिरिक्त निर्यात शुल्क के कारण श्रीलंका की चाय की तुलना में भारतीय चाय की व्यापार स्थिति और खराब हो गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1965 तथा जनवरी से जुलाई, 1966 के दौरान लन्दन की नीलामियों में बिकी उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय तथा लंका की चाय की मासिक औसत कीमतें दी गयी हैं [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6835/66]

(ख) जी, नहीं।

राखा (बिहार) में ताम्बा पिघलाने (एमेलटिंग) का कारखाना

2794. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में राखा में देश में उपलब्ध जानकारी से ताम्बा पिघलाने का एक कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में ताम्बे के निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से, देश में अलौह धातुओं तथा अन्य धातुओं का पता लगाने के लिये अपने संगठन को गतिशील करने के लिए कहा गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार खनन उद्योग की समस्याओं का पता लगाने और इस उद्योग के विकास के लिये उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति स्थापित करने का है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है। राखा तांबा निक्षेप के विस्तृत अनुसंधान हो रहे हैं और इस संदर्भ में अन्वेषणात्मक खनन एवं पाइलट प्लांट स्तर पर अयस्क विधायन के लिये संकेन्द्रक की स्थापना की एक योजना विचाराधीन है।

(ख) रोम सिद्धेश्वर, राखा खानें तांबा पहाड़ एवं रामचन्द्र पहाड़ जो इस क्षेत्र के 4 खंड हैं उनमें तांबे के निक्षेपों का अनुमान 98 मिलियन टन अयस्क का लगाया गया है जिनमें 1.0 से 1.025 प्रतिशत तक तांबा है। व्यधन कार्य अभी चल रहा है।

(ग) भारतीय भौतिकी विभाग को अलौह धातु के निक्षेपों के अनुसंधानों को तीव्रतर करने का आदेश दिया गया है और इस उद्देश्य से प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी गण तथा उपकरण को सुव्यवस्थित रूप से लगाया जा रहा है और मजबूत किया जा रहा है।

(घ) खनन उद्योग की विभिन्न समस्याओं की जांच के लिये एक समिति बनाई गई है जो अन्य चीजों के साथ यंत्रीकरण एवं सुधारे हुए तरीकों से आधुनिक खनन तकनीक लागू करने के सुझाव देगी।

Dead Body Found in 31 up At Gorakhpur in June 1966

2795. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dead body of an adult person was found in a compartment adjoining the sleeper coach of Lucknow train No. 31 Up in the third week of June, 1966 and that the passengers removed the dead body out of this compartment and placed it on the platform of Gorakhpur Railway Station (North-Eastern Railway); and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) Yes. On 15.6.66, a dead body of an adult male was found in a III Class Compartment adjoining the sleeper coach of Passenger Train No. 31 Up at Railway station, Gorakhpur. The dead body was removed from the compartment and handed over to Govt. Railway Police along with a Memo by Shri S. M. Siddiqui, Passenger Guide. The Government Railway Police Gorakhpur atonce took the photograph of the dead body, as the identity of the deceased could not be established and sent the dead body for postmortem Examination. The postmortem Examination revealed that death occurred due to natural causes and no foul play was suspected in this case.

दिल्ली-फरीदाबाद जी० टी० रोड पर निचला पुल (अंडर ब्रिज)

2796. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

क्या **रेलवे** मन्त्री 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 975 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा रोड को ग्रीनफील्ड्स कालौनी से मिलाने के उद्देश्य से तुग़लकाबाद तथा फरीदाबाद स्टेशनों के बीच निचला पुल (सब-वे) बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) निर्माण-कार्य की संशोधित अनुमानित लागत के सम्बन्ध में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की स्वीकृति केवल 2.8.1966 को प्राप्त हुई है । यदि सम्बन्धित पक्ष द्वारा लागत की आवश्यक रकम जमा कर दी गयी तो मानसून के बाद काम शुरू कर दिया जायेगा । आशा है कि काम के एक मौसम में निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

1797. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक संस्थानों और प्रबन्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों का इस वर्ष एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुख्य बातों पर विचार किया गया ;

(ग) इस सम्मेलन ने क्या मुख्य सुझाव दिये ; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित 14 और 15 जून, 1966 को "सरकारी क्षेत्र एक नई सम्पत्ति के निर्माता के रूप में" नामक विषय पर बातचीत करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों के अलावा जनता के एक सुसम्बद्ध वर्ग के लोगों ने भाग लिया था जिनमें कुछ सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक तथा प्रबंध संबंधी और वैज्ञानिक संस्थाओं के व्यक्ति भी शामिल हैं। इन व्यक्तियों ने इस सम्मेलन में अपने-अपने उपक्रम अथवा संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में भाग न लेकर व्यक्तिगत रूप में भाग लिया था, जिनकी विचारधारा का आधार अपने-अपने क्षेत्रों में उनका अनुभव था, विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते रहेंगे। समझा गया था कि यह बात स्वतन्त्र रूप से, निष्पक्ष और अनौपचारिक होगी तथा सम्मेलन सरकार को सहमत सिफारिशों के बारे में सूचित करेगा। स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से विचारों के आदान-प्रदान में कोई रुकावट न पड़े, इसलिये यह तय किया गया था कि बातचीत का कोई भी औपचारिक कार्य-विवरण नहीं रखा जाना चाहिये। फिर भी बातचीत के दौरान उठाई गई महत्वपूर्ण बातें नोट कर ली गई थीं जिनकी जांच की जा रही है।

राजधानी में सिगरेटों के दाम

2798. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में सिगरेटों के दाम बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सिगरेटों के दाम घटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) (क) और (ख) : वर्ष 1966-67 के सामान्य बजट की घोषणा के पश्चात् तम्बाकू और अन्य कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क लगा दिये जाने तथा अन्य कर लगा दिये जाने से कुछ किस्म की सिगरेटों के मूल्य कुछ बढ़ गये थे। फिर भी पिछले चार महीनों में कम्पनी की सिगरेटों के मूल्यों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) सिगरेटों के मूल्यों पर कोई भी कानूनी कंट्रोल नहीं है। सरकार सभी प्रसिद्ध किस्मों की सिगरेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी सम्भव कार्रवाई कर रही है क्योंकि ऐसा करने से ही मूल्य घटाए जा सकेंगे।

हांग कांग के साथ व्यापार

2799. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और हांग कांग के बीच दोनों ओर से व्यापार बढ़ाने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Wheat stored in Nagpur Goods Shed

2800. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 500 bags of wheat stored in the Nagpur Goods Shed of the Central Railway became unfit for human consumption because of rains as reported in "Vir Arjan" dated the 23rd June, 1966;

(b) whether it is also a fact that a large quantity of wheat got scattered in the goods train owing to wornout bags; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) (a) No.

(b) No.

(c) Question does not arise.

केन्द्रीय लघु उद्योग बोर्ड

2801. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लघु उद्योग बोर्ड की बंगलौर में हाल में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो देश में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये बोर्ड ने क्या सिफारशें की ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र): (क) जी, हां। लघु उद्योग की एक बैठक बंगलौर में 8 और 9 जुलाई, 1966 को हुई थी।

(ख) बोर्ड द्वारा उसकी बैठक में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(1) लघु उद्योग की वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करने के लिए केन्द्र में एक अलग वित्ताय संस्था स्थापित की जा सकती है।

(2) जब तक लघु उद्योग की क्षमता का पूरा पता नहीं लगा लिया जाता तब तक उपलब्ध दुर्लभ कच्चे माल का एक तिहाई भाग लघु उद्योग क्षेत्र को दिया जाना चाहिए।

(3) लघु उद्योग की परिभाषा की पुनरीक्षा करके उसकी 5 लाख रु० (भूमि और इमारत समेत) की वर्तमान पूंजी की सीमा से बढ़ा कर 7.5 लाख रु० (भूमि और इमारतों को शामिल न कर) कर दी जानी चाहिए। छोटे सहायक उद्योगों के मामले में पूंजी की सीमा 10 लाख रु० कर देने की सिफारिश की गई थी। जिसमें भूमि और इमारतें शामिल नहीं है।

(4) बोर्ड ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन को प्राप्त वर्तमान अधिकार; और लघु उद्योगों के विकास के मामले में आवश्यक समायोजन करने तथा समानता लाने के लिए पर्याप्त हैं, एक तदर्थ समिति की स्थापना करने का निश्चय किया है।

(5) बोर्ड ने लघु उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकतायें पूरी करने के लिए केन्द्रीय लघु

उद्योग संगठन ने उपयुक्त संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है।

(6) बोर्ड ने सिफारिश की है कि राज्य के उद्योग निदेशकों को लघु औद्योगिक उपक्रमों का अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के लिए प्रबन्ध करने चाहिए।

(7) बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि विभिन्न राज्यों में लघु उद्योग निगम के कार्य संचालन का अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित की जानी चाहिए।

दिल्ली तथा जोधपुर के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

2802. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक आवश्यकता तथा जोधपुर के प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली तथा जोधपुर के बीच निकट भविष्य में एक और रेलगाड़ी चालू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली तथा बीकानेर के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

2803. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा बीकानेर के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाई गई है ; और

(ख) क्या इस में होने वाला यातायात संतोषजनक है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, 1 अक्तूबर, 1965 से।

(ख) प्रायः संतोषजनक है।

अमरीकी सहायता गैर-परियोजना ऋण संबंधी आयात नियमों में परिवर्तन

2804. **श्री राम हरख यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किये जाने के बाद अमरीकी सहायता गैर-परियोजना ऋण संबंधी आयात नियमों में परिवर्तन किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो परिवर्तित नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इन परिवर्तनों से एजेन्ट के कमीशन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) अमरीकी सहायता गैर प्रायोजना ऋण 1966 के अन्तर्गत आयात पर लागू होने वाली शर्तें जैसा कि अवमूल्यन से पूर्व आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना सं० 45 आई०

टी० सी० (पी० एन०) / 66 दिनांक 5 अप्रैल, 1966 में अधिसूचित की जा चुकी है अवमूल्यन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित रूप में बदल दी गई हैं :

(I) अमरीकी सम्भरणकर्ताओं में डालर के बदले वितरण किये जाने के लिये सरकारी खाते में रुपयों में जमा करने के लिये इसकी परिवर्तन दर 100 डालर के लिये 481.00 रु० के स्थान पर 100 डालर के लिए 757.50 रु० है।

(II) एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डैवलपमेंट वाशिंगटन के लघु व्यापार परिपत्र "अमरीकी व्यापार को सूचना" में प्रकाशन के लिए 24,000 रु० या अधिक के स्थान पर 37800 या अधिक रु० के मूल्य के लाईसेंसों के बदले आयात के मामले में प्रस्तुत करने की आवश्यकता।

(III) वह न्यूनतम मूल्य जिसके लिए लाइसेंस दिया जायेगा, 5,000 रु० के बदले 7,600 रु० होगा।

(ग) जी, नहीं। अमरीकी सम्भरणकर्त्ता के भारतीय एजेन्ट को कमीशन का भुगतान न मिलकर आयातक से सीधे आयातक के बैंक से रु० में किया जायेगा। फिर भी यह परिवर्तन अवमूल्यन का परिणाम नहीं है।

U. S. S. R. Aid for Coal Mines

2805. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U. S. S. R. has proposed to give aid for the development of coal mines;

(b) if so, the extent of aid proposed to be given; and

(c) the production of coal at present and the target of production expected after the aid ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) and (b) The Government of U. S. S. R. has agreed to assist in the development of about 8 cokirg coal mines by the National Coal Development Corporation. Details of the assistance have not yet been finalised.

(c) The production of coal in 1965-66 was about 67. 73 million tonnes of which 16. 96 million tonnes was coking coal. The total target capacity of new mines posed for Soviet aid is 6. 5 million tonnes. In addition assistance has been sought for expansion of two existing mines with an additional coal programme of 2.0 million tonnes.

Land along Railway Track

2806. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway Administration have made an anouncement that land lying idle by the Railway track may be used free of charge for agricultural purposes with a view to solving food problem;

(b) if so, the reasons for which cultivable land by the railway tracks from Kota to Bina has not been allotted to the poor farmers;

(c) whether the Divisional Superintendent of the Western Railway has received any applications for bringing the said land under cultivation; and

(d) if so, the reasons for which this land has not been allotted ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. It has been announced that all surplus cultivable Railway land between stations would be permitted to be cultivated by owners of adjoining fields free of charge up to 30th June 1967.

(b) No farmers have applied for land on Kota-Bina Section.

(c) No.

(d) Does not arise.

Peons in D. S. Office Kotah

2807. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Scheduled Castes employees, viz. peons of D. S. Offices, Kotah have been removed from service even though they had put in 3 years continuous service;

(b) whether it is also a fact that the peons other than the Scheduled Castes who had put in service for lesser period, have been retained in service; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Production of Steel in Public Sector Steel Plants

2808. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) the total quantity of various types of Steel produced by the Steel Plants in the public sector during 1965-66; and

(b) whether this quantity was more than that of 1964-65 ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) (a) and (b) : Total production of saleable steel in the Public Sector Steel Plants during 1965-66 and 1964-65 are given below :--

(In '000' Tonnes)

	1965-66			1964-65		
	Saleable Semis	Finished Steel	Total	Saleable Semis	Finished Steel	Total
Rourkela	2.8	717.3	720.1	3.8	625.9	629.7
Bhilai	302.7	725.6	1028.3	257.7	653.7	911.4
Durgapur	171.3	510.5	681.8	226.1	493.4	719.5
Mysore Iron and Steel Ltd.	---	48.9	48.9	---	39.1	39.1
	476.8	2002.3	2479.1	487.6	1812.1	2299·7

It would be seen from the above table that excepting Durgapur Steel Plant, total production of saleable steel in all the Public Sector Steel Plants during 1965-66 was more than that of the year 1964-65.

कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना

2809. **श्री दलजीत सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट निगम ने कांगड़ा जिले में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार इस समय सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर के भंडारों के क्षेत्र का पता लगाने के काम में लगी हुई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का कांगड़ा क्षेत्र में तत्काल ही कोई सीमेंट कारखाना स्थापित करने का विचार नहीं है।

गुंटूर से विजयावाड़ा तक रेलवे लाइन का दुहरा किया जाना

2810. **श्री म० ना० स्वामी : श्री उमानाथ :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य लाइन पर गुंटूर से विजयवाड़ा तक रेलवे लाइन को दुहरी करने का कार्य जारी रखने का विचार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस सेक्शन में यातायात की भीड़भाड़ से स्थानीय यात्रियों को असुविधा होती है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच अतिरिक्त बड़ी लाइन मुख्य लाइन पर नहीं है और इस खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हाँ। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच चलने वाली गाड़ियों में भीड़-भाड़ देखी गयी है। भीड़ कम करने के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना इस समय परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। लाइन-क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ काम किये जा रहे हैं। इन कामों के पूरा होने पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर यथोचित विचार किया जायेगा। फिलहाल, यदि अधिक सवारी डिब्बे मिल सके, तो वर्तमान गाड़ियों में और अधिक डिब्बे लगाने के बारे में विचार किया जायेगा।

राजखरसांवां-चाईबासा यात्रीगाड़ी सेवा

2811. **श्री ह० चं० सोय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में आर० बी० ब्रांच लाइन पर राजखरसांवां और चाईबासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में मंगलवार के दिन बाजार जाने वाले स्थानीय यात्रियों के लिये बहुत कम स्थान होता है और टिकट उससे कहीं अधिक बेचे जाते हैं ; और

(ख) क्या राजखरसांवा में बेकार पड़े डिब्बों को चाईबासा से दोपहर बाद चलने वाली गाड़ियों में आसानी से जोड़ा जा सकता है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ। राजखरसावां और चाईबासा के बीच 20 किलोमीटर के छोटे से टुकड़े पर 413 अप/414 डाउन टाटा-गुवा सवारी गाड़ियों के तीसरे दर्जे में भीड़-भाड़ देखी गयी है। इस बात की हिदायत है कि इन गाड़ियों के गार्ड से "बुकिंग रोकने का सन्देश" मिलने पर टिकट जारी करना सीमित कर दिया जाय।

(ख) राजखरसावां में कोई सवारी डिब्बा बेकार नहीं खड़ा है। लेकिन, दक्षिण-पूर्व रेलवे से कहा जा रहा है कि मंगलवार के दिन इन गाड़ियों में यथोचित रूप से अधिक डिब्बे लगाये जायें।

दुर्गापुर में कोयला धोने का कारखाना

2812. **श्री पन्ना लाल** **श्री बृजबासी लाल**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पोलैंड ने दुर्गापुर में कोयला धोने का एक कारखाना स्थापित करने और सुदामादिह कोयला धोने के कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बारे में 1 जुलाई, 1966 को एक करार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) दि माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर को पोलैंड की मैसर्स सैन्ट्रोजाप के साथ सुदामडीह वाशरी के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जून, 1966 में एक समझौता करने का अधिकार दे दिया गया है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा पोलैंड की फर्म के सहयोग से दुर्गापुर में कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सुदामडीह वाशरी, जिसका निर्माण मई, 1966 में हुआ था, की पूंजीगत लागत का प्रारम्भिक अनुमान 4 करोड़ रु० है। अवमूल्यन के बाद किये जाने वाले आयात तथा स्वदेशी संयंत्र एवं आयातित अंश वाले उपकरणों का मूल्य बढ़ जाने के कारण बढ़ जाने वाली लागत का संशोधित अनुमान लगाया जा रहा है। लागत का ठीक-ठीक अनुमान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर ही लगाया जा सकेगा।

Carriage Employees of Allahabad Division (N.Rly.)

2813. **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y.D. Singh :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no period has been prescribed for the promotion of carriage employees of the Allahabad Division on the Northern Railway ;

(b) whether a carriage employee remains in Class IV and there are no chances of promotion for him to class III post ; and

(c) the steps taken to give them the opportunity for promotion ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a), (b) and (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

रेलवे में वर्कशाप फोरमैनों की द्वितीय क्षेणी के पदों पर पदोन्नति

2815. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलों में वर्कशाप फोरमैन, क्षेणी दो के राजपत्रित पदों के लिये चुनाव परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाओं में श्रेणी दो के पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी नियम क्या हैं तथा कितने प्रतिशत पदों पर वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति करके नियुक्तियां की जाती हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उत्तर रेलवे में 27.2. 1966 को जो लिखित परीक्षा हुई, उसमें 379 पात्र उम्मीदवारों में से 85 फोरमैन शामिल नहीं हुए । इस तरह का मामला और किसी दूसरी रेलवे में नहीं हुआ है ।

(ख) अनुपस्थित फोरमैनों ने यांत्रिक विभाग में द्वितीय क्षेणी के पदों के लिए प्रवरण की तत्कालीन लागू प्रक्रिया में आशोधन करने के लिए अभ्यावेदन दिये ।

(ग) यांत्रिक और बिजली विभागों में द्वितीय क्षेणी के सभी पद, यथावत निर्मित प्रवरण मण्डल द्वारा चुने जाने पर तृतीय श्रेणी के उपयुक्त कर्मचारियों में से भरे जाते हैं । यांत्रिक और बिजली विभागों में द्वितीय श्रेणी के पदों के प्रवरण की पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) केवल स्थायी कर्मचारी पात्र होंगे ।

(2) 333-425 रु० (अधिकृत वेतन मान) और उससे ऊपर के पदक्रम के सभी कर्मचारी बशर्ते उन्होंने इन पदक्रमों में या निचले पदक्रम में 335 रुपये के सोपान पर पहुँचने के बाद 3 वर्ष की अनाकस्मिक सेवा की हो ।

नोट (i) उपर्युक्त शर्तों के होते हुए स्थायी कर्मचारी जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री (या उसके समकक्ष योग्यता) हो और तृतीय क्षेणी में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की हो, उन्हें भी प्रवरण में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए ।

नोट (ii) यदि महा प्रबन्धक समझता है कि ऊपर मद (2) से वरण के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं मिलता है, तो जिन स्थायी कर्मचारियों ने 250-380 (अधिकृत वेतन मान) और उच्चतर पदक्रम में 335 रु० के सोपान पर पहुँचने के बाद कम से कम 3 वर्ष की अनाकस्मिक सेवा की हो, उन्हें प्रवरण के लिए पात्र माना जा सकता है ।

वीरमगाम जाने वाली जनता एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

2816. **श्री पन्ना लाल :** **श्री बृजवासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री राम हरख यादव :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जुलाई, 1966 कोबम्बई सेन्ट्रल स्टेशन से प्रस्थान करते सयय वीरमगाम जाने वाली जनता एक्सप्रैस गाड़ी के दो डिब्बे अलग हो गये और पटरी से उतर गये; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां। गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बाद डिब्बे अलग हुए।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

बडनेरा स्टेशन पर उपरिगामी पुल

2817. **श्री श्रीनारायण दास श्री न० प्र० यादव :**

श्रीमती विमला देशमुख :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर एक नया उपरिगामी पुल बनाने अथवा कम से कम वर्तमान पुल को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है।

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री(श्री शामनाथ) : (क) और (ख) : जनवरी, 1966 में परिवहन और विमानन मन्त्रालय ने कहा था कि बडनेरा स्टेशन के निकट वर्तमान ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा किया जाये ताकि उससे राष्ट्रीय राजपथ गुजर सके। तदनुसार मध्य रेल प्रशासन ने परिवहन और विमानन मन्त्रालय से निवेदन किया था कि वह इससे सम्बन्धित तकनीकी व्यौरा दे और साथ ही इसकी लागत की मंजूरी दे, जैसा कि वर्तमान नियमों के अनुसार अपेक्षित है।

परिवहन मन्त्रालय ने अप्रैल, 1966 में बताया कि इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है क्योंकि सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी उसकी है। अब यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केरल में मोटर से चलने वाली नाव बनाने का उद्योग

2818. **श्री अ० क० गोपालन : श्री वासुदेवन नायर :**

श्री प० कुन्हन :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल में रूस के सहयोग से मोटर से चलने वाली नावें बनाने का उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : **(क) और (ख)** : चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में सोवियत सहायता से केरल राज्य में नाव बनाने का एक यार्ड स्थापित करने

के बारे में हाल ही में केरल सरकार के पास से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत में मछली पालने का विकास करने के लिए सोवियत सहायता से कार्यक्रम के एक अंश के रूप में जो परियोजनाएं आरम्भ की जानी हैं उनके बारे में अभी अंतिम रूप में निर्णय नहीं किया गया है। ये परियोजनाएं किस स्थान पर स्थापित की जांये इसके बारे में, जिसमें नाव बनाने का यार्ड भी शामिल है, सोवियत सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम के अंतिम रूप से निश्चित हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां

2819. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1966 को उड़ीसा में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां काम कर रही थीं और उनकी उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

2822. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्तमान प्रधान को, जो कि कपड़ा-आयुक्त भी हैं, रेशम उद्योग के विकास की ओर ध्यान देने के लिये बहुत ही कम समय मिलता है, क्योंकि कपड़ा आयुक्त के नाते उनको जो काम सौंपे गये हैं, वह उनमें ही व्यस्त रहते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिये पूर्णकालिक प्रधान की मांग की गई है, ताकि वह मैसूर तथा देश के दूसरे भागों में रेशम उद्योग के विकास की ओर पूरा ध्यान दे सकें; और

(ग) यदि हां, तो पूर्ण कालिक सरकारी अथवा गैर-सरकारी प्रधान नियुक्त करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : **(क) से (ग)** : हाल के वर्षों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, विशेषतः इस कारण कि अनुसंन्धान प्रशिक्षण और मूलभूत बीज संस्थाएं स्थापित करने के लिये भी बोर्ड ने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके अतिरिक्त योजना के कार्यान्वियन से सम्बद्ध राज्यों के विकास परक कार्यों की गति भी गहन कर दी गयी है जिससे बोर्ड के सचिवालय के काम का भार बढ़ गया है। इस संदर्भ में वस्त्र आयुक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मामलों की ओर इतना समय नहीं दे पा रहा है जितना कि अब उसे अपेक्षित है। इसे दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिये एक पूर्णकालिक बैतनिक अध्यक्ष की नियुक्ति करने का हाल में निश्चय किया है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खादी बोर्ड

2823. **श्री लखमू भवानी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खादी बोर्डों को कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख)

उत्तर प्रदेश	**(लाख रुपयों में)**
अनुदान	0.54
ऋण	1.60
	2.14
मध्य प्रदेश	
अनुदान	2.42
ऋण	6.16
	8.58

Fire in Coal Stock of Bhilai Steel Plant

2824. **Shri Yudhvir Singh** : **Shri Omkar Singh** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that much damage was caused to Bhilai Steel Plant as the coal stock there caught fire towards the end of July, 1966 ;

(b) if so, the causes of fire and the extent of damage caused thereby ;

(c) whether it is also a fact that the supply of coal from the coal mines in Bihar and Bengal has been stopped ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) No, Sir.

(c) No, Sir; however, temporary suspensions were resorted to for short periods, wherever optimum capacity of the Bhilai Steel Plant Coal stockyard had been reached, which is a normal feature.

(b) and (d) : Do not arise.

Tarachand Wage Board

2825. **Shri Bade** : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Yudhvir Singh : **Shri Omkar Singh** :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in implementation by Government of the recommendations of Tarachand Wage Board on Bhilai Steel Plant ;

(b) whether it is a fact that nearly 300 workers (Sweepers) of Sector VI of the Plant were given alternative accommodation with the assurance that they would be provided with better accommodation ;

(c) whether it is also a fact that this new place is very swampy and during rains, water enters their quarters and that small poisonous creatures such as snakes and scorpions also appear there endangering the life of these sweepers all the time ;

(d) whether the quarters of these persons have thatched roofs ; and

(e) if so, the action taken in regard thereto ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) The Tarachand Wage Board recommendations are reported to be in respect of the structure of emoluments and conditions of service of the Madhya Pradesh Government employees, and as such it is not applicable to the Bhilai Steel Plant.

(b) and (c) 300 families which included Sweepers and others were living in an area adjoining Sector VI in very insanitary conditions when this Sector had not developed. The Town Administrator therefore, approached the residents and requested them to move to other locations. These residents, of which 52 were non-Bhilai Steel Plant persons agreed to move. 7 Sweepers agreed to make their own arrangements. The rest of the families were divided into three colonies situated near their places of work.

The old unauthorised colony did not have any adequate arrangements for water, electricity, and latrines. The new colonies have adequate arrangements for water, light etc. and have been provided with flush system. The risk of snakes etc. does exist, but it is the same throughout Bhilai township. As the new sweepers colonies are situated in inhabited areas the risk to sweepers cannot be said to be greater than that to other inhabitants.

(d) Yes, Sir.

(e) There are about 10,000 permanent employees who are also living in thatched huts. All of them have to wait for their turn for better accommodation.

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मानव केश का निर्यात

2827. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव केश के निर्यात से होने वाले लाभ को बांटने के बारे में राज्य व्यापार निगम और तिरुपति में देवास्थान के प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद का क्या स्वरूप है ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

New Railway Stations in Bikaner Division

2828. **Shri P. L. Barupal** : **Shri Dhuleshwar Meena** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of New Railway Stations to be opened in Bikaner division for which a demand has been made and the locations thereof ; and

(b) the names of the stations among them which would be given priority and when they are likely to be opened ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b) : Eight Train Halts are proposed to be opened in Bikaner Division. The locations thereof are as under :—

1. Train Halt between Hissar and Charaud stations.
2. Train Halt between Sirsa and Bara Gudha stations.
3. Train Halt between Sadulshahr and Banwali stations.

4. Train Halt between Raisinghnagar and Gajsinghpur stations.

5. Train Halt beween Hissar and Jakhod Khera stations.

6. Train Halt between Pilibangan and Rangmahal stations.

7. Train Halt between Hanumangarh and Dholipal stations.

8. Train Halt between Loharu and Parvespur stations.

The above proposed Train Halts are listed in order of priority for their opening. It is not possible to give exact date of their opening at this stage. Various factors including availability of funds have to be taken into account.

Bridges on Level Crossings in Bikaner Division

2829. **Shri P. L. Barupal : Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that a scheme was drawn for constructing overbridges and underbridges at the level crossings in Bikaner Division of the Northern Railway but the local Municipal Committee, Town Development Committee, Business Organisations and District Congress Committee opposed this move;

(b) if so, whether this scheme has been postponed; and

(c) whether Government propose to divert the existing railway line outside the city and if so, when this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) and (c) The question of diversion of the Railway line away from Bikaner city; or in the alternative, the provision of road over-bridges in replacement of the existing level crossings is still under consideration of the State Government of Rajasthan.

Import of Television Sets from Yugoslavia

2830. **Shri P. L. Barupal : Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Government of Yugoslavia have offered to give television sets to India at the rate of Rs. 1,000/- each ; and

(b) if so, whether Government have accepted the offer ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b) : Imports/exports from and to East European countries are made within the framework of Trade and Payment agreements/on normal commercial basis, with respect to each country. In terms of the Trade agreement relating to Yugoslavia the STC entered into a contract on 6.12.1965 for the import of 2,000 T. V. receivers from Yugoslavia under normal commercial arrangements. The first lot of 502 TV receivers reached India before devaluation and the remaining sets are expected to be received in due course. The predevaluation C and F Bombay price of the receiver was Rs. 586/ per set, which has been marked up by 57.5% and stands at Rs. 923 per set after devaluation of the rupee.

Transistors

2831. **Shri P. L. Barupal : Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the production of transistors in India ;

(b) whether Government propose to give assistance to a party if it starts the production of transistors ; and

(c) if so, the nature of the proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Transistors industry has made substantial progress in the recent years, as may be seen from the figures of production for the years 1962 to 1965, given below:—

Transistors :	1962	1963	1964	1965
	92,088	8,61,559	25,24,331	48,40,162

(b) The industry is on the open list for licensing and applications received for licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, are considered on merits. Government do not extend any special assistance in this regard.

(c) Does not arise.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2832. **श्री दे० जी० नायक** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के फ़ीलैंडगंज लोको-शाप में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टरों के आवंटन के मामले में वरीयता नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) फ़ीलैंडगंज लोको शाप में काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर देने के मामले में विशेष ध्यान रखा जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

महाराजा एण्ड मिनर्वा काटन मिल्स

2834. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों द्वारा बंगलौर में महाराजा एण्ड मिनर्वा काटन मिल्स को गत तीन महीनों से बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं ;

(ग) क्या इस मिल के प्रबन्धकों ने, जो कि तालाबन्दी के लिये जिम्मेदार हैं, सरकार से सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार की सहायता की मांग की है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मैसूर में महाराजा मिल्स नाम की कोई कपड़ा मिल नहीं है। दो मिलें अर्थात् मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कं० लि० बंगलौर और मिनर्वा मिल्स लि०, बंगलौर 4 अप्रैल 1966 से बन्द पड़ी हुई हैं।

(ख) बताया जाता है निरन्तर अलाभप्रद कार्यचालन और वित्तीय कठिनाइयों के कारण ये मिलें बन्द की गयी हैं। दोनों मिलों में काम पर लगे कामगरों की कुल संख्या 6285 है।

(ग) तथा (घ) : मिल कम्पनियों के प्रबन्धकों ने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह मैसूर सरकार की गारण्टी पर स्टेट बैंक आफ इन्डिया से ऋण पाने के उनके आवेदन पत्रों की सिफारिश कर दे। ऋण संबंधी उनकी प्रार्थना की सिफारिश स्टेट बैंक आफ इन्डिया और मैसूर सरकार से कर दी गयी। दोनों मिलें अब कनारा बैंक लि० से पांच-पाँच लाख रु० का ऋण प्राप्त कर सकी हैं। और अधिक सहायता पाने की मिलों की प्रार्थना पर स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा, आवश्यक जांच के बाद, विचार किया जायगा।

बरहामपुर-खुर्दा रोड जोन में छंटनी

2835. **श्री मोहन नायक** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के बरहामपुर खुर्दा रोड जोन में ग्रेड चार के दो सौ से अधिक मजदूरों की छंटनी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये मजदूर इस रेलवे में कितने समय से कार्य करते रहे थे ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, नवम्बर 1965 में।

(ख) मौसमी काम पूरा हो जाने के कारण, जिसके लिए वे रखे गये थे।

(ग) उनमें से किसी ने लगातार छः महीने से अधिक सेवा नहीं की थी।

पलासा तथा खुर्दा रोड के बीच दुहरी रेलवे लाइन बनाना

2836. **श्री मोहन नायक** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में पलासा तथा खुर्दा रोड के बीच रेलवे लाइन को दुहरी लाइन बनाने का काम कब आरम्भ किया गया था ; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) पलासा और खुर्दा रोड के बीच 220 किलोमीटर लम्बे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने का काम नीचे लिखे अनुसार दो चरणों में किया जा रहा है :—

चरण I खुर्दा रोड से भुशण्डपुर और जगन्नाथपुर से पलासा (116 कि० मी०) जुलाई, 1962 में और चरण II भुशण्डपुर से जगन्नाथपुर (104 कि० मी०) फरवरी, 1964 में शुरू किया गया।

(ख) अभी तक चरण I के अन्तर्गत 32 किलोमीटर लम्बी दोहरी लाइन पूरी हुई है और यातायात के लिए खोली जा चुकी है।

यदि धन उपलब्ध होता रहा तो शेष 189 किलोमीटर लाइन भी कई चरणों में यातायात के लिए खोल दी जायेगी।

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

2837. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कपड़ा उद्योगों को अपने कार्य संचालन का आधुनिकीकरण करने में सहायता करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) गत पांच वर्षो में उपकरणों तथा पुर्जों का आयात करने के लिये क्षेत्रवार कितनी मुद्रा नियत की गयी है ; और

(ग) 1966-67 के लिये कितनी राशि निर्धारित की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कपड़ा उद्योग का, जो मुख्यत: निजी क्षेत्र में है, सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण का एक सतत कार्यक्रम है ; और सरकार तथा वित्तीय संस्थाएं इन मिलों की सहायता करती हैं। यही सुविधाएं भविष्य में भी जारी रहेंगी।

(ख) गत पांच वर्षों में, अर्थात 1961-62 से 1965-66 तक लगभग 48.74 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का आवंटन किया गया था। देश में कपड़ा मशीन उद्योग भी बढ़ रहा है और कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण में उत्तरोत्तर योगदान दे रहा है।

(ग) 1966-67 के लिये अभी विदेशी मुद्रा का आवंटन नहीं किया गया है।

बिना टिकट के यात्रा

2838. **श्री जेधे** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 5 वर्षों में रेलवे में बिना टिकट की यात्रा में वृद्धि हो रही है ;

(ख) दिल्ली तथा इसके आसपास नई दिल्ली, सराय रोहिल्ला, किशनगंज, सब्जी मंडी तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर आने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा का पता लगाने के लिये पिछले 7 महीनों में कितनी बार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चेकिंग की गई है ;

(ग) इस अवधि में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्तियों का पता लगाया गया है और जुर्माने के तौर पर उनसे कितनी राशि वसूल की गई है ;

(घ) जुर्माने का भुगतान न करने के कारण कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया है, और

(ङ) बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 27

(ग) 833 व्यक्ति पकड़े गये और जुर्माने के रूप में 5,377 रु० 75 पैसे की रकम वसूल की गयी।

(घ) 132

(ङ) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए चल टिकट परीक्षकों द्वारा नियमित जांच के अलावा कई तरह की विशेष जांच की जाती है, जैसे रास्ते में गाड़ी रोककर जांच, स्थानिक जांच (spot check) और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।

Crossing Bridges at Railway Stations

2839. **Shri Rameshwaranand** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several deaths take place every year at Sonepat, Panipat and Karnal Railway Stations for want of over bridges;

(b) whether it is proposed to construct over bridges on the said Railway Stations in view of such incidents ; and

(c) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) A few deaths occurred at Railway Stations Sonepat, Panipat and Karnal due to crossing the yards.

(b) There is already a foot-over-bridge at Panipat. There is already a proposal for providing footover-bridgesat Sonepat and Karnal Railway Stations.

(c) The fabrication of steel work for the over bridges at Sonepat and Karnal stations is already in hand and is expected to be completed by about the middle of October, 1966. Erection work will be taken in hand immediately thereafter.

Construction of Platform

2840. **Shri Rameshwaranand** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the trains cross many a time at Gharaunda, Babarpur, Taraori, Panipat and Nilokheri railway stations but there are no platforms on the other side which causes great inconvenience to public ;

(b) whether there is any proposal to construct platforms on the other side of these stations ; and

(c) if so, when they would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. Passenger trains are scheduled to cross at Nilokheri, Taraori, Gharaunda and Panipat stations. There is no scheduled crossing at Babarpur. However, when trains run late the scheduled crossings get upset and these are then arranged at other stations including Babarpur. There is only one platform on each of the above stations excepting Panipat, which has got three platforms.

(b) Yes. Rail level platforms at stations having scheduled crossing are planned on a programmed basis subject to availability of funds.

(c) It is not possible to give a target date of completion at present.

कुट्टीपुरम के मछली निर्यातक

2841. **श्री मुहम्मद कोया : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुट्टीपुरम (केरल) रेलवे स्टेशन पर ताजा मछली के निर्यातकों की कठिनाइयों का पता है, क्योंकि वहां पर डाक गाड़ियों में मद्रास के लिये मछली लादने की कोई सुविधा नहीं है और बड़ी मात्रा में मछलियाँ खराब हो जाती हैं : और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख)—कुट्टीपुरम् में मछली लादने के मौसम में अर्थात् अगस्त से जनवरी तक के महीनों में शोरानूर तक नं० 62 कासरगोड–शोरानूर सवारी गाड़ी और उससे आगे नं० 2 मंगलोर-मद्रास डाकगाड़ी के पार्सल यान द्वारा इस स्टेशन से एक मीटरिक टन मछली भेजने का कोटा नियत है। नं० 30 मालाबार एक्सप्रेस गाड़ी

द्वारा भी 1 क्विंटल मछली भेजने का और कोटा नियत है। बाकी गाड़ियों द्वारा बिना किसी कोटे की पाबंदी के मछली भेजी जाती है आमतौर पर मछली के पार्सल बकाया नहीं रहते और इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

शोरानूर और कोचीन के बीच रेलगाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि

2842. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के शोरानूर और कोचीन स्टेशनों के बीच सभी रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : इन गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है जो शोरानूर-कोच्चिन खंड पर पहले से ही अधिकतम निर्धारित रफ्तार से चलायी जा रही हैं, सिवाय इसके कि कुछ वर्तमान हाल्टों को समाप्त कर दिया जाये। लेकिन इस खंड पर यातायात की जरूरतों को देखते हुए ऐसा करना वांछनीय नहीं है।

तीसरे दर्जे के पर्यटक सवारी डिब्बे

2843. **श्री मि० सू० मूर्ति**: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संस्था ने तीसरे दर्जे के नये पर्यटक सवारी डिब्बों के डिंजाइन तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन डिब्बों में क्या सुधार किया गया है और यात्रियों के लिये किन अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने अभी हाल में तीसरे दर्जे के पर्यटक यान की कोई नयी डिजाइन नहीं बनायी है। फिर भी, यह संगठन रेल प्रशासन की सलाह से वर्तमान डिजाइन में कुछ सुधार और यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ देने की व्यवस्था के लिए विचार कर रहा है।

सभा के नेता के विरुद्ध विशेषाधिकार-भंग के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE
AGAINST THE LEADER OF THE HOUSE

श्री दाजी इन्दौर : 16 अगस्त को जब कुछ सदस्यों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार संबंधी मामला उठाया था कि खाद्य और कृषि मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम की जिम्मेदारी के विषय में प्रधान मंत्री ने महान्यायवादी से परामर्श किया है और महान्यायवादी ने उन्हें दोष-मुक्त ठहराया है तब सभा के नेता श्री सत्य नारायण सिंह ने यह कहकर कि दुर्भाग्य से यह समाचार किसी प्रकार निकल गया है इस बात की पुष्टि की कि प्रधान मन्त्री ने लोक लेखा समिति के आक्षेपों के बावजूद श्री सुब्रह्मण्यम को निर्दोषी का प्रमाण पत्र दे दिया है।

17 तारीख के इन्डियन एक्सप्रेस में एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें महान्यायवादी ने इस बात का खण्डन किया है कि श्री सुब्रह्मण्यम के कार्य का औचित्य अथवा अनौचित्य निर्धारित करने के लिये प्रधान मन्त्री द्वारा उनको कहा गया था इसलिये उनके द्वारा श्री सुब्रह्मण्यम को

दोषी अथवा निर्दोष ठहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। स्टेट्स्मैन में भी इस प्रकार का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार यदि महान्यायवादी के इस वक्तव्य पर विश्वास किया जाये तो मैं कहूँगा कि श्री सत्य नारायण सिंह ने समाचार के प्रकट होने की बात को स्वीकार करके सभा को पथभ्रष्ट किया और जानबूझ कर यह गलत धारणा उत्पन्न की कि यह समाचार सत्य है कि महान्यायवादी ने श्री सुब्रह्मण्यम को निर्दोष बताया है। इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि यह परामर्श गुप्त रूप से और निजीतौर पर लिया गया था इसलिये इस बारे में सावधानी से कार्य किया जाना चाहिये था और कि ऐसे समाचारों को समाचार पत्रों में नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि यह उसी समय तक गुप्त है जब तक प्रैस में नहीं जाता।

इसके पश्चात बहुत से सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया था कि इस बात की जांच होनी चाहिये कि यह समाचार किस प्रकार निकल गया। इस पर अध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि जब सरकार कहती है कि उन्होंने यह समाचार प्रैस को नहीं दिया तो सरकार को स्वयं इस बात पर विचार करना चाहिये कि यह किस प्रकार निकल गया।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री सत्य नारायण सिंह ने गलत धारणा उत्पन्न करने के लिये ऐसा कहा था। यह निश्चित रूप से विशेषाधिकार भंग का मामला है जिसके लिये कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रधान मन्त्री, श्री दफ्तरी और श्री सत्यनारायण सिंह तीनों के विरुद्ध है।

इसमें दो बातें हैं। अध्यक्ष महोदय मैंने 16 तारीख को 13 तारीख के स्टेटस्मैन में प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया था जिसमें बताया गया था कि महान्यायवादी ने श्री सुब्रह्मण्यम को निर्दोष ठहरा दिया है। इसके पश्चात मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे मे एक सूचना दी थी जिसमें कहा था कि यदि यह समाचार सत्य है तो प्रधान मन्त्री ने, ऐसे विषय को, जिस पर सभा में चर्चा हो रही थी और जिस पर आप निर्णय देने वाले थे, महान्यायवादी को सौंप कर विशेषाधिकार भंग किया है। यदि यह सही है तो प्रधान मन्त्री ने इच्छापूर्वक और जानबूझकर यह गड़बड़ी की और सभा को महान्यायवादी के निर्णय से प्रभावित करने का यत्न किया। 'टाइम्स आफ इन्डिया' अथवा स्टेट्समैन में प्रकाशित हुए इस समाचार का न तो प्रधान मन्त्री द्वारा अथवा न ही श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा खण्डन किया गया है हालांकि महान्यायवादी श्री दफ्तरी ने इसका खण्डन किया है।

श्री सत्यनारायण सिंह ने यह कहा था कि किसी प्रकार यह समाचार निकल गया और समाचारपत्रों में प्रकाशित हो गया है। इसका अर्थ यही है कि यह समाचार ठीक था और यदि यह समाचार ठीक था तो इसका मतलब यह है कि श्री दफ्तरी ने विशेषाधिकार भंग किया है क्योंकि उन्होंने ठीक समाचार का खण्डन करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The issue is to be divided into two parts i. e. what are the facts and if the facts are established whether or not the question could be taken up as a privilege issue.

Since 11th August, the news regarding the reference of Shri Subramaniam's case to the Attorney General by Prime Minister are appearing in the different Newspapers. It has also

11

appeared in the Press that Prime Minister proposed to make an informal reference of this case to the ex-Chief Justice of the Supreme Court but the idea was dropped because he wanted his opinion to be binding.

On the other hand it has been learnt from the President that no such reference has been made by him to the Attorney General regarding conclusions of the Public Accounts Commitee about Shri Subramaniam and procedure of the House.

Shri Satya Narain Sinha in his statement in the House has virtually admitted that the opinion of the Attorney General was sought and that they have not given this news to the Press and they are also not aware how this news leaked out.

On the other day contradiction made by Shri Daphtry does not indicate that no informal talks were held by the Prime Minister with him. It simply means that no formal reference was made to him. Therefore, I suggest that true position should come before the House.

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मुझे खेद है कि 16 अगस्त को मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य से भ्रांति पैदा हुई। 16 अगस्त को मैंने केवल इतना कहा था कि सरकार द्वारा समाचार पत्रों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसी प्रकार उनको यह सब मालूम हो गया और उन्होंने यह अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया। मैंने अपने कल के पत्र में समस्त स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया है।

प्रधान मन्त्री ने अनौपचारिक तथा गुप्त रूप से महान्यायवादी से परामर्श किया था। आप यह निणर्य पहले ही दे चुके हैं कि वह ऐसा कर सकती हैं।

परामर्श गोपनीय था इसलिए चर्चा का विषय और महान्यायवादी द्वारा दिये गये परामर्श को प्रकट करना वांछनीय नहीं है। फिर भी मैं सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस मामले को महान्यायवादी को सम्बन्धित मन्त्री को निर्दोष सिद्ध करने के लिये नहीं सौंपा गया था बल्कि इसलिये कि प्रधान मन्त्री इस मामले पर और अधिक विचार कर सकें। 17 तारीख के इन्डियन एक्सप्रैस में भी महान्यायवादी ने इसी बात को कहा था कि मामले को श्री सुब्रह्मण्यम के कार्य का औचित्य अथवा अनौचित्य जानने के लिये नहीं सौंपा गया था और इसलिये उनके द्वारा श्री सुब्रह्मण्यम को आरोपों से मुक्त करने अथवा न करने की बात ही नहीं उठती। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनको कोई उल्लेख ही नहीं किया गया था।

प्रधान मन्त्री को अपने सहयोगियों अथवा कानूनी अधिकारियों को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से परामर्श करने का अधिकार है।

श्री रंगा (चित्तूर) : मेरे माननीय मित्र ने महान्यायवादी के बारे में जो वक्तव्य दिया है उससे मुझे आश्चर्य हुआ है। महान्यायवादी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनको कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही उन्होंने इस मामले में कोई परामर्श दिया है। यदि उनको कोई उल्लेख नहीं किया गया था और उन्होंने कोई परामर्श नहीं दिया था तो समाचार पत्रों के लिये यह कहना गलत है कि उन्होंने मन्त्री महोदय को निर्दोष ठहराया है। परन्तु मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि प्रधान मन्त्री ने उनसे परामर्श किया था और महान्यायवादी ने परामर्श भी दिया था। दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। लगभग तीन समाचार पत्रों ने एक ही समाचार को लगभग एक ही ढंग से प्रकाशित किया है। इस से यह तथ्य और अधिक दृढ़ हो जाता है कि किसी महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारी ने ही यह समाचार समस्त पत्रों के प्रतिनिधियों को एक ही समय दिया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समाचार किस समय निकला। यह समाचार इस समय जबकि अध्यक्ष महोदय अपने निर्णय देने वाले थे और सभा में इस मामले पर चर्चा हो रही थी। ऐसे समाचार से यह आशा की जा सकती थी कि इसे सभा तथा अध्यक्ष महोदय की राय कुछ प्रभावित होगी। इसलिये यह बात और भी दृढ़ हो जाती है कि इसमें किसी जिम्मेदार सरकारी अधिकारी का हाथ है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : हम यह बात मान सकते हैं कि आमतौर पर महान्यायवादी समाचारपत्रों को कुछ भी लिखकर नहीं देते हैं। जब उनके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह समाचारपत्रों को कुछ लिखकर दें तो यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला बन जाता है। इस पत्र से विशेषकर मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य के सभा में दिये गये एक वक्तव्य का खण्डन किया गया है।

दूसरी बात यह है कि सभा के नेता की बात से ऐसा दिखाई देता है कि जिस बात का भेद खुला है वह तो ठीक है परन्तु भेद खुल गया यह बात ठीक नहीं है। सम्भव है यह भेद सरकार द्वारा न खोला गया हो बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोला गया हो। परन्तु मामले के सच्चाई तथा सम्बन्धित मन्त्री की दोष मुक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी पुष्टि कर दी गई है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सभा के नेता ने जो वक्तव्य दिया उससे यह बात स्पष्ट है कि अब वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रधान मन्त्री तथा महान्यायवादी के बीच परामर्श हुआ है। परन्तु महान्यायवादी ने इस बात से इन्कार कर दिया है। इससे सभा परेशानी में पड़ गई है और वह जानना चाहती है कि तथ्य क्या है। क्या इस मामले पर बातचीत हुई थी और क्या महान्यायवादी द्वारा श्री सुब्रह्मण्यम को निर्दोष ठहराया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा के नेता ने मामले को औपचारिक रूप से सौंपने तथा उस पर निजीरूप से परामर्श प्राप्त करने में भेद किया है यदि यह ठीक है और औपचारिक रूप से यह मामला महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया था तो उन्होंने समाचारपत्रों को जो पत्र लिखा वह ठीक ही है कि उन्हें मामला सौंपा नहीं गया है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या महान्यायवादी अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संविधान तथा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत निजीरूप से परामर्श किया जा सकता है। मुझे याद है कि पहले भी एक बार जब एक उप-मन्त्री कठिनाई में थे तो सभा को बताया गया था कि महान्यायवादी को काम सौंपा गया है परन्तु यह अन्तिम बार है। इसके पश्चात् भी सभा को यह बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान में उनके लिये जिन कार्यों का उल्लेख नहीं है, वे उन्हें नहीं दिये जाने चाहिये।

इसलिये यह मामला विचारणीय है कि प्रधान मन्त्री तथा उनके सहयोगियों को महान्यायवादी से निजी परामर्श लेने का अधिकार है अथवा नहीं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह सारी गड़बड़ी समाप्त हो जायेगी यदि सभा को यह बता दिया जाये कि प्रधानमन्त्री किन मामलों में महान्यायवादी से परामर्श ले सकती हैं। प्रधान मन्त्री का महान्यायवादी से, श्री सुब्रह्मण्यम के कार्य के औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में परामर्श करना युक्तिसंगत माना जा सकता है। वह परामर्श प्रक्रिया के सम्बन्ध में था।

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था । मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट तथा विशिष्ट है । यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाये कि यह परामर्श अनौपचारिक था तो भी श्री सत्यनारायण सिंह ने सभा को गुमराह किया है और गलत धारणा उत्पन्न की है कि यह समाचार सत्य है कि महान्यायवादी ने श्री सुब्रह्मण्यम को निर्दोष ठहराया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री दाजी का प्रस्ताव यह है कि सभा के नेता ने सदन को गुमराह किया है । जब उन्होंने यह कहा था कि गुप्त समाचार समाचार पत्रों में छप गया है तब इस बारे में उन्होंने यह बताया है कि केवल परामर्श लिया गया था । उस समय के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की भाषा से वह अवगत नहीं थे । अब भी वह इस बात को नहीं छिपा रहे कि प्रधान मन्त्री और भारत के महान्यायवादी के बीच सलाह-मशविरा हुआ था । श्री दफ्तरी ने अधिवक्ता के रूप में जो कुछ कहा था उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं । उन्होंने कहा था कि "औचित्य या अनौचित्य निर्धारित करने के लिये" महान्यायवादी को कोई विषय नहीं भेजा गया । हो सकता है बातचीत में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया हो । इस सब में कोई असंगत बात नहीं है । और सभा के नेता के विरुद्ध किसी प्रकार भी विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । प्रधान मन्त्री द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लिये जाने के बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो सकती । सरकार विधि अधिकारियों से परामर्श ले सकती है । अतः जो दो बातें उठायी गई हैं उनमें से किसी भी बात के आधार पर विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, you have not given ruling on points which I had raised.

Mr. Speaker : I cannot reply on all the points.

Shri Madhu Limaye : I walk out of the House as a protest against your decision.

[**श्री मधु लिमये सभा से उठ कर चले गये ।**
SHRI MADHU LIMAYE LEFT THE HOUSE]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान केबल्स का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं श्री संजीवय्या की ओर से ये पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 31 मार्च 1965 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, वर्द्धवान, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिपणियां ।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 6825/66]

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) तीसरा संशोधन, नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री हाथी की ओर से मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) तीसरा संशोधन, नियम, 1966 जो दिनांक 3 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1225 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 6826/66]

केरल अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति निष्कासन रोक अध्यादेश

सामाजिक कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत केरल के राज्यपाल द्वारा 5 जुलाई, 1966 को प्रख्यापित केरल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति निष्कासन रोक अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 2) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6327/66]

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 17 अगस्त, 1966 की बैठक में व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1966 में लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 1966 को किये गये संशोधनों से सहमति व्यक्त की है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात संयन्त्र के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सभा का कार्य

BUISINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : 22 अगस्त, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) **सोमवार** 22 **अगस्त,** 1966 को, प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात्, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन के पैरा 4.128 के विषय में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री द्वारा 18 मई, 1966 को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(2) आज की कार्य सूची में से शेष रह गयी सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार

(3) अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1966

(विचार तथा पास करना)

(4) पंजाब में राष्ट्रपति के शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये गृह-कार्य मन्त्री द्वारा पेश किये जाने वाले संकल्प पर विचार ।

(5) पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1966

(विचार तथा पास करना)

(5) विचार तथा पारित करना :

पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1966

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक, 1966, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

वक्फ संशोधन) विधेयक, 1966, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

रेलवे सम्पत्ति (अवैध कब्जा) विधेयक, 1966, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ;

(6) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर **मंगलवार,** 23 **अगस्त,** 1966 **को** 3 **बजे म० प०** पर आगे चर्चा

(7) **शुक्रवार,** 26 **अगस्त,** 1966 **को प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात,** श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के सम्बन्ध में 1 अगस्त, 1966 को प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा ।

श्री० स० मो० बनर्जी : मैं चाहता हूँ कि एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर अगले सप्ताह चर्चा की जाये । स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री महोदय एक वक्तव्य दें । उत्तर प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में विचार करने के लिये मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है । उसपर विचार होना चाहिये ।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Sir, you had stated that Government would be making a statement on cow slaughter during the week commencing from 22nd August, 1966, but there is no reference to this in hon. Minister's statement. Sir, the situation is taking very serious turn. The Sadhus are courting arrests. Government should think over this matter seriously.

श्री रंगा : हमें आशा थी कि सरकार स्वर्ण नियन्त्रण के बारे में शीघ्र ही कोई घोषणा करेगी । इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है । देश के सभी भागों में एक प्रकार का आंदोलन चल रहा है और सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही है । यह उचित नहीं है । इस बारे में शीघ्र ही घोषणा होनी चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : स्वर्ण नियन्त्रण के विरुद्ध पूरे देश में अनशन हो रहे हैं। इस बारे में एक विशाल प्रदर्शन भी किया जाने वाला है। सरकार को शीघ्र ही अपने निर्णय की घोषणा करनी चाहिये।

Shri U. M. Trivedi : (Mandsaur) : Shri Subramaniam had said that State Government were being consulted in the matter of banning cow slaughter and a statement would be made shortly. I request that he should make the promised statement. Secondly the decision regarding the Gold Control should also be announced without delay.

श्री हरि विष्णु कामत : केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर यहाँ चर्चा होनी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर और जगह पर चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। सरकार को स्वर्ण नियन्त्रण आदेश रद्द करने से सम्बन्धित घोषणा तुरन्त कर देनी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : Government should take a decision ragarding the ban on cow-slaughter and make an announcement without further delay.

Dr. Ram Manohar Lohia : (Farrukhabad) : Sir, about 1,000 Goldsmiths of my constituency have been experiencing great difficulty in earning their livelihood due to Gold Control order. They should be given some relief.

श्री दे० द० पुरी : (कैथल) अगले सप्ताह पंजाब के पुनर्गठन सम्बन्धी विधेयक को भी लिया जाना चाहिये।

Shri D. S. Patil : I want to know whether the Bill regarding the amendment of Scheduled castes and Scheduled Tribes Act would be taken up. It is already very much delayed.

Shri Gulshan : Sir, a large number of Goldsmiths are on hunger strike in the country. Government should take a decision immediately. The Bill regarding the Reorganisation of Punjab should be taken without delay.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : चौथी पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है। चौथी योजना के मसौदे पर यहाँ चर्चा होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस पर इसी सत्र में चर्चा होगी ?

Shri Tyagi (Dehra Dun) I feel Government would not make it a prestige issue in the matter of Gold Control and announce their decision without delay. I request that the draft of the Fourth Plan be discussed in this House.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : स्वर्ण नियन्त्रण के मामले में शीघ्र ही घोषणा होनी चाहिये। चौथी योजना के मसौदे पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिये।

तीसरे शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन आ चुका है और देश के 2 करोड़ अध्यापकों का इस से सम्बन्ध है। मैं निवेदन करता हूँ कि इस सत्र में उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का मौका दिया जाए।

श्री सत्य नारायण सिंह : शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन अभी सभा के सामने नहीं रखा गया। जब तक वह सभा के सामने नहीं रखा जाता, उस पर चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहाँ तक चौथी योजना का सम्बन्ध है, मंत्रि-परिषद ने इस पर विचार किया है। अब वह राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजी जा रही है। संसद के अनुमोदन के पश्चात् ही वह अन्तिम

रूप में स्वीकार की जायेगी। चौथी योजना की चर्चा पर कम से कम चार या पांच दिन लगेंगे। इस में शीघ्रता न की जाये, इस लिए हम ने फैसला किया है कि इस पर अगले सत्र के पहले कुछ दिनों में चर्चा की जाये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रश्न के बारे में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि काम के ज़ोर के कारण इन कठिन परिस्थितियों में उस विधेयक पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

जहाँ तक पंजाब के पुनर्गठन का सम्बन्ध है, हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि विधेयक को इसी सभा में पास किया जाए।

जहाँ तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, उस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह प्राथमिकताओं का प्रश्न है।

मंत्रियों के वेतनों और भत्तों के बारे में मैंने अपने विभाग के सचिव को कार्यसूची में शामिल करने के लिए कह दिया है और हम इस सभा के सामने रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

जहाँ तक सत्र के बढ़ाने का सवाल है, मेरा अनुरोध है कि सभा 3 अथवा 5 को बैठे।

जहाँ तक गौ हत्या का सम्बन्ध है मंत्रिपरिषद ने इस पर विचार किया है और मसौदा तैयार है और इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। एक-दो दिन में पूरे मामले को सभा के सामने रखा जाएगा जिसमें सरकार के निर्णय भी बताये जायेंगे।

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सम्बन्ध है, कार्य मंत्रणा समिति ने इस के लिए पहले ही समय नियत कर दिया है।

जहाँ तक एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर चर्चा करने की सिफारिश अभी तक नहीं की है।

जहाँ तक स्वर्ण नियंत्रण का सम्बन्ध है, मैं वित्तमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र ही घोषणा करें।

कार्य मंत्रणा समिति
BUISINESS ADVISORY COMMITTEE

उनचासवाँ प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से, जो 18 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से, जो 18 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

श्री नंदा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पंजाब राज्य के विधान-मंडल सम्बन्धी कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I oppose the introduction of the Bill. I have got the news that small and middle class shopkeepers are being arrested in the various districts of Punjab State particularly Rohtak district; they are taken out in the procession and then insulted in public. This is not the legal way of dealing with them. Proper treatment should be meted out to them according to the rule of law and rule of Jungle should not be established. President's rule will not bring down the prices if people are treated in this way. The President should not be given the powers to make laws.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हमारे प्रक्रिया नियमों के नियम 72 तथा निदेश संख्या 19 ख के अन्तर्गत यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । निदेश यह है कि "कोई विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से, जबकि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हों । मौजूदा मामले में तो विधेयक की प्रति आज सबेरे ही दी गई है । सरकार को नियमों तथा निदेशों का उल्लंघन करने की आदत हो गई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण विधेयक होते हुए भी, मैं इसका विरोध करता हूँ ।

निदेश के परन्तुकों से भी कोई सहायता न मिली क्योंकि यह वित्त विधेयक नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि कारणों का व्याख्यात्मक ज्ञापन अध्यक्ष महोदय को भी उपलब्ध नहीं कराया गया था । नियम 72 के अधीन विधेयक सभा की कार्य-क्षमता के बाहर है और इसके पुरःस्थापन को स्थगित कर दिया जाए । नियमों की इस प्रकार उपेक्षा न की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि मुझे कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है । दो दिन की सूचना भी नहीं दी गई है परन्तु मुझे मन्त्री महोदय का कल, दिनांक 18 अगस्त का लिखा हुआ पत्र मिला है जिसमें उसने यह अनुरोध किया है कि उक्त विधेयक आज ही ले लिया जाये और उसके लिए दो दिन की पूर्व सूचना दिये जाने पर आग्रह न किया जाये । मैंने इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी है और यही कारण है कि इसे कार्य-सूची में शामिल कर लिया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : बिना किसी कारण आपने इसकी अनुमति दे दी है । अनुमति के लिए पूरे ज्ञापन का देना आवश्यक है । यदि इसे आज पुरःस्थापित न किया गया तो पहाड़ नहीं टूट जायेंगे । इससे मंत्रि कक्ष को सबक सिखाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इसे सोमवार को पुरःस्थापित कर सकते हैं ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नंदा) : इसे अभी पुरःस्थापित करने का प्रयोजन यही था कि उद्घोषणा के पश्चात् इसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिए । पत्र में मैंने कारण बता दिये हैं ।

Mr. Speaker : The members from Punjab are very anxious. Let the Bill be introduced today.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पंजाब की सामान्य सांवैधानिक सरकार का विघटन किया गया है। विधानमण्डल के सदस्य अब भी सदस्य हैं और उन्हें वेतन मिल रहा है। विधानमंडल के विघटन के बिना राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है कि वह उस के कार्यों को अपने हाथ में ले सके। ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल है। इसलिए इसे पुरःस्थापित न किया जाए।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक इस सभा के सामर्थ्य से बाहर है। पंजाब में विधान मंडल को खत्म नहीं किया गया है, इसलिए विधानमंडल इस विधान के लिए समर्थ है।

श्री रंगा : संसद को किसी भी राज्य विषय पर उस समय तक विधान बनाने का अधिकार नहीं है जब तक राज्य विधानमंडल अस्तित्व में है और उसका विघटन नहीं किया गया है।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या विधि मंत्री द्वारा इसकी जांच कराई गई है ?

श्री नंदा : हमने कानूनी राय ले ली है और हम इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए समर्थ हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : नियम 72 के परन्तुक के अधीन सभा के अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह यह निर्णय कर सकता है कि किस विषय पर सभा विधान बना सकती है और किस पर नहीं। यदि किसी विधेयक के विषय में संविधान सम्बन्धी कोई मूलभूत आपत्ति उठाई जाती है तो अध्यक्ष महोदय को यह सूक्ष्म रूप से देखना होगा कि अमुक विषय पर संसद कानून बना सकती है या नहीं। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कानूनी सलाह दी है उसे सभा के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह असंवैधानिक नहीं है तथा संसद इस पर विचार कर सकती है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : विधान मण्डल का विघटन नहीं किया गया है। विधान-मण्डल के सदस्यों की सदस्यता अभी समाप्त नहीं हुई है और वे अभी तक वेतन पा रहे हैं। बिना कानूनी कदम उठाये संसद किस प्रकार विधान मंडल की शक्तियां अपने हाथ में ले लेगी, यह समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इसके कानूनी पहलू का सम्बन्ध है कि क्या यह सभा इस विधान पर विचार कर सकती है, मैं विधि मन्त्री या अन्य किसी मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को कानूनी राय स्पष्ट करें ताकि सदस्य वास्तविक उलझनों को जान सकें तथा मतदान दे सकें।

मैं इस विषय पर अपना फैसला नहीं दे सकता। सदस्य चर्चा करने के पश्चात् इस पर मतदान दे सकते हैं।

श्री नंदा : विधि मन्त्री को सभा में आज लाने की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : 2.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होगा। इस प्रश्न को हम 5 बजे उठायेंगे।

अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : श्री चि० सुब्रह्मण्यम् की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : इस विधेयक का हम विरोध करते हैं क्योंकि हमारे विचार में यह एक अलोकतान्त्रिक तथा असैधान्तिक उपाय है। 1964 के विधेयक का भी हम ने विरोध किया था। यह विधेयक तो 1964 के विधेयक से भी खराब है। ऐसे विधेयकों से सरकार तानाशाही के लिए मार्ग सरल बना रही है।

इस प्रकार के विधान से साम्यवादी आतंक के लिए भूमिका बनाई जा रही है जहाँ कानून द्वारा शासन की अवहेलना की जाती है। इस विधेयक द्वारा न्यायपालिका के अधिकार समाप्त किये जा रहे हैं। न्यायालय से अपील करने के अधिकार के स्थान पर सरकार से अपील करने का अधिकार रखा गया है। विधेयक में सब से बुरी बात यह है कि खाद्य, खाद्य तेल आदि अथवा वह गाड़ी जिस में यह वस्तुएं ले जाई जा रही हों, सरकार के किसी अधिकारी के आदेश से जब्त की जा सकती हैं चाहे किसान अथवा व्यापारी के विरुद्ध कोई भी आरोप न लगाया गया हो। यह कानून का उल्लंघन है। मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और हम लोग संसद में तथा बाहर के लोग इस प्रकार के असंवैधानिक तरीकों के अभ्यस्त होते जा रहे हैं।

यह विधेयक एक बहुत कठोर कानून है। सौराष्ट्र में मूंगफली उगाने वाले छोटे किसानों को करोड़ों रुपये की हानि हुई क्योंकि वहां पर गुजरात से बाहर मूंगफली का निर्यात करने पर भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत रोक लगा दी गई थी। जब भारत रक्षा नियमों को हटाया गया तो अध्यादेश को जारी किया। अब इस गैर कानूनी बात को विनियमित करने वाले विधेयक को लाया गया है। इस उपाय से छोटे किसान नष्ट हो रहे हैं। यदि विधेयक को स्वीकार किया गया तो किसानों पर सख्ती जारी रहेगी। इसलिए इस विधेयक को पेश करने का समर्थन नहीं किया जा सकता।

श्री मनुभाई शाह : भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पहले खाद्यान्न नियंत्रण आदेश जारी किया गया था जिससे भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत माल को एकत्रित करना तथा उसकी घोषणा करना अनिवार्य था। अब क्योंकि भारत रक्षा अधिनियम केवल सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ही है। इस लिए इन शक्तियों को जन हित में जारी रखना चाहिए क्योंकि अवमूल्यन के पश्चात की अवधि में सरकार ने जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं क, विशेषकर खाद्यान्न, खाद्य तेल और दूसरी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को रोकने के लिए सक्रिय कार्य अपने हाथ में लिया है। संचय करने की सूचना कई स्थानों से मिली है। खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य वस्तुओं के गलत वितरण की सूचना भी मिली है। भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नियमों का उपयोग न करने के कारण पहले वाली शक्तियां भी वापिस ले ली गई थीं। इन्हीं कारणों से सरकार को उन शक्तियों का उपयोग करना पड़ा तथा एक अध्यादेश जारी करना पड़ा। उसी अध्यादेश को हटाने के लिए अब यह विधेयक जारी किया जा रहा है। आशा है माननीय सदस्य अपनी आपत्ति वापिस ले लेंगे क्योंकि यह जनता तथा लोक-समाज के हित में सरकारी शक्तियों का वैध प्रयोग है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अत्यावश्यक वस्तुए अधिनियम, 1955 मे आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने को अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री मनुभाई शाह : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश 1966 के बारे में विवरण

STATEMENT RE. ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE 1966

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1966 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत सभा पटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 6828/66]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1966-67-जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1966-67-(CONTD.)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1966-67 के आय-व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा करेगी । श्री बड़े अपना भाषण जारी रखे ।

Shri Bade (Khargone) : Mr. Speaker, Sir, I would like to draw Government's attention to Demand No. 16 relating to External Affairs Ministry. While Government is asking for money for our Embassies abroad, it has not given us any information as to the economy which it had promised to bring about in this expenditure after devaluation. Our expenditure on embassies has been constantly increasing day by day. There is no justification for asking for an additional amount of Rs. 371.41 for this purpose. Actually this expenditure should have been cut down.

Similarly an amount of Rs. 10 lakhs has been asked for Kutch Tribunal which is not justified. After the Tashkent Agreement we should come to an agreement with Pakistan and settle the Kutch dispute without the help of the said Tribunal. Again an additional amount of Rs. 95,000 has been asked for India's contribution to Commonwealth Economic Commitee, which is payable in pounds sterling. Our past experience during the India-Pakistan conflict shows that U. K. had adopted unfavourable attitude towards India. There had already been a discussion on this matter in the House. The Commonwealth had no utility for India. We should effect cut in the expenditure relating to Commonwealth.

The new rate of exchange between the Indian Rupee and the Nepalese Rupee has been fixed at Indian Rupee 1 - Nepalese Rupee 1.016 after the devaluation of Indian Rupee which results in a loss to our traders. It has also caused hardship to the Gorkha soldiers, who had been in the service of Indian Government. Now they will get a lesser amount of pension. India will also have to spend more money on joint Indo-Nepal development projects.

Being a permanent Member of the International Monetary Fund Board and having the fifth largest quota in the Fund India will have to bear more burden as a result of devaluation.

The devaluation could not succeed to check smuggling of gold, as was claimed by the Government. Gold control could not serve its purpose and has no utility now. Therefore, it should be scrapped out.

The Government is asking the people to save for the sake of the Country on the one hand and on the other hand it is not doing any thing to effect economy in Government expenditure. On the contrary it is creating inflation by printing curreney not without any discretion and also by increasing unproductive expenditure. The Government should make it clear to us that what economy it is effecting to meet the additional burden imposed by evaluation.

The Government has appointed Gajendragadkar Commission to examine the question of increase in dearness allowance of Central Government employees because it does not to give any benefit to the employees. It is not proper to bring in the case of State Government employees while considering the case of Central Government employees. It could appoint a separate Pay Commission for State Government employees as also the employees of Public Undertakings.

The people are very hard up due to extraordinary rise in prices. In the rural areas Adivasis are leaving their children uncared for. The Government is unable to tackle the problem of rise in prices. Mere opening of Super bazar and Cooperative Consumers Stores here or there would not sclve the problem.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to draw Government's attention to certain points relating to various Ministries. It is very regrettable that Mysore Government had issued a Gazette notification for the auction of the national flag. It is disgraceful for a nation to auction its national flag.

Spy ring is very active in the country. They are engaged in antinational activities. I have come to know that important documents pertaining to Kutch are missing. Even the Instrument of accession is not there with the concerned authorities. I am unable to understand how the Government will plead its case before the Tribunal without these documents. The Government should clarify the whole position as vital interests are involved in the matter.

Now I would like to say something about our foreign policy. We have no definite foreign policy. Our Prime Minister has made different statement in different places and occasions on Viet Nam. The British Government has almost decided to recognise the white minority Government in Rhodesia. In Rhodesia there is a tussle between the forces of imperialism on the one hand and democracy and independence on the other hand. But our Government has not taken any initiative in this matter so far. It should take initiative in the matter of Rhodesia, otherwise history will condemn us for being indifferent towards our duty to the native people of Rhodesia.

So far as the Ministry of Finance is concerned, I raised a matter relating to Company law few days back. According to the Auditor's report, Gammon India Limited has about 10-12 lakh of foreign exchange in deposit in England. The matter was brought to the notice of the Law Minister in April by me. It is a matter of regret that Government is still examining the matter. On the one hand the Government was compelled to devalue its rupee for foreign exchange and on the other hand such a huge deposits foreign exchange are in banks abroad.

The Income Tax Department is most inefficient and incompetent. The Income Tax Department has given a remission of Rs. 50 lakhs in the income tax due from Kilachand Dev Chand Group. But no proper punishment was given to the officers, who were responsible for the loss of Government revenue. I have brought several such matters to the notice of concerned Ministers, but no proper action has been taken in those matters.

Inspite of all these irregularities and inefficiency and incompetance Government have come forward with the Demands for Supplementary Grants.

Shri Tyagi (Dehradun) : Sir, the pressures of foreign powers on our Government is increasing day by day. It is a policy matter. Therefore, proper steps should be taken to deal with this situation.

The Government is asking for additional money generally for the increased subscription in securities payable to foreign banks by India as a result of devaluation. In the interest of our self respect we should stop import of foodgrains. The Government should give top priority to provide irrigation facilities to the agriculturists.

The Government is incurring unproductive expenditure such as on the Construction of building etc. The Government should cut down its expenditure. We should put a stop to the construction of huge buildings. Huge expenditure is being incurred on official telephones in Delhi. We should effect economy there. Expenditure on Planning Commission should be reduced. Certain publications of Public Undertakings which are being printed on art paper should be printed on ordinary paper.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तिरानबेवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरानबेवें प्रतिवेदन से, जो 18 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरानबेवें प्रतिवेदन से जो 18 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विदेशी सरकारों आदि द्वारा हथकरघा कपड़े की मान्यता और समर्थन के बारे में संकल्प-जारी

RESOLUTION RE. RECOGNITION AND SUPPORT TO HANDLOOM FABRICS BY FOREIGN GOVERNMENTS ETC.--contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विदेशी सरकारों द्वारा हथकरघा कपड़े की मान्यता और समर्थन के बारे में श्री श्यामलाल सर्राफ द्वारा 5 अगस्त, 1966 के प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

"इस सभा की राय है कि "ब्लीडिंग मद्रास" "इंडिया मद्रास" और "मद्रास" के व्यापार

नामों से बेचे जाने वाले हथकरघा कपड़े के लिये भारत के विशिष्ट एवं एकमात्र उत्पाद के रूप में सभी विदेशी सरकारों और वहाँ की अन्य एजेन्सियों तथा व्यापारियों की मान्यता और समर्थन प्राप्त करने के हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये और जहां कहीं आवश्यक हो इस प्रयोजन से उचित कार्यवाही की जाये कि उक्त व्यापार नामों का किन्हीं अन्य उत्पादों के लिए ऐसी रीति से प्रयोग न किया जा सके जिससे भारत में उपरोक्त कपड़े के उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।"

मैं प्रस्ताव को सभाके सामने रख रहा हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : हथकरघा कपड़े ने सारे विश्व में भारत के नाम की प्रतिभा बढ़ाई है। पिछले छः वर्षों में "इण्डिया मद्रास" कपड़ा संसार के सभी देशों में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया और विश्व बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। पिछले वर्ष भारत ने 2 करोड़ 60 लाख गज कपड़े का निर्यात किया और उससे लगभग 8 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ उद्योग प्रधान देश इस हथकरघा कपड़े की नकल करना चाहते हैं जिसका प्रभाव मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के लाखों बुनकरों पर पड़ेगा। इसीलिये हमने सभी विदेशी सरकारों से अनुरोध किया है कि वह इस कपड़े को भारत की उच्च प्रतिष्ठाप्राप्त कपड़े के रूप में मान्यता दें।

मैं उन अनेक देशों से भी अनुरोध करता हूँ जिन्होंने 'ब्लीडिंग मद्रास' अथवा इंडिया' कपड़े को प्रतियोगी कपड़ा समझ कर उसे अमरीकी बाजार से स्थानाच्युत करने के लिये उसके स्थान पर अन्य कपड़े का उत्पादन आरंभ कर दिया है। हम देख रहे हैं कि पिछले छ: महीनों से अमरीका और हांग-कांग को, जो हमारे मुख्य ग्राहक हैं, इस कपड़े का निर्यात घट रहा है। हो सकता है कि हमारे बुनकर नये-नये डिजायन का कपड़ा बनाने के बजाय पिछले डिजायनों के अनुसार ही कपड़ा बना रहे हों। मैं मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बुनकरों की ओर से विदेशी ग्राहकों को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम चार जेवेल टोन और 6 जेवेल टोन के नये डिजाइन के हथ-करघा कपड़ा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अत: हमें आशा है कि हम नये डिजाइन का अच्छा किस्म का कपड़ा बनाकर फिर अमरीका को पर्याप्त निर्यात कर सकेंगे।

इस वर्ष हमने तीन करोड़ गज कपड़े का निर्यात करने का कार्यक्रम बनाया था किन्तु अब तक आंकड़ों के अनुसार यह लक्ष्य के पूरा होने की कोई आशा नहीं दिखाई देती है। अमरीका में हमारे हथकरघा कपड़े का काफी स्टाक जमा हो गया है जिससे उस देश को हमारा निर्यात घट गया है। उद्योग प्रधान देशों को हमारे हथकरघा कपड़े को प्रतियोगी कपड़े के रूप में नहीं समझना चाहिए। उन्हें मानव की कला कुशल को महत्व देना चाहिए। उन्हें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि भारत जैसे विकास-शील देश में इस उद्योग से लाखों लोग को रोजगार मिल रहा है। उन्हें भारत, पाकिस्तान, लंका, बर्मा तथा अन्य 77 विकासशील देशों की कलापूर्ण वस्तुओं को खरीदकर उन्हें विदेशी मुद्रा कमाने का अवसर देना चाहिए।

इन देशों से मैं यह अनुरोध भी करता हूँ कि वे इन वस्तुओं से प्रशुल्क हटाएं। अमेरिका में हमारे हथकरघा कपड़े की प्रविष्टि पर 25 प्रतिशत प्रशुल्क है। वास्तव में प्रशुल्क देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए होता है। अमेरिका में हथकरघा उद्योग है ही नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय महत्वपूर्ण भाषण चल रहा है। अतः सभा में गणपूर्ति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय थोड़ी देर के लिये रुक जायें क्योंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है।

श्री मनुभाई शाह : मैं संयुक्त राज्य अमरीका से अपील करता हूँ कि वह इस कपड़े पर से प्रतिकर हटाले ताकि हमारे देश के लाखों बुनकरों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

अनेक उद्योग प्रधान देश संश्लिष्ट वस्तुएं तैयार करके उसे सस्ते मूल्य पर बेचते हैं। अतः उद्योग प्रधान देशों से विशेषकर जापान से मेरी अपील है कि वह इस कपड़े के स्थान पर कोई अन्य कपड़ा बनाने का प्रयत्न न करें। निर्धन लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर कोई वस्तु तैयार करना जिससे लाखो व्यक्तियों की जीविका निर्वाह होती हो, एक गलत नीति है। मेरी दूसरी अपील यह है कि वे ऐसी वस्तुओं को अथवा "इंडिया मद्रास" अथवा "मद्रास" अथवा "ब्लीडिंग मद्रास" के नामों का प्रयोग न करें।

भारत सरकार अपने विदेशी ग्राहकों को आश्वासन दे सकती है कि प्रशुल्क हटाकर यदि कोई लाभ दिया जाता है तो हम ग्राहकों को निर्यात मूल्य बढ़ाये बिना कपड़े का निर्यात करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की राय है कि "ब्लीडिंग मद्रास", "इंडिया मद्रास" और "मद्रास" के व्यापार नामों से बेचे जाने वाले हथकरघा कपड़े के लिए भारत के विशिष्ट एवं एकमात्र उत्पाद के रूप में सभी विदेशी सरकारों और वहां की अन्य एजेन्सियों तथा व्यापारियों की मान्यता और समर्थन प्राप्त करने हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये और जहां कहीं आवश्यक हो इस प्रयोजन से उचित कार्यवाही की जाये कि उक्त व्यापार नामों का किन्हीं अन्य उत्पादों के लिए ऐसी रीति से प्रयोग न किया जा सके जिससे भारत में उपरोक्त कपड़े के उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

आम चुनाव से पूर्व मंत्रि-परिषद् के पद-त्याग के सम्बन्ध में संकल्प

RESOLUTION REGARDING RESIGNATION OF COUNCIL OF MINISTERS PRIOR TO GENERAL ELECTION

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"इस सभा की राय है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन से तीन मास पूर्व मंत्रि-परिषद को पद-त्याग कर देना चाहिए और उस अवधि में राष्ट्रपति के शासन के लिये संविधान में आवश्यक उपबन्ध किया जाना चाहिये।"

हमारे देश में पिछले तीन आम चुनावों को करवाने में निर्वाचन आयोग का कार्य

सराहनीय रहा है। संविधान में निर्वाचन आयोग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है किन्तु सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य निकायों की भांति निर्वाचन आयोग को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग को बहुत सी स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तथापि जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, इस निकाय की शक्तियाँ काफी सीमित हैं, निर्वाचन आयोग को सम्पूर्ण चुनाव प्रणाली के मामले में कार्यपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके पास अपनी कोई अलग व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि चुनावों में अनियमिताएँ तथा नियमों आदि के उल्लंघन के बारे में भी जब शिकायतें की गईं तो यह आयोग स्वतंत्र निरीक्षण नहीं कर सका और उसे राज्य सरकारों की उस व्यवस्था पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ा जो कि एक दल के अधीन है। अतः यह आयोग उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता जितना कि उससे आशा की जाती है।

सरकार चुनावों में सक्रिय रुप से रुचि लेती है और अपने पसन्द के उम्मीदवारों को निर्वाचित करवाने के लिये समूची सरकारी मशीनरी का उपयोग करती है। सरकार अपने दल के उम्मीदवारों के लिये चुनावों में जिस प्रकार सरकारी मशीनरी तथा अन्य संसाधनों को उपयोग में लाती है, उससे प्रजातंत्रीय नियमों, प्रणाली तथा सिद्धान्तों का हनन होता है। सत्तारुढ़ दल के सरकारी-विरोधी (डिस्सीडेन्ट) सदस्य भी इस आरोप का खुलेआम समर्थन करते हैं। चुनावों को दृष्टि में रखते हुए अब उन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा रहा है जो निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रुप से काम करते हैं, और उन्हें ऐसे स्थानों पर भेजा जा रहा है जहां काँग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव हारने का कोई खतरा नहीं हैं। चुनावों के सिलसिले में लोगों को लाइसेंस तथा परमिट दिये जाते हैं, यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो पुलिस भी विरोधी दलों के समर्थकों को आतंकित करती है। चुनावों के प्रयोजन के लिये गाँव पंचायतों, सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, निगमों आदि का लाभ उठाया जाता है। खण्ड विकास अधिकारियों के अधीन जीपों का प्रयोग राजनैतिक प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है। केवल इसी कारण से ये जीपें, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की घोषणा के बावजूद भी वापस नहीं ली गई। अब यह घोषणा की गई है कि चुनावों के 3 अथवा 1 महीने पूर्व इन जीपों को जिला मजिस्ट्रेट के अभिरक्षण में रखा जायेगा, किन्तु इस निर्णय को कहाँ तक क्रियान्वित किया जायेगा, मैं नहीं जानता।

अधिकतर क्षेत्रों में पंचायती समितियां काँग्रेसियों के अधीन काम करती हैं। उड़ीसा और मैसूर जैसे राज्यों में तो 8 अथवा 10 वर्ष से पंचायतों के चुनाव ही नहीं हुए हैं और अब इन चुनावों को, अनवरत मांग के बावजूद भी, आम चुनावों तक स्थगित कर दिया गया है ताकि पंचायत मशीनरी को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में चुनाव आन्दोलन के काम में लाया जा सके।

सरकार चुनाव मशीनरी के काम-काज में हस्तक्षेप करती है। मेरे चुनाव में जिस समय मत गिने जा रहे थे और कांग्रेस उम्मीदवार को कम मत मिल रहे थे, और वह हार रहा था, तो उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने रिटर्निंग अधिकारी को टेलीफोन किया कि वह परिणाम घोषित न करे, किन्तु मैंने इस अधिकारी से नियमों के अनुसार परिणाम की घोषणा करवाई जिसके फलस्वरूप उसे हानि उठानी पड़ी। उसे कहीं अन्यत्र भेज दिया गया और कोई पदोन्नति नहीं दी गई।

चुनावों के दौरान सत्तारुढ़ दल के लाभ के लिए सरकारी मशीनरी का पूर्णतः उपयोग किया गया। चुनावों के अवसर पर मन्त्रियों के दौरे पर अधिकारी उनके साथ जाते थे।

लोगों से सभी किस्म के वायदे किये जाते थे और किन्हीं विशेष कामों को तुरन्त करने

के लिये मंत्री अधिकारियों को हिदायतें देते थे, मंत्रियों के सम्बन्ध में एक ऐसी संहिता बनाई जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरा नहीं कर सकेगा, कोई अधिकारी उसके साथ न जा सकेगा और इस दौरान लोगों को न ही कोई बचन दिया जायेगा।

सरकार आपात कालीन स्थिति को समाप्त करने के लिए सहमत नहीं हुई है और जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वह चुनावों के मामले में इस शक्ति का उपयोग करना चाहती है; होगा यह कि लोग स्वतंत्र रूप से अपना मत व्यक्त नहीं कर सकेंगे, चुनावों के लिये अधिकारियों, जीपों, विमानों, हरचीज का, जिसमें प्रचार भी शामिल है, उपयोग किया जा रहा है।

आकाशवाणी को एक निगम बनाने की मांग बार-बार की जा रही है, यदि उसे निगम नहीं बनाया जाता सभी राजनैतिक दलों को उसके माध्यम से प्रचार करने की समान तथा पर्याप्त सुविधाएँ देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

लोगों को अपने मत व्यक्त करने के अवसर देने के बाद भी सरकार जनता की राय अथवा फैसले के अनुकूल कार्य नहीं करती जैसा कि केरल में हुआ है। केरल में चूंकि कांग्रेस सरकार किसी भी तरह नहीं बन सकती थी--इसलिये सरकार ने वहां विधान सभा की एक बैठक तक नहीं करवाई। सरकार ने प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया।

हम सब जानते हैं कि देश में इस समय क्या हो रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोगों में पूर्णतः असन्तोष व्याप्त है। सरकार ने जो विभिन्न उपाय अपनाए हैं उसके कारण वह लोकप्रिय नहीं रही है। किन्तु इसके साथ-साथ लोगों में एक भय भी है कि यदि वे सत्तारुढ़ दल को वोट नहीं देते, तो उन्हें दण्ड दिया जायेगा। मुझे भय है कि शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव न होने देने के लिये सरकार सभी किस्म के उपाय अपनायेगी।

कांग्रेस को आगामी आम चुनावों में विभिन्न राज्यों में खतरा है और उन्हें चुनौती दी जा रही है। ऐसी स्थिति में सत्तारुढ़ दल सरकारी मशीनरी का अधिक से अधिक उपयोग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा ताकि जनता स्वतंत्ररूप से अपना मत व्यक्त न कर सके। अतः इस संकल्प के रूप में मेरा सुझाव यह है कि आम चुनावों से तीन मास पूर्व राज्यों तथा केन्द्र में मंत्रि-परिषद् से पद-त्याग करवाने की व्यवस्था करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। चुनावों के दौरान राष्ट्रपति को शक्ति अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और उस दौरान किसी भी दल की सरकार नहीं होनी चाहिए; केवल तब ही निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the resolution moved by the hon. Member, Shri Surendra Nath Dwivedi deserves no support or endorsement. He advanced the argument that there would be no peaceful, free and fair elections until and unless the Council of Ministers resigned 3 months prior to every General election. After independence the Country has passed three General Elections which have been conducted very nicely and peacefully. The charges and misapprehensions that the Government utilised its official machinery for the benefit of the party in power during elections are false and unfounded. Nowhere in the world the Government resigns before elections. Hence the resolution deserves no support.

The Election Commission which conducts elections in the Country is an independent, free

and fair body and its performance during all these elections has been commendable. The hon. mover has himself admitted that the Commission had done their best during all the three General Elections. In fact it has conducted the elections in an impartial manner. It has been stated that for the future growth of our democracy, it was absolutely necessary to give practical shape to this measure (resolution). But keeping in view the prevailing situation in or around Asia today, in our Country democracy is progressing day by day. The three General Elections bear testimony to this fact. The hon. Member has tried to prove that malpractices are resorted to during elections. But the stray incidents of malpractices in elections cannot prove that elections are not conducted impartially in our Country. So far as the use of jeeps for political purposes is concerned, no incident has come to our notice that the jeeps at the disposal of the BDO's were utilised during election in the interest of any Congress Candidates.

This resolution is undesirable and impractical and cannot strengthen democracy and it should, therefore, not be accepted.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र, माननीय श्री द्विवेदी जी के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रशासन चुनावों पर प्रभाव डाल सकता है और अपने पक्ष में मत प्राप्त कर सकता है । जनता का हित तो इसी बात में निहित है कि सरकार उस उपबन्ध को जो जन हित की दृष्टि से वांछनीय है, स्वीकार कर ले । हर आम चुनाव के तीन महीने पूर्व मन्त्रि-परिषद् द्वारा पद-त्याग किया जाना वांछनीय है और इस अवधि में देश में राष्ट्रपति के शासन के लिये संविधान में आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए ।

सरकार तथा बड़े-बड़े धनपतियों के बीच सम्पर्क तो बना ही रहता है, उसके अतिरिक्त, सरकारी प्रभाव का प्रयोग एक अन्य किस्म के कदाचार में किया जाता है । चुनावों के दौरान जब मन्त्री लोग चुनाव के सिलसिले में दौरा करते हैं तो वे अपने अधिकारियों को भी अपने साथ ले जाते हैं जो जनता से सभी प्रकार के वायदे करते-फिरते हैं ।

यदि सरकार किसी विशेष राज्य (केरल) में राष्ट्रपति के शासन के दौरान चुनाव करवा सकती है, तो आम चुनाव के तीन महीने पहले सभी राज्यों में राष्ट्रपति के शासन से कोई भी हानि नहीं होगी । इस अवधि के दौरान अन्तरिम प्रशासन अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति राष्ट्रीय दृष्टि से मान्य नीतियों का अनुसरण करेंगे । यदि इस बीच किसी समय आपात कालीन स्थिति उत्पन्न हो जाये, तो उस स्थिति में स्वभावतः कुछ कार्यवाही की जा सकती है, अतः इस संकल्प को स्वीकार कर लेने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है ।

यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिस पर, हमारे जैसे देश में जहां आज भ्रष्टाचार का बोल बोला है, निष्पक्षता से विचार किया जाना चाहिए ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । इस संकल्प को प्रस्तुत करने का वास्तविक कारण कोई और ही है । अब तक विरोधी दल एक ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये प्रयत्नशील रहे हैं जिसमें वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी अब जन-प्रिय नहीं रही और उसने अपनी लोक-प्रियता खो दी है । वे ऐसी बातें कर रहे हैं कि आगामी चुनावों में वे कांग्रेस के विरुद्ध सब प्रकार की शक्तियों (फोर्सेज) को मिलाकर वैकल्पिक सरकार बनायेंगे । अब ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं वे महसूस कर रहे हैं कि उनकी चालें न तो सफल हुई हैं और न उनके सफल होने की कोई आशा ही है । इसी कारण वे देश में यह भावना पैदा करने के लिये

एक और प्रयास करना चाहते हैं कि चुनावों की वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है और वे निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव करवाना चाहते हैं।

विरोधी दलों के सदस्य काफी संख्या में चुनाव जीतकर वापस आये हैं, यह एक पूछने की बात है कि यदि चुनावों में सरकारी प्रभाव का प्रयोग किया गया था, तो फिर इतने विरोधी सदस्य निर्वाचित होकर कैसे आ गये। यह कहना बिलकुल ही गलत है कि चुनावों में मन्त्री लोग और भी ज्यादा प्रभाव डालकर विजयी होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि मन्त्रियों को सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की अपेक्षा विरोधी उम्मीदवारों के कारण कहीं अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संकल्प के समर्थकों द्वारा दिये गये तर्क आगामी आम चुनावों में अपनी कमजोरियों तथा कमियों को छिपाने के लिए आवरण मात्र हैं।

जब कभी सरकार मजदूरों को कोई अधिकार देती है तो विरोधी दल के लोग कहते हैं कि ये अधिकार उन्होंने दिलवाये हैं। जो कोई काम अच्छा किया जाता है उसका श्रेय वे ले लेते हैं और यदि कुछ नहीं किया जाता है तो सरकार को दोषी ठहराया जाता है।

अतः मैं श्री द्विवेदी जी के इस संकल्प का विरोध करता हूँ क्योंकि इसे प्रस्तुत करने का यह सुअवसर नहीं है।

श्री रंगा (चित्तूर) : जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो एक ही दल था। फिर कुछ लोग उस दल को छोड़कर चले गये। परन्तु उनको दबाना कोई कठिन काम नहीं था। उनको दबाने के लिये पूरा जोर लगाया गया परन्तु इसके बावजूद भी कुछ लोग चुनाव जीतकर यहां आ गये हैं।

जब मैं उप-चुनाव लड़ रहा था, तो भी 22 मन्त्री, जिनमें वित्त मन्त्री भी शामिल थे, चित्तूर गये। जब मन्त्री चुनाव में दौड़धूप करने जाते हैं तो उनके साथ अधिकारियों का होना भी स्वाभाविक ही होता है। अतः आप यहां से अन्दाजा लगा सकते हैं कि मतदाताओं पर कितना प्रभाव डाला जाता है।

क्या यह बात भी सच नहीं है कि ठेकेदारों को अधूरा काम करने पर भी लाखों रुपये इस उद्देश्य से दे दिये गये थे कि वे सत्तारूढ़ दल को मत देंगे।

क्या यह बात भी ठीक नहीं है कि लोगों को खुश करने के लिये, ताकि वे सत्तारूढ़ दल को मत दें, प्रारम्भिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों तथा मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में बदला गया था।

कहानी केवल यहीं खत्म नहीं हो जाती है। उन्होंने राज्यपालों की सेवा का भी उपयोग किया। एक राज्यपाल तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आये और मतार्थन करने लगे। सरकार इस प्रकार से अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर रही है।

सरकारी जीपों आदि का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ ही दिन पहले सरकार ने यह स्वीकार किया था कि वे जीपों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी ओर जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो हमारे लिए वह भी उपलब्ध नहीं होता है। हमने उनके दल के अध्यक्ष को मद्रास के नगर निगम के चुनाव में रुपये बांटते हुए देखा है। उन्होने भारत के लोकतंत्र को इतना गिरा दिया है। इस लिये मैं तो केवल यह ही कह सकता हूँ कि भारत में लोकतंत्र केवल नाम को ही रह गया है।

अब समाचार पत्रों का रूख भी बदल गया है। जब महात्मा गांधी जीवित थे या जब मैं कार्यकारिणी समिति का सदस्य था तो समाचार पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति में कांग्रेसी सदस्यों का भाषण नहीं छापा करते थे। परन्तु अब उन्होंने उनके भाषण छापने शुरू कर दिये हैं। शायद उन्होंने भी यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस दल से ही उनको लाभ पहुँच सकता है और किसी अन्य दल से नहीं। अत: वे उनके भाषणों का बहुत प्रचार करने लग गये हैं। कांग्रेस दल के जो लोग दल की बैठक में एक दूसरे की आलोचना करते हैं वे यहां सरकार का समर्थन करते हैं। परन्तु इन सब बातों के बावजूद भी हम चुनाव जीत कर संसद के सदस्य बन गये हैं।

यदि ये कठिनाइयां दूर कर दी जायें, यदि इन लोगों से सत्ता छीन ली जाये और यदि चुनाव के अवसर पर केन्द्र में राष्ट्रपति शासन और राज्यों में राज्यपाल का शासन हो जाये और यदि सब राजनीतिक दलों को लोगों के सम्मुख अपने विचार व्यक्त करने के लिये समान अवसर प्रदान किये जाये, तो आगामी चुनाव में लोक सभा में कांग्रेस दल के इन 370 सदस्यों के स्थान पर 200 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : जब स्वतंत्र दल के नेता जोरदार भाषण दे रहे थे तो मैं मन ही मन में यह सोच रहा था कि क्या इससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा अथवा तानाशाही की स्थिति उत्पन्न होगी। तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जो सदस्य इस संकल्प का समर्थन करने जा रहे हैं वे सर्वाधिकारवाद तथा लोकतंत्र का मान घटाने वाले लोगों के प्रशंसक हैं। मेरे विचार से उनको यह नहीं पता लग रहा है कि वे क्या कह रहे हैं।

मैं श्री रंगा का कांग्रेस दल के किसी भी सदस्य से अधिक सम्मान करता हूँ। परन्तु जो उन्होंने कहा है कि 22 मन्त्री और एक राज्यपाल उनको हराने के लिये उनके निर्वाचन क्षेत्र में गये यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। जब 23 गणमान्य व्यक्ति उनको चुनाव में पराजित नहीं कर सके तो वे कैसे कहते हैं कि मन्त्री लोक चुनाव में दबाव डालते हैं। मेरे विचार से तो चुनाव में मन्त्रियों अथवा राज्यपालों के दबाव का इतना महत्व नहीं होता है जितना उनके व्यक्तिगत ग्रुपों का। उस व्यक्ति के दल द्वारा अथवा स्वयं उस द्वारा किये हुए अच्छे कामों का प्रभाव पड़ता है।

हमने अब तक तीन चुनाव लड़े हैं। इन तीनों चुनावों में केन्द्र अथवा राज्यों में विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या बढ़ती ही गई है। यदि मन्त्री इतने प्रभावशाली होते तो विरोधी दल का कोई भी सदस्य चुनाव जीतकर न आता। परन्तु चूंकि विरोधी दल के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है इस लिये यह स्पष्ट है कि चुनाव उचित ढंग से हो रहे हैं।

तब मेरे माननीय मित्र धन देने की बात कर रहे थे।

[**श्री पें० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए**
SHRI P. VFNKTASUBBAIAH *in the Chair*]

कोई भी सदस्य चाहे वह संसद अथवा विधान सभा के लिये चुनाव लड़ रहा हो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत मतदाताओं को धन नहीं दे सकता है।

मेरे मित्र यह भी कह रहे थे कि मुख्य मन्त्री सार्वजनिक सभाओं में जाते हैं और कई

वायदे करते हैं। परन्तु ऐसा करने पर प्रतिद्वन्दी सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत उसके चुनाव को रद्द करवा सकता है।

इसके अलावा हमारे बहुत से मन्त्री चुनाव में हार भी जाते हैं। सूचना और प्रसारण मन्त्री को विरोधी दल के सदस्य ने हरा दिया था। 1957 के आम चुनाव में पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री हार गये थे। इसलिये मेरे विचार से किसी पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं और मेरे विचार से कांग्रेसी सदस्यों को भी, यदि उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान है, इस संकल्प को अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

मेरे विचार से, इस संकल्प को प्रस्तुत करने से कांग्रेसी सदस्यों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि आम चुनावों के अवसर पर गड़बड़ी पैदा करने के लिये इसे प्रस्तुत किया गया है। परन्तु हमारी मंशा ऐसी नहीं हैं। हम ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं जिससे देश की रक्षा को ठेस पहुँचे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे यह तर्क सही सिद्ध हो जायेगा। केरल के चुनाव में क्या हुआ। चुनाव के अवसर पर केन्द्रीय सरकार ने ये हिदायतें जारी कर दी कि साम्यवादी दल के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाये तथा गृह-कार्य मन्त्री ने रेडियो से यह घोषित कर दिया कि ये लोग गद्दार हैं तथा मतदाताओं को उन्हें अपने मत नहीं देने चाहिये।

इस बात को देखते हुए कि सरकार लोकतंत्र के विरूद्ध काम कर रही है, हमारे दिल में यह भावना उत्पन्न होती है कि सरकार को भी इसका परिणाम भुगतना चाहिये। यदि जनता कांग्रेस को ही चुने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लगभग 20 वर्षों से उनकी सरकार के अधीन भारतीय नागरिकों के रूप में रहते आ रहे हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया। अब उन्हें भी उसी धैर्य से रहना सीखना चाहिये।

जब केरल में साम्यवादी दल 28 महीने सत्तारूढ़ रहा था तो देवीकुलम में एक उप-चुनाव हुआ था। तब साम्यवादी मन्त्रियों ने यह घोषणा की थी कि वे देवीकुलम में जा कर चुनाव आन्दोलन में भाग नहीं लेंगे और उनमें से कोई गया भी नहीं हालांकि उस चुनाव से साम्यवादी दल के भाग्य का निर्णय होने वाला था। साथ ही साथ मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि मद्रास के मन्त्री देवीकुलम में गये और उन्होंने चुनाव आन्दोलन में भाग लिया। साम्यवादी दल ने भारत में इस प्रकार का अपना स्तर बना रखा है और हम उसे बनाये रखना चाहते हैं। हम लोकतंत्र को बनाये रखना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि कुछ धनवान व्यक्ति जनता के प्रति दुरव्यवहार कर सके। अत: मैं आशा करता हूँ कि इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जायेगा ताकि देश में लोकतंत्र पनप सके।

Shri R. S. Pandey (Guna) : If we look to the spirit and wording of the Resolution we find that the people of the Country have been insulted. In case this thing proves true that either Government or the Ministers can influence the voters it is an insult to the voters. That shows that they have no sense of their own. But we have seen during the last three elections that the people give votes keeping in view the performance of the candidate and the party to which he belongs. An English man, Mr W. J. M. Makenzie, who was here during the 1962 elections has said that elections in India are fought without any influence. He has praised our Country where twenty two Crores of Voters vote peacefully and without any discrimination. The forei-

gners praise our Voting system but we say that the Government should resign three months prior to elections.

The Resolution is incomplete in itself. The M. Ps and M. L. As should also resign. But this Resolution demands the Ministers alone should resign.

Shri Ranga has said that twenty two Ministers went to his Constituency to defeat him. But inspite of it he won the elections. That shows that the Ministers cannot influence the voters. Secondly the fact that the people have liked Shri Ranga, also shows that they had a love for him as he was also a Member of the Congress party previously though he fought the election with another election symbol.

We feel pity that the Members on the otherside are in a small number. We dont object if their number increases. We will face them sternly.

We dont want to brand the opposition Members as traitors, but at the same time we cannot call them patriots when they indulge in subversive activities. These two things are paradoxical.

I have not been able to follow the purpose of this Resolution that the Ministers should resign three months prior to elections. The Ministers are responsible to Lok Sabha and State Assemblies. In case any emergency arises who will then take the decision ? At the same time we can say that in case Government utilises its machinery during the elections it is bad.

Hence , I am of the view that there is no need of this Resolution.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : मैं अपने दल की ओर से श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं । पहले मुझे आशा थी कि कांग्रेस के अधिकांश सदस्य इस संकल्प से सहमत होंगे परन्तु आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए वे अपनी अन्दरूनी बात नहीं कह रहे हैं ।

इस संकल्प में यह कहा गया है कि मंत्रि-परिषद् को चुनावों से तीन महीने पहले इस्तीफा दे देना चाहिये ताकि सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सके । यही कारण है कि श्री द्विवेदी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है परन्तु मंत्री महोदय अपने पद छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वे ऐसा करने से संसद अथवा विधान मण्डलों में इतनी संख्या में नहीं आ सकते हैं ।

लोकतंत्र का शासन बहुत अच्छा होता है परन्तु हमारे यहां एक अजीब किसम का लोकतंत्र है । लोकतंत्र को सफल बनाने के लिये हमें अच्छी-अच्छी परम्परायें बनानी चाहिये । इस संकल्प को स्वीकार करके हम अच्छी परम्परा डाल सकते हैं ।

कांग्रेसी सदस्यों की यह धारणा गलत है कि इन तीन महीनों में देश में अराजकता फैल जायेगी क्योंकि सचिवालय तो काम करता ही रहेगा ।

चुनाव से तीन महीने पहले इस्तीफा देने के लिये हम सरकार से इसलिये प्रार्थना करते है कि वे अपने लिये सरकारी तंत्र का प्रयोग न कर सके । श्री रंगा ने ठीक ही कहा है कि 22 मंत्री और एक राज्यपाल उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनको हराने के लिये गये । उनके दल के किसी सदस्य ने यह भी कहा था कि इस बात के बावजूद जब प्रो० रंगा जीत गये हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव कितना है । यह तो एक निर्वाचन क्षेत्र की बात है कि श्री रंगा जीत गये, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है ।

कांग्रेसी मंत्री अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यदि वे मंत्री के रूप में जाते हैं तो उनको धन मिल जाता है परन्तु कांग्रेस के सदस्य के रूप में जाने से वे इतना धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं।

प्रो० रंगा, प्रो० मुकर्जी तथा श्री द्विवेदी ने स्वयं कहा है कि विभागीय जीपों का दुरुपयोग किया गया है।

पंचायत बोर्डों, जिला परिषदों आदि का कांग्रेस के चुनाव कैम्पों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिये हमारा यह कहना है कि यदि वे तीन महीने पहले अपने पदों को छोड़ दें तो वे इतना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं जितना कि मंत्री रहते हुए वे डालते हैं।

चुनाव के दिनों में कई वायदे किये जाते हैं। धर्मपुरी में उप-चुनाव के समय हमारे मंत्री महोदय वहां गये और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि यदि वे कांग्रेसी सदस्य को अपने मत देंगे और वह जीत जाता है तो उनके जिले को दो हिस्सों में बांट दिया जायेगा और उसे मुख्यालय का दर्जा दिया जायेगा। तब बाद में धर्मपुरी को मुख्यालय बना दिया गया। इसीलिये हमें इन लोगों की सद्भावना पर विश्वास नहीं है। हम उनसे तंग आ गये हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाये।

इस देश में एक बहुत खतरनाक बात हो रही है कि मंत्रीगण अपने उम्मीदवारों का समर्थन व प्रचार-कार्य करने के लिये निर्वाचन-क्षेत्रों में जाते हैं और उनके साथ पुलिस, आयकर तथा बिक्री-कर अधिकारी जाते हैं। वे तो दावा करते हैं कि वे वहाँ कांग्रेसी के रूप में जाते हैं। लेकिन साथ में अधिकारियों के जाने से बिलकुल भिन्न प्रभाव पड़ता है। व्यापारियों से कहा जाता है कि वे उदारतापूर्वक मंत्री महोदय को चन्दा दें। ये अधिकारी जनता पर दबाव डालते हैं। इसलिये लोकतंत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे तथा आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया जाये। यदि कोई पूर्व उदाहरण नहीं भी है तो हमें एक नई मिसाल कायम करनी चाहिए। ऐसा करके हमें लोकतंत्र तथा अपनी परम्पराओं को ऊंचा उठाना चाहिए।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : The resolution brought before the House is against all the principles of democracy and democratic traditions. Even if we accept it there have been some malpractices in the elections. Several measures to prevent them have been brought before the Parliament. The last three general elections are the proof of fair and impartial elections in the largest Republic of the World. There is no precedent in the world where Ministers have resigned three months before the elections. Even the people outside this country have appreciated the manner in which the three General elections were conducted in this country. Of course, a few instances of lapses or malpractices cannot be ruled out. But we must realise and appreciate that whenever such an instance has come to our notice, as was the case in regard to a Parliamentary constituency, which was raised here, action is taken to rectify the mistake. We have got a regular machinery, a tribunal and a law to look to all these things. This argument is untenable that if fruit in a tree is rotten the entire tree should be uprooted. The ruling party and the parties in the opposition are given equal opportunities. That is the reason that the strength of opposition in Parliament is going up. Why should you be afraid of the Ministers ? They also lose the elections. This resolution deserves no more consideration as it is against the basic principles of a Republic.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्री अ० प्र० शर्मा ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या हम कोई

उदाहरण दे सकते हैं जिसमें मंत्री परिषद् के किसी सदस्य ने कोई गड़बड़ की हो। इस सम्बन्ध में मैं रिखाबदास बनाम शृद्धिचन्द पालीवाल के मामले की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिसमें सम्बन्धित मन्त्री श्री टीकाराम पालीवाल थे, जो इस सभा के सदस्य हैं। याचिका देने वाले उम्मीदवार ने यह आरोप लगाया था कि श्री नारायण दास मेहता, सब-डिवीजनल अधिकारी ने धारा 144 लगा दी थी और उसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में कहा कि धारा 144 लागू करना तथा याचिका देने वाले उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मनमानी, गैर-कानूनी और बुरे इरादे से थी। आप और क्या निर्णय चाहते हैं। श्री नरायणदास मेहता की तरक्की करके कलक्टर बना दिया गया यद्यपि वह आई० सी० एस० नहीं था।

ऐसे अनेक मामले हैं। इसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि हिंडौन मतदान केन्द्र संख्या 588 के मतदान अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र से 100 गज की दूरी में ही प्रचार कार्यालय स्थापित करने देना अनुचित था। उन्होंने कचरोली मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी, श्री रामस्वरूप द्वारा याचिका देने वाले उम्मीदवार के साथ दुर्व्यवहार की भी निन्दा की। उन्होंने यह भी कहा कि श्री शिव कुमार द्वारा हिंडौन में कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा में भाग लेना गैर-कानूनी था। श्री नारायण दास मेहता द्वारा एक ही दिन में मन्त्री महोदय से अनेक बार मिलना तथा चुनाव के समय जनसंघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी करना अच्छी बात नहीं थी। श्री द्विवेदी ने श्री तर्जी मशरीकी के बारे में बताया कि उन्हें कैसे निर्वाचित घोषित किया गया। जनसंघ के दस वोटों को सात गिना गया और कांग्रेस के दस वोटों को तेरह गिना गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार रही थी तो 10। की संख्या को बदलकर 284 कर दिया गया। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने इस बात को पकड़ लिया और श्री मशरीकी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। हम तो यह चाहते हैं कि यह दबाव नहीं होना चाहिए। तीन महीने के लिये सत्ता सभी दलों के प्रतिनिधियों के हाथ में दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार चल ही नहीं सकती है।

ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें मंत्रियों ने चुनावों में हस्तक्षेप किया है। अधिकारियों के तबादले किये जाते हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात जानता हूँ कि वहां एक पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं जो मेरा अपमान करते हैं। उसे वहां मुझे हराने के लिये भेजा गया है। वहां कांग्रेस के इशारों पर चलने वाले अधिकारी भेजे जाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। इसमें एक बहुत उचित मांग रखी गई है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : सभापति महोदय, जहां तक चुनाव पद्धति में सुधार करने तथा निष्पक्ष चुनाव कराने का सम्बन्ध है मैं ऐसे सुझावों का स्वागत करता हूँ। लेकिन संकल्प में तो लोकतंत्र को समाप्त करने की बात है। यह एक अजीब सिद्धान्त है कि पांच साल में से चार साल और नौ महीने तो लोकतंत्र चल सकता है लेकिन तीन महीने के लिये यह समाप्त हो जाये और उसका पुनर्जन्म हो। जहां तक लोकतंत्र के विकास का संबंध है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ लेकिन इसके लिये गलत तरीका सुझाया गया है। यह तो लोकतंत्र पर कुठाराघात करना होगा।

श्री मनोहरन : सरकार तो होगी लेकिन आप उसमें नहीं होंगे। राष्ट्रपति का शासन होगा।

श्री नन्दा : इसके लिये संविधान में संशोधन करना होगा। इसके क्या परिणाम होंगे हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक दल सत्तारूढ़ होता है। उसका घोषणा-पत्र है जो उसे पांच वर्ष की अवधि में पूरा करना है। तीन महीनों की अवधि में उसे कौन पूरा करेगा ? कार्यक्रम में रुकावट आ जायेगी। तारतम्य समाप्त हो जायेगा। प्रतिरक्षा का मामला है तथा देश के हित की अनेक अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें देखना है कि देश का शासन जनता की इच्छानुसार हो, जो चुनाव में मतदान द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करती है। जहां तक धांधली का सम्बन्ध है संविधान में व्यवस्था है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्था भी की जा सकती है। दूसरी बात यह कही गई थी कि सरकार ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। आज मतदाता पूर्णतः सजग और समझदार है। यदि सरकार ऐसा कुछ करती है तो वह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। इस प्रकार की धांधली को रोकने के लिये यही उपाय हैं।

यह कहा गया कि समान अवसर होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल वचन दे सकता है लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि वह इन वचनों को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। यह कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल का शासन रहने पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। पंचायतों का भी उल्लेख किया गया। यदि प्रति वर्ष चुनाव से तीन महीने पहले सरकार त्याग-पत्र दे दे, तो यह एक तमाशा बन जायेगा। इस प्रस्ताव से हमें कोई लाभ नहीं होगा। कुछ मामलों का उल्लेख किया गया लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि शिकायत करने वालों के पक्ष में फैसला दिया गया। न्यायालय हैं, चुनाव आयोग हैं, इससे तो यही सिद्ध होता है कि चुनाव ठीक ढंग से होते हैं। चुनाव आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है। उसमें कहा गया है कि इससे विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तीनों सामान्य निर्वाचनों के बाद अपने प्रतिवेदनों में विश्व द्वारा निर्वाचनों की प्रशन्सा का उल्लेख किया है।

श्री मनोहरन : इसका श्रेय तो निर्वाचन आयोग को है।

श्री नन्दा : यह तो व्यवस्था की बात है और निर्वाचन आयोग इसका एक अंग है।

श्री नम्बियार : हमारी निर्वाचन आयोग के विरूद्ध शिकायत नहीं है। शिकायत तो उसके पीछे राज्य की ताकत के विरूद्ध है।

श्री नन्दा : ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे चुनाव प्रणाली एवं व्यवस्था के प्रति आस्था में कोई संशय हो। ऐसी बात अभी तक किसी भी लोक तन्त्र ने नहीं सोची है, हमने बहुत सोच-विचार कर अपनी विर्वाचन पद्धति तैयार की है। अन्त में मैं यह कहूँगा कि जहां तक पद्धति में सुधार का प्रश्न है मैं उसका स्वागत करूंगा। आप सुझाव दीजिये, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। हम इसके लिये सदैव तत्पर हैं। इस संकल्प का कोई आधार नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : गृह-मन्त्री के तर्कों को सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। उन्होंने यह एक अत्यन्त आश्चर्य जनक बात कही है कि राष्ट्रपति / राज्यपाल का शासन लागू करने से लोकतन्त्र समाप्त होता है। क्या केरल और पंजाब में राज्यपाल का शासन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत लागू नहीं किया गया है ? क्या इसे लोकतन्त्र विरोधी कहा जा सकता है ?

जो दल चार साल नौ महीने में चुनावों में दिये गये अपने बचन पूरे नहीं कर सकता है वह तीन महीनों में उन्हें कैसे पूरा कर सकता है ? सारी कार्य-व्यवस्था रहेगी, प्रतिरक्षा अथवा किसी अन्य मामलों में कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या वह यह कहना चाहते हैं राष्ट्रपति लोकतन्त्र विरोधी हैं और उनका शासन लोकतन्त्र के विरूद्ध होगा ? आखिर वे एक लोकतन्त्रात्मक राज्य के अध्यक्ष हैं। उनकी दलील थोथी है। उनके पास कोई तर्क नहीं है। यह तो राष्ट्रपति पर दोषारोपण करना है।

मैंने इंगलैंड का उदाहरण दिया। वहां जब प्रधान मन्त्री चुनाव के प्रचार के लिये जाता है तो कोई अधिकारी साथ नहीं होता। श्री एटली को उनकी पत्नी कार में ले जाती थी और कोई भी सरकारी कर्मचारी उनके साथ नहीं होता था। मेरा अपना अनुभव है। श्री नेहरू ने मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन सभाओं में भाषण दिये जिनमें सरकारी कर्मचारियों और संगठनों ने सारी व्यवस्था की। जब मैंने इस ओर उनका ध्यान दिलाया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हुआ है। और वे इसे रोकने के लिये कार्यवाही करेंगे। सरकारी व्यवस्था ने नहीं, तो सरकारी ठेकेदारों ने यह सब किया। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है ? सरकारी व्यवस्था का दुरूपयोग हो रहा है। वे कहते हैं कि नियम हैं, न्यायालय हैं। श्री नन्दा के विरूद्ध तो चुनाव-याचिका वापस ले ली गई। मेरा अपना कटु अनुभव है कि 3½ साल तक चुनाव सम्बन्धी मुकदमा लड़ना पड़ा। कौन इतने समय तक चुनाव-याचिका का मामला चला सकता है।

लोकतन्त्र का अर्थ है कि जनता को मुक्त रूप से बिना डर अथवा भय के अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसका अर्थ भी समान अवसर देना है। श्री नन्दा ने राष्ट्र को आश्वासन दिया था कि वे दो वर्ष की अवधि में भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। वे अपनी आत्मा से पूछें कि वे कहां तक सफल हुए हैं। इस प्रश्न को उठाने के कारण उनके ही दल में उनकी आलोचना की जा रही हैं। मैं उनसे गारन्टी चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री अथवा किसी मन्त्री के चुनाव सम्बन्धी दौरों में कोई अधिकारी साथ नहीं जायेगा। वे चुप हैं क्योंकि ऐसा हुआ है और आगे भी होगा। संविधान में राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसे संकल्प में सुझाये गये रूप में सत्ता अपने हाथ में लेने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए। मुझे दुख है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इस संकल्प के महत्व तथा गम्भीरता को नहीं समझा। इस पर देश में लोकतन्त्र की भावी प्रगति निर्भर करती है।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में—18

विपक्ष में—46

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों) का प्रत्यायोजन विधेयक (जारी)

PUNJAB LEGISLATIVE (DELEGATION OF POWERS) BILL (contd.)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं इससे संबंधित संविधान के अनुच्छेद संख्या 172 और 246 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 172 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले विघटित न कर दी जाय, तो पाँच वर्ष तक चालू रहेगी। आगे अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के विधान मन्डल को सातवीं अनुसूची की सूची संख्या 2 में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में उस राज्य के लिये कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। इस प्रकार अनुच्छेद 172 और 246 के अन्तर्गत जब तक कि विधान मन्डल कायम रहे, केन्द्रीय शासन कैसे एक समानान्तर विधान मन्डल बना सकता है और किस प्रकार वह शक्तियां प्राप्त कर सकता है जो अनुच्छेद 246 (2) और (3) द्वारा पूर्णतः तथा समवर्ती रूप से विधान मन्डल को दी गई हैं?

सरकार इस बात का उत्तर दे—क्या पंजाब विधान मन्डल अस्तित्व में है या नहीं और क्या अनुच्छेद 172 के अधीन काम कर रहा है या नहीं तथा क्या अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत संसद–उस विधान मन्डल को दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जबकि विधान मन्डल न हो?

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर): सरकार को विधान सभा विघटित कर देनी चाहिए। आपातकाल के कारण ऐसा किया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया है ताकि विधायकों को वेतन मिलता रहे। मन्त्रियों को भी विधायकों के रूप में वेतन मिलेगा। यदि आपात की उद्घोषणा लागू है तो संसद विधान मन्डल की अवधि बढ़ा सकती है लेकिन विधान मन्डल की अवधि कम करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। अनुच्छेद 172 के अन्तर्गत इसकी शक्ति प्राप्त नहीं है।

यदि वहाँ पर विधान मन्डल है तो अवधि को बढ़ाया जा सकता है और उसे कम नहीं किया जा सकता।

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं सरकार के पक्ष का दो कारणों से समर्थन करता हूं। पहला संविधान का निर्वचन तथा दूसरा इस संसद की परम्परा है। पंजाब के बारे में पहली घोषणा जारी करते समय भी वहां पर आज वाली ही स्थिति थी, अर्थात् विधानमण्डल को समाप्त नहीं किया गया था और फिर भी वर्तमान विधेयक जैसा ही विधेयक उस समय भी पारित किया गया था। अनुच्छेद 246 शक्तियों के वितरण के बारे में है।

यह घोषणा अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई है। मैं अनुच्छेद 356 तथा 357 के सम्बन्धित भाग पढ़ कर सुनाऊंगा।

"...............राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

\+ \+ \+

(ख) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी;"

विधान मण्डल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 356, खन्ड (1) (ख) में "विधान मण्डल तथा कानून बनाने की शक्ति" अथवा "विधान मन्डल की शक्तियों" के बीच अन्तर बताया गया है। इन्हीं शक्तियों के सम्बन्ध में उदघोषणा जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 356 (ख) यह नहीं कहता कि राज्य विधान मन्डल को विघटित किया जायेगा।

अनुच्छेद 356 (ग) में दिया हुआ है :

"राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बन्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को उदघोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें;"

अतः अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को उद्घोषणा द्वारा विधान मन्डल से सम्बन्धित किन्हीं उपबन्धों को निलम्बित करने का अधिकार प्रदान करती है। और यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी किसी मामले में उद्घोषणा बहुत ही थोड़े समय के लिये जारी की जाती है और ऐसे मामले में राष्ट्रपति यह कह सकते हैं कि विधान मन्डल का विघटन नहीं किया जायेगा ताकि उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः निर्वाचन कराने की आवश्यकता न पड़े। इस मामले में विधान मण्डल विघटित नहीं किया गया है परन्तु उसकी शक्तियां उससे छीन ली गई हैं ताकि उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विधान मण्डल को पुनर्जीवित किया जा सके और उसे उसकी शक्तियां वापिस दी जा सकें। अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है।

कृपया इसे अनुच्छेद 357 के उपखण्ड (क) के साथ जो इस प्रकार है, पढ़िये :

"जहाँ अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन निकाली गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहाँ--

(क) राज्य के विधान मण्डल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने की संसद् की क्षमता होगी।"

इसके अन्तर्गत संसद स्वयं राज्य के विधान मण्डल की विधि बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है या वह राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिये कह सकती है। संविधान में विधान मण्डल का विघटन करने का उल्लेख न होने का क्या कारण है? कारण यह है कि यह निर्णय करना राष्ट्रपति के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 356 तथा 357 में इन शक्तियों का उल्लेख है और अनुच्छेद 356 के उपखण्ड (ग) के अधीन राष्ट्रपति को यह स्वविवेक किया गया है कि क्या राज्य के विधान मण्डल से, विधान बनाने की सभी शक्तियां ले ली जायें जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। यह हो सकता है कि राज्य का पुनर्गठन करते समय यह निर्णय किया जाये कि आम चुनावों से पहले कोई अन्तरिम व्यवस्था होनी चाहिये। यदि इस समय विधान मण्डल हटा दिया जाता है तो हमें उस सूरत में थोड़े से समय के अन्दर दुबारा निर्वाचन कराना पड़ेगा।

इसी कारण से राष्ट्रपति को यह निर्णय करने का स्वविवेक दिया गया है कि क्या विधान-मण्डल का विघटन किया जाये अथवा केवल उसकी विधान बनाने की शक्तियां ले ली जायें। और विधान मण्डल बना रहे। वर्तमान मामले में उन्हीं अनुच्छेदों को निलम्बित किया गया है जिनका विधान मण्डल द्वारा विधान बनाने के कार्य से सम्बन्ध है।

इसी प्रकार का जो कानून बनाया गया था वह 1951 का अधिनियम संख्या 46 है। वह उद्घोषणा जून, 1951 में जारी की गई थी। उसमें विधान मण्डल के बने रहने से संबंधित उप-

बन्धों को नहीं किया गया था। उसमें केवल यही उल्लेख था कि उद्घोषणा की अवधि के अन्दर राज्य विधान सभा में रिक्त होने वाले किसी स्थान को भरने के लिये निर्वाचन नहीं किया जायेगा। इससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विधान सभा का विघटन नहीं किया गया था अन्यथा रिक्त स्थान भरने का प्रश्न ही नहीं उठता था। संविधान के निर्वाचन तथा पूर्वोदाहरण के आधार पर यह कहने का कोई कारण नहीं है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विधि मन्त्री ने बड़े ही उत्तेजक ढंग से इस मामले को पेश किया है। परन्तु अन्तिम निर्णय आपको ही करना है।

अध्यक्ष महोदय : कानून बनाना संसद का काम है अध्यक्ष का नहीं। मै इस मामले में कोई राय नहीं दे सकता क्योंकि यदि इसे उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाता है और उच्चतम न्यायालय मेरी राय से भिन्न राय व्यक्त करता है तो उससे बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : घन्टी दी जा रही है। अब सभा में गणपूर्ति है।

प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य के विधान मण्डल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार 22 **अगस्त,** 1966 / 31 **श्रावण,** 1888 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday the 22nd August 1966/Sravana 31, 1888 (Saka)

Tirthraj Press, Allahabad.